तृतीय माला, खण्ड २१--अंक ३०

शनिवार, २१ सितम्बर, १९६३
३० भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पांचवां सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २१ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड २१—अंक २१ से ३०—१० से २१ सितम्बर, १९६३/१९ से ३० भाद्र, १८८५ (शक)]

अंक २१—मंगलवार, १० सितम्बर, १९६३/१९ भाद्र. १८८५ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८० से ५८३, ५८६ से ५८९, ५९७, ५९१ और ५९२ . . . . . २५७५–२६००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४, ५८५, ५९०, ५९३ से ५९६ और ५९८ से ६०४ . . . . २६००–०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६४ से १७४७ . . . २६०६–४२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कराची स्थित भारतीय उच्च आयोग के कुछ अधिकारियों को वापिस बुलाने की पाकिस्तान की कथित प्रार्थना . . २६४२–४४

वक्तव्य में कथित अशुद्धि के बारे में– . . २६४४–४५

विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में .. २६४५—४७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६४७

राज्य सभा से सन्देश २६४७

खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि और खाद्य-नीति के बारे में प्रस्ताव २६४८—५५

राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में चर्चा . . . . २६५५—८१

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २६८१—९१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २६९२—९७

अंक २२—बुधवार, ११ सितम्बर, १९६३/२० भाद्र, १८८५(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१६ . . . . २६९९–२७२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . २७२६–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ से ६२८ . . . . २७३३—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ से १८१७ . . . २७३८—७१

विषय	पृष्ठ
सभा के कार्य के बारे में	२७७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७७१
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२७७२—८६
आगरा के निकट हुई विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	२७८६—८८
चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा	२७८८—२८१६
दैनिक संक्षेपिका	२८१७—२१
अंक २३—गुरुवार, १२ सितम्बर, १९६३/२१ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२९, ६३५, ६३० से ६३४ और ६३६ से ६४०	२८२३—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४१ से ६५१	२८४७—५४
अतारांकित प्रश्न संख्या १८१८ से १८२३ और १८२५ से १८६३	२८५४—७१
अनिवार्य जमा योजना के बारे में	२८७१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
स्वर्ण नियंत्रण आदेश	२८७२—७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७७७—७८
राज्य सभा से सन्देश	२८७८–७९
भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक—	२८७९
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—सभा पटल पर रखा गया	२८७९
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	२८७९
चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा	२८७९—८८
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२८८८–२९०७
भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक	२९०७—१४
संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफ़ारिश से सहमति देने का प्रस्ताव	२९०७–१४
आगरा के निकट हुई विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	२९१४–१६
सैनिक संक्षेपिका	२९१७–२२

†किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

विषय पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १३ सितम्बर, १९६३/२२ भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ से ६५५, ६५७ से ६६६, ६६८ से ६७३ और ६७५ . . . . . २९२३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५६, ६६७ और ६७४ . . . २९५५–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६४ से १८९६ और १८९८ से १९०० .. . . . . २९५६—७३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना— २९७३—८०

(१) एक मजिस्ट्रेट द्वारा फौजदारी के एक मुकदमे के स्थानान्तरण के बारे में एक शपथ पत्र दायर किये जाने के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा कही गई न्याय संबंधी बातें

(२) चीनी दूतावास के पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली में सरकारी सम्पत्ति पर साम्यवादी झण्डों के फोटो लिये जाने की कथित घटना

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २९८०—८१

राज्य सभा से सन्देश २९८१

लोक लेखा समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन २९८१

याचिका का उपस्थापन . २९८१

सभा का कार्य . . . २९८१—८६

भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक— २९८६—३००१

राज्य सभा की संयुक्त समिति को सौंपने की सिफारिश से सहमति देने का प्रस्ताव

संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६३ (अनुच्छेद १७१ का संशोधन)—(श्री सेझियान का)—पुरःस्थापित . . ३००१–०२

समवाय (संशोधन) विधेयक (धारा १५, ३० आदि का संशोधन)—(श्री प० ला० बारूपाल का)—वापिस लिया गया—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ३००२—११

विषय	पृष्ठ
दंड विधि (संशोधन) विधेयक--(श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा का)--परिचालित-	
विचार करने का प्रस्ताव	३०११—२४
परिचालन के लिए संशोधन--स्वीकृत .	३०२२—२४
संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६२ (अनुच्छेद १३६, २२६ आदि का संशोधन)--(श्री श्रीनारायण दास का)--विचाराधीन--	
विचार करने का प्रस्ताव	३०२५
विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३०२५—२७
दैनिक संक्षेपिका . .	३०२८—३२
अंक २५--सोमवार, १६ सितम्बर, १९६३/२५ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७६ से ६८४ और ६८६ . . .	३०३३—५६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . .	३०५६—५८
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८५, ६८७ से ६९०-क और ६९१ से ६९९ .	३०५९—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या १९०१ से १९७४ . .	३०६६—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना--	३०९६—३१०२
(१) चीनी दूतावास के पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली में सरकारी सम्पत्ति पर साम्यवादी झण्डों के फोटो लिये जाने की कथित घटना	
(२) अनिवार्य जमा योजना पर कथित पुनर्विचार	
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३१०२—०३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति .	३१०३
समिति के लिये निर्वाचन--	
भारतीय केन्द्रीय जूट समिति .	३१०३—०४
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	३१०४—३०
दैनिक संक्षेपिका	३१३१—३५
अंक २६--मंगलवार, १७ सितम्बर, १९६३/२६ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०० से ७०२, ७०४ से ७१० और ७१३ .	३१३७—६०

विषय	पृष्ठ
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७ . . .	३१६०—६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७११, ७१२, ७१४ से ७१६, ७१६-क, और ७२० से ७२७	३१६४—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या १६७५ से २००६, २००८ से २०७३, २०७३-क और २०७३-ख	३१७२—३२१७
दिनांक १६ अप्रैल, १६६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५१ के उत्तर में शुद्धि . . .	३२१८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
देश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति	३२१८–१६
स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में . .	३२१६–२०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२२०–२१
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन	३२२१
आक्कलन समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन . .	३२२१
अनुपस्थिति की अनुमति	३२२१—२३
गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	३२२३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	३२२३—५७
दैनिक संक्षेपिका . . .	३२५८—६४
अंक २७—बुधवार, १८ सितम्बर, १६६३/२७ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३०, ७३१, ७३३, ७३५, ७३७ से ७४०, ७४२ और ७४३ . .	३२६५—६०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ और ६	३२६०—६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७३२, ७३४, ७३६, ७४१, ७४४ से ७५३, ७५३-क और ७५५	३२६६—३३०३
अतारांकित प्रश्न संख्या २०७४ से २१४० और २१४२ से २१६१	३३०४—३६

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	३३४०–४५
(१) नागा विद्रोहियों द्वारा सुरक्षा सेना के छै व्यक्तियों के मारे जाने की कथित घटना	
(२) लाटीटीला में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाये जाने की कथित घटना	
एक समाचार पत्र द्वारा सभा की कार्यवाहियों का अशुद्ध प्रकाशन किये जाने के बारे में . .	३३४५–४६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३३४६–४७
राज्य सभा से सन्देश	३३४७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— छब्बीसवां प्रतिवेदन . .	३३४७
भेषज तथा शृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक—	३३४७–६१
राज्य सभा की संयुक्त समिति को सौंपने की सिफारिश से सहमति देने का प्रस्ताव .	३३४७
समय नियत करने के बारे में प्रस्ताव	३३६०—६१
संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३—	३३६१–७९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . .	३३६१
देश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति	३३७९—८३
दैनिक संक्षेपिका	३३८४–९०

अंक २८—गुरुवार, १९ सितम्बर, १९६३/२८ भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७५६ से ७६६ . .	३३९१–३४१४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११	३४१४–१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७६७ से ७८१ . . .	३४१८–२४
अतारांकित प्रश्न संख्या २१६२ से २२१७ और २२१७-क .	३४२४–४९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	३४५०–५१
चीन में रहने वाले भारतीयों के साथ किया गया कथित अमानवीय व्यवहार	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३४५२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४५२–५३
संसदीय समिति के कार्यवाही सारांश . . .	३४५३–५४
लोक लेखा समिति—	
पद्रहवां प्रतिवेदन . . .	३४५४
संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३—	३४५४—८६
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	३४५४
तारांकित प्रश्न संख्या ७६० के बारे में वक्तव्य—	
विदेशी बैंकों में मंत्रियों के खाते	३४५८–५९
नेफा जांच के बारे में चर्चा . .	३४८६—९२
आकाशवाणी से प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३४९२—३५००
दैनिक संक्षेपिका .	३५०१–०६

अंक २९—शुक्रवार, २० सितम्बर, १९६३/२९ भाद्र, १८८५(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ से ८५, ७८७, ७८९, ७९० तथा ७९२ से ७९८	३५०७—३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ तथा १३.	३५३२—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८६, ७८८, ७९१, ७९९ तथा ८०० से ८०४ .	३५३६—४०
अतारांकित प्रश्न संख्या २२१८ से २२७३ .	३५४०—६३
स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की सूचना के बारे में	३५६३–६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३५६४—६६, ३६०९—१२
(१) पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकट चांगसानी स्टेशन के यार्ड में एक माल डिब्बे में से गेलेटाइन बक्सों की चोरी	
(२) पश्चिम बंगाल में खाद्य तथा चीनी की स्थिति	
(३) कलकत्ता में कपड़े की कीमतों में वृद्धि .	
सभा पटल पर रख गये पत्र .	३५६७—६९
प्राक्कलन समिति	
सिफारिशों के उत्तर	३५६९

विषय	पृष्ठ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	३५६९
कार्यवाही सारांश . .	३५६९
सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रबन्ध के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा गया . .	३५६९
गौहाटी तेल शोधक कारखाने के बारे म वक्तव्य . . .	३५६९–७०
सरकारी आश्वासनों के बारे में	३५७१
नेफा जांच के बारे में चर्चा तथा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव	३५७१—९१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन . . .	३५९२
भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . .	३५९२—३६००
सशस्त्र सेनाओं के लिये निवृत्ति-वेतन के बारे में संकल्प . .	३६००—१२
मौरिस कारों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३६१२—१७
दैनिक संक्षेपिका	३६१८—२४

अंक ३०—शनिवार, २१ सितम्बर, १९६३/३० भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १८ . . .	३६२५—३२
आसाम–पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाना बन्द किये जाने के बारे में वक्तव्य	३६३२—३६
स्वर्ण-नियंत्रण तथा अनिवार्य जमा योजनाओं के बारे में वक्तव्य . .	३६३६—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६४१
याचिका समिति	
कार्यवाही-सारांश .	३६४ १
राज्य सभा से सन्देश	३६४१
मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में	६६४२
नेफा जांच संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में . .	३६४२
नेफा जांच के बारे में चर्चा तथा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव	३६४३—८३

विषय	पृष्ठ
सरकारी उपक्रमों सबंधी समिति के बारे में प्रस्ताव . .	३६८३—८५
तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ के उत्तर में शुद्धि	३६८५
दैनिक संक्षेपिका	३६८६–८७
पांचवे सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	३६८८—९०, १–९

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III 1305 (Ai) LSD—28-10-63—160.

लोक-सभा

शनिवार, २१ सितम्बर, १९६३

३० भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४, श्री हरि विष्णु कामत :** क्या प्रधान मंत्री विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के बारे में १३ सितम्बर, १९६३ को हुई आधे घंटे की चर्चा के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के कितने पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में लोक लेखा समिति ने १ जनवरी, १९५७ के बाद से वित्तीय अनियमितताओं और अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं ; और

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई और समिति द्वारा क्या आरोप लगाये गये थे ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह):** (क)

अधिकारी . .	१४
कर्मचारीवृन्द	११

(ख) अधिकतर मामलों में उपयुक्त कार्यवाही की गई है जैसा कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७९६/६३]**

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं पटल पर रखे गये तीन पृष्ठ के विवरण में उल्लिखित सभी मामलों को नहीं लेना चाहता परन्तु एक मामला ऐसा है जो एक महा-वाणिज्यदूत तथा एक

†मूल अंग्रेजी में

1305 (Ai) LSD—1.

राजदूत से संबंध रखता है। दूसरे मामलों में कार्यवाही की गई थी और दोषी व्यक्तियों को पदच्युत कर दिया गया है या नौकरी से हटा दिया गया है या उन्हें चेतावनी दी गई है, निलम्बित कर दिया गया है आदि। परन्तु इस मामले में दुराचरण के लिये चेतावनी तक भी नहीं दी गई है। समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि उसे उच्च अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियमों के अवमान पर चिन्ता है। इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि इन मामलों से अन्य मामलों की तरह न निबटने के क्या कारण हैं? महा वाणिज्यदूत और राजदूत को चेतावनी तक भी नहीं दी गई थी।

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं निवेदन करता हूं कि यह दुराचरण का मामला नहीं है। इन व्यक्तियों ने अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये कुछ अग्रिम धन लिया था। इस स्थानान्तरण के दौरान उन्होंने महसूस किया कि वे कुछ भत्तों के अधिकारी थे जिनके बारे में आदेश नहीं भेजे गये थे। अपने बिलों में इसका समायोजन करने के लिये वे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब यह बात उनके ध्यान में लाई गई जैसा कि विवरण में बताया गया है, तो उन्होंने राशि का समायोजन कर लिया और उसे लौटा दिया।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इस अवधि में कई बार ऐसा भी हुआ है जबकि लोक लेखा समिति की अग्रेतर कार्यवाही या जांच के लिये एकमत सिफारिशों को उसी प्रकार टाल दिया गया था जैसे कि लोक लेखा समिति द्वारा दो या तीन बार एकमत रूप से की गई उस सिफारिश की तिस्कारपूर्वक अवहेलना कर दी गई थी जो कुख्यात जीप कांड या उस सौदे के बारे में थी जिसमें.....

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। उसका इससे कोई संबंध नहीं है। यहां जो हुआ है प्रश्न उसके बारे में है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : ठीक है। मैंने इसका उल्लेख इसलिये कर दिया क्योंकि यह एक प्रसिद्ध मामला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है। परन्तु यहां उसका फैसला नहीं किया जा सकता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैंने कहा है कि "उसी प्रकार से"।

†**श्री दिनेश सिंह** : इन आक्षेपों का सामना करना और कुछ कहना बड़ा कठिन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न केवल इतना है कि क्या इन मामलों में लोक लेखा समिति की एकमत सिफारिशों की अवहेलना की गई थी।

†**श्री दिनेश सिंह** : मुझे पता नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अग्रेतर जांच? बिल्कुल भी नहीं?

†**अध्यक्ष महोदय** : बिलकुल नहीं।

†**श्री दिनेश सिंह** : जिन मामलों का मैंने उल्लेख किया है उनमें हमने कार्यवाही की है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सूची बहुत लम्बी है? क्या ऐसे कोई उदारण हैं जहां समिति की सिफारिशों का अवमान किया गया है और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यदि माननीय सदस्य किसी मामले के बारे में बतायेंगे तो हम उसकी जांच करेंगे। यह एक लम्बी सूची है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अगले सत्र में मैं ऐसा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय श्री : हेम बरूआ।

†**श्री त्यागी** : क्योंकि लोक लेखा समिति का नाम लिया गया है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस तरह से नहीं उठ सकते।

†**श्री हेम बरूआ** : इस बात को देखते हुये कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में बाहर हमारे दूतावासों के वित्तीय खातों में बड़ी बड़ी अनियमितताओं का उल्लेख है—एक मामले में केवल तीन महीनों में १.५४ लाख रुपये की हेराफेरी की गई थी—क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री हमें विश्वास दिला सकते हैं कि विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों में वित्तीय खातों के रखने को त्रुटि-रहित बना दिया गया है और वहां कई वर्षों से जो दूषित अनियमिततायें होती आई हैं उन्हें साफ करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न में जमा होने वाली अनियमितताओं को कैसे साफ किया जाये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं तो यही आश्वासन दे सकता हूं कि हम भरसक प्रयत्न करेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं ?

†**श्री हेम बरूआ** : परन्तु अब तक क्या आपने पूरा जोर लगाया है ? मैं तो यही जानना चाहता था क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इन चीजों का उल्लेख किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह चाहते हैं कि हर कोई कहेगा कि उसने पूरा जोर लगाया है ?

†**श्री त्यागी** : लोक लेखा समिति तथा उसकी सिफारिशों का क्योंकि नाम लिया गया है मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जब कोई मंत्रालय लोक लेखा समिति की सिफारिशों का अनुकरण नहीं करता तो अगले वर्ष फिर उसकी जांच होती है और उसे लोक लेखा समिति को बताना पड़ता है कि प्रत्येक सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है। मैं सदन को आश्वासन दिला सकता हूं कि लोक लेखा समिति ने संकल्प किया है कि बिना किसी दलगत सोच विचार के वह एक पूर्णतः न्यायिक समिति होगी और इसलिये यदि कोई मंत्रालय गलती करता है तो लोक लेखा समिति इसका ध्यान रखेगी।

†**श्री हेम बरूआ** : उन्होंने ऐसा नहीं किया है। मैंने सारा प्रतिवेदन पढ़ा है।

†**श्री दाजी** : प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह भरसक प्रयत्न करेंगे। क्या हम जान सकते हैं कि यह देखने के लिये क्या उपाय किये गये हैं या करने का विचार है कि अन्य दूतावासों में हिसाब किताब में ऐसी हेराफेरी और गलतियां न हों तथा क्या हिदायतें दी गई हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में ये सारी चीजें विस्तार में दी गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के स्कूलों में दशहरे की छुट्टियां

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५. श्री भक्त दर्शन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दशहरे की तिथि के विवाद के कारण दिल्ली के स्कूलों में इस बार दशहरे की छुट्टियां दो बार होंगी—पांच दिनों के लिए सितम्बर के दूसरे पखवारे में और सात दिनों के लिये अक्तूबर के दूसरे पखवारे में; और

(ख) यदि हां, तो दो बार थोड़े-थोड़े दिनों के लिये दशहरे की छुट्टियां होने से अध्यापकों और विद्यार्थियों को जो असुविधायें होंगी उनके निराकरण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री भक्त दर्शन** : मैं जानता था कि माननीय मंत्री जी यह उत्तर देंगे । लेकिन क्या वह यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वास्तवकि स्थिति क्या है ?

†**श्री हुमायून कबिर** : स्थिति यह है कि स्कूलों के लिये दशहरे की छुट्टियों जैसी कोई चीज नहीं है। विद्यार्थियों को वही छुट्टियां मिली हैं जो राजपत्रित छुट्टियां होती हैं । दूसरी टर्म के बाद ये पतझड़ की छुट्टियां होती हैं जो सितम्बर या अक्तूबर में किसी समय होती हैं । तिथियों का निर्णय प्रत्येक वर्ष निदेशक द्वारा किया जाता है ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि दशहरा और दीवाली के बारे में अभी तक भी ज्योतिषियों में बड़ा भारी वाद-विवाद चल रहा है, यहां तक कि एक दूसरे को वह शास्त्रार्थ का भी चेलेंज दे रहे हैं तो क्या शिक्षा मंत्री दोनों पक्षों को बुला करके, उन के बीच में कोई समझौता कराने का प्रयत्न करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। शिक्षा मंत्री भी इस चर्चा में शामिल होंगे ?

श्री यशपाल सिंह : इस सैक्युलर स्टेट में सरकार हमारे पंडितों की मर्जी के खिलाफ दो दो त्योहार क्यों करती है उनकी मर्जी के अनुसार एक त्योहार क्यों नहीं रखती है ?

अध्यक्ष महोदय : कहां दो त्योहार रखे हैं ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में छुट्टियां सितम्बर में आती हैं और कुछ में अक्तूबर में जब कि सर्वधारी निर्णय यह किया गया है कि दशहरा अक्तूबर के महीने में होता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन छुट्टियों को सितम्बर या अक्तूबर में करने का ऐसा एकमत निर्णय सरकार द्वारा किया गया है ?

†**श्री हुमायून कबिर** : मैंने पहले ही बता दिया है कि इस प्रश्न का दिल्ली राज्यसे सम्बन्ध है और स्कूलों के लिये दशहरे की छुट्टियों जैसी कोई चीज नहीं है । उन्हें पतझड़ की छुट्टियां होती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश में सोना

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक सरकार को बताए गये सोने की मात्रा और मूल्य क्या है ; और

(ख) सरकार के अनुमान के अनुसार देश में उपलब्ध सोने की कुल मात्रा औ मूल्य क्या है ?

†श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान, आपको याद होगा कि जब स्वर्ण नियंत्रण का प्रश्न आया था तो माननीय मंत्री ने संसद् के स्थगित होने से पहले एक वक्तव्य देने का वचन दिया था

†अध्यक्ष महोदय : वह उस वक्तव्य को देने वाले हैं। वह वक्तव्य दिया जायेगा।

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) (क) स्वर्ण नियंत्रण नियमों के अधीन व्यापारियों, शोधकों, संस्थाओं, तथा व्यक्तियों द्वारा लगभग ४ करोड़ २६ लाख ७० हजार ग्राम सोने की घोषणा की गई है जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार कीमत लगभग २३ करोड़ रुपय होती है।

(ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया बुलेटिन के अप्रैल, १६५८ के अंक में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत में सभी रूपों में अमोद्रिक सोने की कुल मात्रा लगभग ३२६६० लाख ग्राम है जिसकी कीमत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार लगभग १७५० करोड़ रुपये बैठगी। तथापि यह प्राक्कलन किन्हीं निश्चित आंकडों पर आधारित नहीं था। इस बारे में सरकार को निर्धारण करने का कोई अवसर नहीं मिला है।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार ने देश में उपलब्ध लगभग तीस हजार लाख ग्राम सोने में से इतनी कम मात्रा की घोषणा किये जाने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : कारणों की अभी हम खोज कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस खोज में सरकार को अनेक बातें देखनी पड़ेंगी। सरकार को इस चीज का पता है और इस समय मैं ठीक से यह नहीं बता सकता कि हम क्या कर सकते हैं।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बात की जांच की गई है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश जिस रूप में आज है उससे उन लोगों के रास्ते में सुविधा होने की बजाय अड़चन पैदा होती है जो सोना रख हुए हैं और उसकी घोषणा करना चाहते हैं ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य का अनुमान ठीक है। स्वर्ण नियंत्रण आदेश की लगातार जांच तथा पुनरावृत्ति की जानी है और मेरा विचार है कि शायद हम कोई ऐसा नियंत्रण कर पायें जिसके यथासमय अच्छे परिणाम हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह गोल्ड कंट्रोल डिक्लेरेशन स्कीम है वह आपकी दृष्टि में सक्सेसफुल हो रही है या नहीं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : क्या मैं कह सकता हूं कि आपकी आज्ञा से इस बारे में कुछ समय बाद मैं कुछ कह सकने की आशा करता हूं।

†**श्री त्यागी** : जिस थोड़ से सोने की घोषणा की गई है उसमें से संस्थाओं ने कितनी मात्रा की घोषणा की है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे पास जो आंकड़े हैं वे मैं दे सकता हूं। अलग अलग व्यक्तियों ने लगभग ८.१५ करोड़ रुपये की घोषणा की है ; व्यापारियों ने १४.८० करोड़ रुपये की और शोधनशालाओं ने लगभग ७ लाख रुपये की। संस्थाएं व्यक्तियों तथा व्यापारियों दोनों की हैं इसलिय व्यक्तियों के बारे में ८.१५ करोड़ रुपये का प्राक्कलन ठीक नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने गोल्ड कंट्रोल आर्डर के लगाने के पहले कोई ऐसी योजना बनाई है जिस से लोगों को गोल्ड से ममता और मोह हट जाये ?

†**श्री जसवन्त मेहता** : माननीय वत्त मंत्री ने कहा है कि सोने की बहुत बड़ा मात्रा के बारे में नह बताया गया है। स्वर्ण नियंत्रण तथा तस्कर व्यापार के बारे में मंत्रियों द्वारा परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि तस्कर व्यापार वास्तव में कम हुआ है या बढ़ा है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यदि मुझे पता चल जाय कि इस देश में तस्कर व्यापार निश्चित रूप से किस प्रकार का है, तो देश में तस्कर व्यापार बिल्कुल ही नहीं होगा।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का पता चलाने के लिय कि सोने की बहुत बड़ी मात्रा सुरक्षित वज्रकक्षों में छुपा कर रखी गई है, जैसा कि कहा जाता है, तथा यह देखने के लिये कि इन नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अधीन इसे गुप्त न रखा जाये अपनी उन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है जो कि मुझे बताया गया है कि इसे प्राप्त हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह कुछ सुनी-सुनाई बात है। मैंने भी इसके बारे में सुना है। मैं तो नहीं जानता कि एक बार जब सदन में यह उल्लेख कर दिया जाता है कि सुरक्षित बज्रकक्षों में सोना है तो फिर भी वह नहीं रखा रहेगा। सुझाव को मैं अवश्य समझता हूं।

†**श्री राम सहाय पांडेय** : यह निर्णय किया गया था कि जेवरों के लिये केवल १४ केरेट का सोना इस्तेमाल करने दिया जायेगा। अब यह बात पैदा कर दी गई है, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकट हुआ है, कि माननीय वित्त मंत्री इसे १४ केरेट से १८ केरेट तक बढ़ाने को सोच रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वक्तव्य अभी दिया जाने वाला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बालाघाट में टेलीफोन सेवा

†**अल्प सूचना प्रश्न सख्या १७. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **डाक और तार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पुलिस के सिपाहियों द्वारा स्थानीय टेलीफोन आपरेटरों पर आक्रमण के फलस्वरूप बालाघाट, मध्य प्रदेश में टेलीफोन सेवा बन्द हो गई है अथवा उसमें बाधा पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पुनः सामान्य स्थिति लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां। बालाघाट का टेलीफोन एक्सचेंज १३ सितम्बर, १९६३ को ११ बजे के लगभग बन्द कर देना पड़ा था परन्तु उसी दिन शाम तक स्थिति सामान्य रूप में ले आई गई थी ।

(ख) मामले को तुरन्त ही राज्य सरकार तथा पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ उठाया गया था जिन्होंने आश्वासन दिया है कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी बिना किसी डर के अपना सामान्य काम जारी रख सकते है। डाक तथा तार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी शीघ्र से शीघ्र अवसर मिलते ही मौके पर जांच की गई थी।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यदि मैंने मंत्री महोदय को ठीक सुना है तो इस घटना के होने तथा टेलीफोन सेवा के पुनः चालू होने में काफी समय लग गया था। क्या सदन यह समझे कि अन्य संचार साधनों में भी विघ्न पड़ गया था तथा डाक तथा तार प्राधिकारियों को इस घटना की सूचना—पुलिस के सिपाहियों द्वारा आक्रमण—बड़ी देर से मिली थी और यदि हां, सूचना भेजने में इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्री भगवती :** ज्यादा विलम्ब नहीं हुआ था। घटना १२ सितम्बर, १९६२ को ७ बज कर १३ मिनट के बाद हुई। एक आपरेटर पर कथित आक्रमण के बाद भी एक्सचेंज में सारी रात काम होता रहा। अगले दिन सुबह भी आपरेटर एक्सचेंज में आये। सुबह लगभग १० बज कर ३५ मिनट पर फिर कुछ गड़बड़ हुई। तब आपरेटर एक्सचेंज छोड़ कर चले गये। इस पर गोंडिया से कुछ आपरेटर लाकर वहां लगाये गये थे और एक्सचेंज में उसी दिन अर्थात् १३ तारीख को लगभग १५–३५ बजे काम होने लगा था।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** आक्रमण की इस घटना का ठीक ठीक ब्यौरा क्या है और क्या राज्य सरकार ने इस मामले में किसी नियमित जांच का आदेश दिया है ?

†**श्री भगवती :** इस मामले की जांच करने के लिये जबलपुर डिवीजन के आयुक्त द्वारा एक दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने १८ तारीख को इस मामले की जांच शुरु की और १९ को उनकी जांच पूरी हो गई ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या रिपोर्ट मिल गई है ?

†**श्री भगवती :** रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की गई है।

†**श्री दाजी :** क्या सरकार ने इस घटना के कारण सुनिश्चित कर लिये हैं और ऐसी घटनायें फिर न हों क्या इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भगवती**: सारे मामले की जांच की गई थी और पदाधिकारी से प्रतिवेदन मिलने पर ही हम कुछ कह सकते हैं।

आंध्र प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन

† अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८.
श्री अ० क० गोपालन:
श्री म० ना० स्वामी:
श्री नम्बिआर :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन बिल्कुल बन्द हो गया है क्योंकि सीमेंट के कारखाने बन्द हो गय हैं ?

(ख) क्या इसका कारण यह है कि उत्पादन को न उठान के कारण कारखानों में स्टाक रखने की सुविधायें नहीं रही हैं ; और

(ग) क्या इस के फलस्वरूप गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है, जिससे अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है और सीमेंट न मिलने के कारण जनता को बड़ी कठिनाई हो रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** (क) जी नहीं। आंध्र प्रदेश में सीमेंट कारखानों क बन्द हो जान के बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है। उत्पादन के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे कारखानों में किसी भीषण संकट का पता नहीं चलता।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उटते।

†**श्री कोल्ला वेंकैया** : मेरी जानकारी तो यह है कि पिछले डेढ़ महीने से कारखाने बन्द पड़े हैं क्योंकि सरकार ने अपना सीमेंट का कोटा नहीं उठाया जो कि उत्पादन का लगभग ८५ प्रतिशत है और जनता को इसलिय कष्ट हो रहा है क्योंकि उन्हें सीमेंट मिल नहीं रहा। इस कारण से कारखाने बन्द हैं। क्या सरकार इसे कारखानों तथा राज्य सरकारों से सुनिश्चित करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने सुझाव दिया है कि इसका पता जरुर लगाना चाहिये और इसका पता किया जायेगा।

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाना बन्द किये जाने के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री/वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : तीन दिन पहले मैंने करीमगंज सीमा पर गोली चलने के बारे में एक वक्तव्य दिया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

वह गोली १८ और १९ तारीख को कल सुबह तक चलती रही, और फिर हमारे क्षेत्रीय कमांडर और पाकिस्तानी सीमा अधिकारियों के बीच युद्ध-विराम समझौता हुआ। प्रेस ने भी आज खबर दी है कि शाम के चार बज युद्ध-विराम प्रभावी हुआ।

दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के दौरान हमारे क्षेत्रीय कमांडर द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि सीमा के बारे में जब तक अन्तिम रूप से समझौता न हो जाय तब तक अस्थायी तौर पर स्वीकार्य सीमा निश्चित कर ली जाय। परन्तु इस बारे में कोई समझौता नहीं हो सका। तब यह सुझाव दिया गया कि ४ और १० अक्तूबर, के बीच जे० ओ० सी० स्तर पर इस विषय पर विचार करने के लिये बैठक हो। पाकिस्तानी क्षेत्रीय कमांडर कोई वचन दिये बिना इस पर सहमत हुए कि इस अनुरोध को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जायेगा। इस बीच में, हम सीमा के सीमांकन तथा अविलम्ब सर्वेक्षण के लिये पाकिस्तान सरकार से आग्रह कर रहे हैं परन्तु इन प्रस्तावों के प्रति हमें पाकिस्तान सरकार की कोई निश्चयात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल पायी है।

जहां तक हमें जानकारी है इन पांच दिनों में रुक रुक कर गोली चलने के परिणाम स्वरूप तीन व्यक्तियों को घात लगे। एक व्यक्ति को बहुत घातक घाव लगे, और एक अन्य मुस्लिम स्त्री, जो घायल हुई थी, की अस्पताल में मृत्यु हो गयी है। मुझे केवल यही कहना है।

†**श्री स्वैल** (आसाम-स्वायत्त जिले) : क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानी भारतीय राज्य क्षेत्र में अनाहूत प्रवेश कर गये हैं और युद्ध विराम के बाद भी उन्होंने वहां से चले जान से इन्कार कर दिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पाकिस्तानी इस क्षत्र में अनाहुत प्रवेश कर गये हैं जिस के बारे में वाद है। यद्यपि यह तय हुआ था कि जब तक उस क्षेत्र के बारे में कोई समझौता न हो जाय वह वहां प्रवेश न करें फिर भी वह वहां प्रवेश कर गये हैं। और इस युद्ध विराम के बावजूद भी, मैं समझता हूं, वह वहां से नहीं हटे। केवल दोनों तरफ से गोली चलना बन्द हो गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : पाकिस्तानी लाठीटीला क्षेत्र में अनाहुत प्रवेश कर गये और वहां से पांच दिन तक गोली चलाते रहे। उस के पश्चात् युद्ध विराम हुआ। क्या यह बात साफ कर दी गयी थी कि तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक वह उस झगड़े वाले क्षेत्र से पीछे नहीं हट जाते ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम हर सूरत में और जहां भी अवसर मिले उन से बातचीत करेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कह दिया है कि चाहे पाकिस्तानी वहां से न हटें, हम बातचीत करने को तैयार हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : परन्तु युद्ध विराम तो तभी होता है जब पूर्व स्थिति बहाल हो जाये।

---

†मूल अंग्रेजी मे

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चाहे किसी तरह भी हो युद्ध-विराम तो युद्ध-विराम है ही । जहां तक मुझे मालूम है इस युद्ध विराम के बारे में ब्यौरेवार खबर नहीं मिली है। दोनों पक्षों के क्षेत्रीय कमांडरों की बातचीत के परिणामस्वरूप गोली चलना बन्द हो गया है । हमारे कमांडर ने अस्थायी रूप से सीमा निश्चित करने का सुझाव दिया था जिस पर उन के कमांडर सहमत नहीं हुए ।जवह हमारे सुझाव को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिये सहमत हो गये थे। यह प्रस्ताव था कि एक दो दिन पश्चात् इस मामले को सुलझाने के लिये जे० ओ० सी० स्तर पर बातचीत हो ।

श्री दाजी (इन्दौर) : क्या अब तक इस क्षेत्र में कोई अस्थायी सीमा भी निर्धारित नहीं थी, यदि हां, तो पाकिस्तानी कहां तक अनाहुत प्रवेश कर गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस सारे क्षेत्र में लगभग पांच गांव हैं और यह बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है । रैडक्लिफ आयोग द्वारा तैयार किये गये मानचित्र और उनके द्वारा दिये गये इस क्षेत्र के ब्यौरे में अन्तर है । मानचित्र में एक सीधी लाईन है जो पाकिस्तान के हक में है। विस्तृत प्रतिवेदन में तथ्य भारत के हक में है । हमारा ख्याल है कि विस्तृत तफसील मानचित्र की सीधी लाईन से अधिक महत्वपूर्ण है। मुख्य बात यही है । एक या दो गांवों में अथावा एक या दो गांवों के कुछ हिस्सों में पाकिस्तानी अनाहूत प्रवेश कर गये हैं और वहां पर उन्होंने बंकर्स बना लिये हैं। हमारी धारणा यह है कि वह बंकर्स अभी वहीं पर हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हुं कि यह सीज फायर पाकिस्तान ने अपनी दया के कारण किया है या हमारा जोर बढ़ने के कारण ? अगर हमारा जोर बढ़ने से किया है, तो अब तक उनके कितने आदमी मारे गए और कितने जख्मी हुए हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने अभी आप से कहा, दया किसकी है । दया तो हमेशा अच्छी है और मैं आशा करता हूं कि हमारी तरफ से हर एक के लिए हमेशा दया होगी। लेकिन अगर दया के मानी होते हैं आप की कमजोरी, तो कमजोरी बुरी चीज है । हमारी तरफ से तीन कैजुएल्टीज हुई हैं, उन में से एक मर गया है, और शायद दूसरा भी मर गया हो। इससे ज्यादा तो मालूम नहीं है, और मालूम हो भी नहीं सकता जब तक कि वहां जाकर के न देखें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : **हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड** में यह खबर दी गयी है कि राडार सामान के साथ ऐंट बाम्बर सक्वैड्रन पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर भेज दिया गया है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है और क्या सरकार इस मामले में सचेत है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : हमें भी इस बारे में सूचना मिली है ।

†**श्री उमा बरुआ** (गोहाटी) : जब रैडक्लिफ पंचाट में स्पष्ट दिया हुआ है कि यदि मानचित्र और लिखित ब्योरे में कोई अन्तर पाया जाय तो लिखित ब्योरा ही सही माना जायगा इसके बावजूद भी पाकिस्तानी बलपूर्वक भारतीय राज्य-क्षेत्र में अनाहूत प्रवेश कर गये हैं; और साथ ही उनके जेट बाम्बर्स भी पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर ले जाये गये हैं तो उनका सामना करने के लिये क्या समुचित कदम उठाये गये हैं; और उन अनाहूत प्रवेश करने वाले को निकाल बाहर करने के लिये हम तैयार हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : रैडक्लिफ पंचाट के अनुसार उनके सामान्य निदेशों के अधीन रहते हुए, इसका निर्णय सर्वेक्षण करने वाली द्वारा किया जाना चाहिए।

श्री हेम बरुआ : मैं पंचाट से उद्धत कर के साबित कर सकता हूं कि प्रधान मंत्री का कहना गलत है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ क्षेत्र के बारे में काफी समय से विवाद है। विवाद को चाहे पूर्णतः गलत रूप में समझा गया हो परन्तु हमने उसे विवाद माना है। हमने कई बार इस विषय पर बातचीत का सुझाव दिया है। यह निश्चय हुआ है कि इसका सीमांकन किया जाये और मसीांकन होने पर सम्भवतः यह झगड़ा सुलझ जायेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): भारत-पाक सीमा पर कई बार ऐसे युद्ध-विराम हुए हैं और कई बार उन युद्ध-विरामों का पाकिस्तानियों द्वारा उल्लंघन किया गया है। तो क्या सरकार को विश्वास है कि इस बार इस युद्ध-विराम का पालन किया जायेगा? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान द्वारा किसी भी युद्ध विराम करार का पालन किया गया हो।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यह बात नहीं मानता। कई करार हुए हैं और कई करारों का पाकिस्तान द्वारा पालन भी किया गया है। मुझे कुछ जिम्मेदारी के साथ बोलना है। यह कहना बिलकुल गलत है कि उन्होंने किसी समझौते का पालन नहीं किया।

श्री बागड़ी (हिसार): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

अध्यक्ष महोदय : किस चीज के सम्बन्ध में आपका प्रश्न है?

श्री बागड़ी। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है....

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि किस सबजैक्ट के सम्बन्ध में और किस मामले के बारे में है?

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, आप पहले मेरी बात सुन लें....

अध्यक्ष महोदय : एक कौलिंग अटैंशन खत्म हुआ उसकी निस्बत आ नहीं सकता, दूसरा कुछ शुरू नहीं हुआ है इसलिए उसकी निस्बत भी नहीं हो सकता है। जब हाउस के सामने कोई बिजनैस ही नहीं है तो व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठ सकता है?

श्री बागड़ी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

अध्यक्ष महोदय : जब कोई कार्यवाही ही हाउस के सामने नहीं है तो व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठ सकता है?

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष महोदय : मैंने कई बार कहा है कि जब तक कोई मामला हाउस के सामने न हो तब तक व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है। उसके बगैर कोई बात नहीं हो सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी : उसीके बारे में अर्ज कर रहा...

अध्यक्ष महोदय : जब इस वक्त हाउस के सामने कोई बिजनैस ही नहीं है तो व्यवस्था का प्रश्न वैकुअम में मैं कैसे रखने दे सकता हूं ?

श्री बागड़ी : मुझे अपने काम रोको प्रस्ताव के बारे में पता नहीं दिया गया कि उसका क्या बना.....

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके पास आदमी भेजूंगा तब उसके बारे में आपको पता चल जायेगा ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा काम रोकों प्रस्ताव.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, अभी आपको पता दे दिया जायेगा ।

श्री बागड़ी : जहां तक बैठने की बात है, मैं बैठ जाऊंगा । मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न है कि मैंने एक काम रोको प्रस्ताव दिया था लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें । कार्यवाही को मत रोकें ।

श्री बागड़ी : आप मुझे इत्तिला दें कि उसे मैं अभी नहीं तो कब उठा सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

श्री बागड़ी : सुनारों के बारे में (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । अब आप बैठ जायें ।

स्वर्ण नियन्त्रण तथा अनिवार्य जमा योजनाओं के बारे में वक्तव्य

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: सभा में प्रश्नों के उत्तर देते समय मैंने कहा था कि पूर्व इसके कि सभा स्थगित हो मैं स्वर्ण नियंत्रण और अनिवार्य जमा योजनाओं के बारे में एक वक्तव्य दूंगा ।

मेरे प्रतिष्ठित पूर्वाधिकारी ने कई अवसरों पर इस सभा में सरकार की स्वर्ण नीति के मूल उद्देश्यों की रूप रेखा बताई । इसमें सन्देह नहीं कि आम लोगों के स्वभाव और सामाजिक दृष्टिकोण में सोने का अब भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, परन्तु इसके परिणामस्वरूप हमारे विदेशी मुद्रा संसाधनों में तथा अन्य प्रकार से होने वाली हानि की अवहेलना नहीं की जा सकती । मेरे प्रतिष्ठित पूर्वाधिकारी द्वारा सूत्रपात स्वर्ण नीति के मूल तत्वों का उद्देश्य यह था कि सोने के व्यापार की सुविधाओं को कम किया जाये, विशेषतया शुद्ध सोने के व्यापार की सुविधाओं को, ताकि जो तस्कर व्यापारी सीमाशुल्क रेखा से बच निकले वह खुले आम बिना रोक के सोना न बेच सके; और दूसरे, चौदह कैरेट से अधिक शुद्धता के सोने के गहनों का उत्पादन समाप्त करके सोने की मांग को कम किया जाये । सरकार के विचार में यह दोनों उद्देश्य बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण हैं और राष्ट्रीय हित की दृष्टि

---

†मूल अंग्रेजी में

से तर्कसंगत हैं। इसलिये, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो भी, वर्तमान रूप में स्वर्ण नियंत्रण के प्रशासन में बहुत सी समस्यायें मार्ग में आने के कारण इस पर पुनः विचार करना पड़ा। सोने के गहने आदि बना कर रोजी कमाने वाले वर्ग के लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिये, और उन लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए, जिन्हें सोन तथा सोने के गहनों से अत्यधिक स्नेह है, हमें यह भी विचार करना पड़ा कि कौन से परिवर्तन इसमें लाना आवश्यक है।

सोने के जेवरात बनाने का काम करने वालों की समस्या के विषय में हमें पहले अपना काम स्वयं चलाने वालों के बारे में और फिर उन कर्मचारियों के बारे में विचार करना है जो बड़े बड़े स्वर्णकारों और आभूषण-विक्रेताओं के पास काम करते हैं। अपना काम स्वयं चलाने वाले स्वर्णकारों के पुनर्वास का कार्यक्रम तो हमारा है, परन्तु हम समझते हैं कि इस से समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं होगा और कि इस प्रयोजनार्थ हमारे द्वारा आवंटित राशि से कहीं अधिक राशि और समय की आवश्यकता होगी। यद्यपि हमारा विचार उन स्वर्णकारों के पुनर्वास कार्य को आगे बढ़ाने का है, जो अपने जीवन निर्वाह के लिये पूर्णतः सोने के गहने बनाने पर ही निर्भर हैं, हम उनकी समस्या का पूर्ण समाधान एक ही दिन में नहीं कर सकते।

इसलिये हमने निर्णय लिया है कि अपना काम स्वयं चलाने वाले स्वर्णकारों को मामूली शुल्क पर लाईसेंस दिये जायें और उन्हें १४ कैरेट से अधिक शुद्धता के गहनों को समान शुद्धता में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाये। ऐसा करने से उन्हें अपने मुख्य कारोबार को चलाये रखने की सुविधा पुनः मिल जायेगी। वह स्वर्णकार्य जो लाईसेंस-प्राप्त व्यापारियों से आर्डर लेकर उनके लिये सोने पर काम करते हैं वह १४ कैरेट तक के गहने बनान के लिये शुद्ध सोने की सीमित मात्रा रख सकेंगे। सरकार आशा करती है कि पुनर्वास की दीर्घकालीन प्रक्रिया के लम्बित रहते हुए इन उपायों से स्वर्णकारों के रोजगार के बने रहने में सुविधा मिलेगी।

मैं इस बात पर बल दूंगा कि इन रियायतों का अर्थ सरकार की सोने के सामान्य प्रयोग तथा अत्यधिक शुद्धता के आभूषणों के उत्पादन को निरुत्साहित करने की आधारभूत दीर्घ-कालीन नीति में परिवर्तन नहीं है। यदि कोई शुद्ध सोने के आभूषण बनवाना चाहेगा तो उसे किसी भी साधन से १४ कैरेट से अधिक शुद्धता के आभूषण नहीं मिल सकेंगे। किसी भी व्यापारी द्वारा न तो १४ करेट से अधिक शुद्धता के आभूषण प्रदर्शनार्थ रखे जायेंगे और न ही बेचे जायेंगे। वर्तमान शुद्धता के आभूषणों को समान शुद्धता के नये आभूषणों में परि-वर्तित करने की सुविधा आवश्यक तौर पर एक सीमित प्रकार की सुविधा है और इस का लाभ उन्हीं को होगा जिन के पास ऐसे आभूषण हैं और वह उन्हें पुनः बनवाना चाहते हैं। इन के अतिरिक्त हमारा उद्देश्य कुछ समय के लिये अपना काम स्वयं चलाने वाले स्वर्णकारों को भी लाभ पहुंचाने का है। इस से उनका रोजगार बना रहेगा।

इन परिवर्तनों के अतिरिक्त सरकार का विचार प्रशासनिक ढांचे में भी परिवर्तन करने का है ताकि यह नियम अधिक प्रभाव युक्त ढंग से लागू हो सके। वर्तमान नियमों में सरकार के परामर्ष के लिये और इस नीति को समूचे ढंग से कार्यान्वित करने के लिये एक बोर्ड की स्थापना का उपबन्ध है। इन नियमों को लागू करने का उत्तरदायित्व यद्यपि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग का ही है। इस विषय पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर सरकार इस निर्णय पर पहुंचा है कि नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व भिन्न भिन्न

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

स्थापनाओं में निहित होना अनुचित है। इसलिये सरकार ने निर्णय लिया है कि एक स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक नियुक्त करके प्रशासन का केन्द्रीयकरण किया जाये, जो राजस्व विभाग में स्थापित हो, और जो स्वर्ण नीति तथा प्रशासन संबंधी मामलों का भार-साधक हो, और जो इस काम में राज्यीय प्रशासनों की सहायता प्राप्त करेगा।

जब स्वण नियंत्रण नियमों को आरम्भ में तैयार किया गया था तो विचार यह था कि इन नियमों को भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के संशोधनों के रूप में प्रकाशित करना अत्यधिक सुविधाजनक होगा। सोने के उद्योग में प्रयोग में लाने तथा इस के आभूषणों के लिये प्रयोग में लाने के बारे में चूंकि यह नियम समुदाय के अधिकतर लोगों पर प्रभावी होते हैं, इसलिये सरकार का विचार है कि इन नियमों के स्थान पर परिनियम बनाये जायें जिन को, निस्सन्देह, संसद् का अनुमोदन, प्राप्त होगा, । इसलिये सरकार का विचार शीघ्र ही संसद् में एक विधेयक लाने का है जिस में सरकार की स्वर्ण नीति के दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार के उद्देश्यों का समावेश होगा।

अब मैं एक अन्य मामले को लूंगा। जिस की वर्तमान सत्र में संसद् सदस्यों ने काफी चर्चा की है, अर्थात् अनिवार्य जमा योजना। जैसाकि सभा को ज्ञात है अनिवार्य जमा योजना अधिनयम, १९६३, की पांच योजनाओं में से तीन योजनायें अभी कार्यान्वित नहीं हुई हैं, अर्थात्, भू-राजस्व देने वालों, शहरी अचल सम्पत्ति स्वामियों, तथा बिक्री कर देने वाले सम्बन्धी योजनायें। इन योजनाओं को राज्य तथा सम्बद्ध स्थानीय अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, और योजनाओं के प्रारूप राज्य सरकारों की टिप्पणियों के लिये भेज दिये गये थे। दिये गये उत्तरों में कई व्यावहारिक कठिनाइयों का वर्णन किया गया है, विशेषतः भू-राजस्व देने वालों के बारे में। न केवल भू-राजस्व की दर ही वरन् राजस्व एकत्र करने की कालावधियां, उपाय तथा अभिकरण भी भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं अन्य दो योजनाओं के बारे में भी यह अभ्यावेदन किया गया है कि धन एकत्र करने में कठिनाइयां होंगी। बहुत से मामलों में, नगरपालिका प्राधिकार शहरी सम्पत्ति पर कर ही नहीं लगाते जिस के परिणामस्वरूप अनिवार्य रकम एकत्र करने के लिये कोई आधार ही नहीं होगा। राज्यों द्वारा यह शिकायत भी की गई है कि बिक्री कर देने वालों पर यह योजना लागू करने से उन बिक्री कर प्राधिकारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जिन के पास पहले ही काम अधिक है। इस के अतिरिक्त इन दोनों योजनाओं से प्राप्त होने वाली राशि, तुलनात्मक दृष्टि हे कम होगी।

प्रशासनिक समस्याओं के अतिरिक्त, यह भी मालूम पड़ा कि बहुत सी राज्य सरकारें नहीं चाहती हैं कि एक अतिरिक्त शुल्क, यद्यपि यह एक कर न हो कर बचत के रूप में ही था, भूस्वामियों और अपेक्षा तथा कम आय वाले, शहरी वर्गों पर लगाया जाय। चूंकि अनिवार्य जमा योजना का मुख्य लाभ स्वयं राज्य सरकारों को ही होता था, और भू-राजस्व देने वाले वर्ग से एकत्र सारी राशि उन्हीं को प्राप्त होनी थी, भारत सरकार ने महसूस किया कि योजना पर राज्य सरकारों को पुनः अपने विचार व्यक्त करने के लिये कहा जाय तदनुसार, मैंने राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों को पुनः अपने विचार व्यक्त करने के लिए लिखा कि इन तीन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाय, संशोधित किया जाय

अथवा छोड़ दिया जाये । उन से प्राप्त उत्तरों से मालूम पड़ता है कि लगभग सभी इस पक्ष में हैं कि भू-राजस्व देने वालों संबंधी योजना को लागू ही न किया जाये, और उनमें से अधिकतर यह बहतर समझेंगे कि शहरी सम्पत्ति स्वामियों और बिक्रीकर देने वालों सम्बन्धी योजनाओं को भी छोड़ दिया जाय । कुछ मुख्य मंत्रियों ने इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है कि भू-स्वामियों पर विशेषतया और शहरी आबादी पर सामान्यतया यह अनिवार्य योजना लागू करने से स्वेच्छिक बचत के योगदान पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा । इस तथ्य की हम अवहेलना नहीं कर सकते ।

इन टिप्पणियों के प्रकाश में सरकार ने समूची अनिवार्य जमा योजना पर पुनः विचार किया है । यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि समान आय वाले वर्गों अथवा समान आर्थिक स्तर वाले वर्गों द्वारा किये जाने वाले बलिदान में समानता हो । हम वेतन पाने वाले कर्मचारियों आदि को राहत पहुंचाये बिना भू-राजस्व देने वालों को इस योजना से छूट नहीं दे सकते ।

इसलिये सरकार ने निश्चय किया है कि भू-राजस्व देने वालों, शहरी अचल सम्पत्ति स्वामियों, तथा बिक्रीकर देने वालों संबंधी योजनायें जो अभी लागू नहीं की गयीं, लागू ही न की जायें । सरकार महसूस करती है कि उन वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी जो आय-कर नहीं देते समान रूप से यह रियायत दी जाये । जो धन जमा कराया जा चुका है उसे कम से कम समय में ब्याज के साथ लौटाने का प्रबन्ध किया जायेगा । आय-कर देने वालों की स्थिति भिन्न है । जहां तक उन का सम्बन्ध है, उन पर लगने वाले आय-कर की दर बढ़ गयी है और यह उन की इच्छा पर है कि वह उस बढ़े हुए कर के एक भाग को अनिवार्य जमा योजना में योगदान के रूप में दें । इस योजना को वापिस लेने से उन्हें अधिक मुश्किल पेश आ सकती है क्योंकि वापिस किये जाने वाले धन के लिये उन्हें उसी समय कर के रूप में राशि अदा करनी होगी । इसलिये आय-कर देने वालों के लिये यह योजना कार्यान्वित की जायेगी । मुझे विश्वास है कि इन परिवर्तनों के लिये सभा का समर्थन प्राप्त होगा ।

जिन निर्णयों की घोषणा मैंने अभी की है उन के परिणामस्वरूप संसाधनों में काफी घाटा होगा । फिर भी, सरकार आशा करती है, कि यह घाटा स्वेच्छिक बचत में वृद्धि होने से पूर्णतः पूरा हो जायेगा । सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले पांच मासों में अल्प बचतों से एकत्र राशि ३१ करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा तक पहुंच गयी है । यह राशि गत वर्ष इसी कालावधि में एकत्र राशि से दुगुनी है । सरकार का विचार अल्प बचतों को एकत्र करने संबंधी अपने प्रयासों को और बढ़ाने का है और उसे विश्वास है कि राज्य सरकारें भी, जिन्हें इन अल्प बचतों द्वारा एकत्र राशियों का दो-तिहाई भाग मिलता है । नये जोश के साथ इस प्रयास में सहयोग देंगी !

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : जिन स्वर्णकारों को इन रियायतों का लाभ नहीं मिलता उन का पुनर्वास करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं? और क्या सरकार का विचार आय-कर पर अधिकार में भी कुछ रियायत देने का है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : चूंकि परिवर्तन अभी किये जा रहे हैं इसलिये इस समय कुछ कहना सम्भव नहीं है । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मैंने यथासम्भव सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : क्या सरकार का विचार २२ केरेट की शुद्धता के आभूषण के रखने पर भी **कोई** रोक लगाने का है और क्या व्यापारी २२ कैरेट की शुद्धता के आभूषण बना सकेंगे ? जिन व्यापारियों को आभूषण तैयार करने के लाइसेंस दिये जायेंगे उन को १४ करेट के सोने का सम्भरण सुनिश्चित किया जायेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हम सोने के सम्भरण को सुनिश्चित करने संबंधी बचन नहीं दे सकते क्योंकि सरकार को निरन्तर सोना प्राप्त नहीं होता इस प्रकार का आश्वासन देना सम्भव नहीं है । सर्वप्रथम सोना औद्योगिक कार्यों के लिय दिया जायेगा और फिर उन लोगों के लिये जो आभूषण बना कर निर्यात करते हैं। उन के अतिरिक्त जो सोना लोगों के पास उपलब्ध है उसी का राशन हो सकता है ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : जिन स्वर्णकारों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें क्या मुक्त कर दिया जायेगा ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : इस घोषणा और वक्तव्य के उपरांत कुछ कदम उठाये जायेंगे ?

†**श्री दाजी** : जब तक पुनर्वास का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक क्या स्वर्णकारों को अधिक मात्रा में अनुतोष दिये जायेंगे ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं वचन नहीं दे सकता । इस मामले पर विचार करना होगा ।

†**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुज़ा): इस विषय में राज्यों को ऋण देने के अतिरिक्त क्या केन्द्रीय सरकार कोई अन्य कदम भी उठा रही है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : राज्यों के सहयोग से स्वर्ण प्रशासक इस पर विचार करेगा । मैंने पहले भी कहा है कि जब मामले पर पूणरूप से विचार होगा तो समय समय पर उठाये जाने वाले कदमों का ज्ञान सभा को कराया जायेगा । यह उस समय होगा जब विधेयक सभा में लाया जायेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या अनिवार्य जमा योजना नाम को बदल कर इसका नाम राष्ट्रीय जमा योजना रखा जायेगा ? और क्या स्वर्ण नियन्त्रण बोर्ड को अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : अब यह जमा योजना आयकर देने वालों तक ही सीमित है । अब नाम से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता । स्वर्ण नियन्त्रण बोर्ड के स्थान पर स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक काम करेगा इस लिये स्वभावत: बोर्ड काम करना बन्द कर देगा ।

†**श्री बर्डे** (खारगोन) : गोल्डस्मिथ्स को जो मदद फिलहाल दी जाती ह, वह एक ही प्रकार की हर एक जगह नहीं दी जाती है, एक स्टेट में एक प्रकार की दी जाती है और दूसरी स्टेट में दूसरी प्रकार की दी जाती है । उसका स्टेंडर्ड अलग अलग है । क्या सेंटर स्टेट्स को यह आदेश देगा कि गोल्डस्मिथ्स को पर्याप्त मात्रा में मेंटेनेंस एलाउन्स मिले, मदद मिले और इस मदद का सभी स्टेट्स में यूनिफार्म स्टेंडर्ड रहे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हम कोशिश करेंगे कि यथासम्भव कोई पक्षपात न हो ।

चलचित्र वित्त सभा पटल पर रखे गये पत्र

चल चित्त चित्र निगम बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार द्वारा समीक्षा

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९—क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष १९६२—६३ की वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उसपर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० १७९४/६३] ।

भारतीय विमान (चौथा संशोधन) नियम, १९६३

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : मैं विमान अधिनियम, १९३४ की धारा १४-क के अन्तर्गत, दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५७ में प्रकाशित भारतीय विमान (चौथा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पण सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—१७९५/६३] ।

याचिका समिति

कार्यवाही—सारांश

†श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं याचिका समिति की वर्तमान सत्र में हुई बैठकों (सातवीं और आठवीं) के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से सन्देश

†सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना सभा को देनी है कि राज्य सभा अपनी १९ सितम्बर, १९६३ की बैठक में व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) विधेयक, १९६३ से, जो लोक-सभा द्वारा २८ अगस्त, १९६३ को पारित किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि श्री दासप्पा, सदस्य लोक-सभा को रेलवे मंत्री और श्री बलीराम भगत को योजना मंत्रालय में राज्य-मंत्री नियुक्त किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** सदस्यों के समान मैं भी नये मंत्रियों का स्वागत करता हूं।

नेफा जाँच प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : संसद्-कार्य मंत्री द्वारा किये गये कार्य के प्रबन्ध के अनुसार प्रतिरक्षा मंत्री के कल राज्य सभा में नेफा जांच सम्बन्धी वाद-विवाद का उत्तर देने से सभा में सभी पक्षों को खेद हुआ। संविधान के अनुसार मंत्री इस सभा के प्रति उत्तर-दायी हैं। आय व्ययक पर चर्चा भी कई बार उस सभा में पहले हुई थी। इस प्रकार यदि सरकार का विचार इस सभा के अधिकार छीनने का है तो वह इस में सफल नहीं होंगे। ऐसी अनियमितता कई बार हुई है। इस बारे में मैं चाहता हूं कि आप निदेश दें, सरकार को बतायें, उन की भर्त्सना करें ताकि फिर ऐसा न होने पाये।

†**श्री रंगा** (चित्तुर) : मैं श्री मुकर्जी से सहमत नहीं। माननीय प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि दोनों सदन बराबर हैं। केवल वित्तीय मामलों को छोड़ कर। यदि प्रतिरक्षा मंत्री ने पहिले उस सदन में अपना वक्तव्य दे दिया तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। इसमें कोई भूल वाली बात नहीं है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मेरे विचार में सदन के अधिकारों का किसी भी प्रकार अनादर नहीं हुआ है।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : हम यह चाहते थे कि यह विवाद इस सदन में समाप्त हो जाये तो फिर अन्य सदन में आरम्भ हो, परन्तु सदन का समय बढ़ जाने से ऐसा न हो सका। अन्यथा यही पहिले हो जाता।

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इसमें कोई विशेष बात नहीं, न ही सरकार का कोई अन्य उद्देश्य ही है। हम यहां "नेफा रिपोर्ट" की चर्चा समाप्त करना चाहते थे। यह सुझाव था कि इस सदन में एक दिन बाद में ले लिया जाये अतः हम दूसरे सदन को यह नहीं कह सकते थे कि वह बिना कुछ कार्य किये ही सभा को स्थगित कर दे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में मुझे अधिक कहने की जरूरत नहीं। दोनों सदन् बराबर है। इस मामले में कोई विशेष बात नहीं है। यह तो हम स्पष्ट कर चुके हैं कि वित्त तथा कराधान सम्बन्धी महत्वपूर्ण वक्तव्य उस सदन में नहीं हो सकते। यह मामला साधारण है और इसे और अधिक नहीं खींचा जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेफा जाँच के बारे में चर्चा तथा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**श्री प्र० क० देव** (कालाहांडी) : साम्यवादी मित्र जिस प्रकार की भाषा बोलते थे, उससे हमने स्वतन्त्र पार्टी की ओर से यह मांग की थी उस प्रतिरक्षा मंत्री को हटा दिया जाये जो कि इस सब राष्ट्रीय कष्ट का कारण बना है। उस समय प्रधान मंत्री ने हमारी चेतावनी का का मजाक उड़ाया और हमारी चेतावनी की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। हम सफलता से युद्ध का मुकाबला कर सके, इसके लिये समुचित अस्त्र शस्त्रों का होना बड़ा ही आवश्यक है। हमारे पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं। योजनायें हमने बनाई परन्तु प्रतिरक्षा की ओर कोई ध्यान न दिया। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री, इसके प्रति नितान्त उपेक्षित रहे। हमने अपनी सेना के किसी भी अंग को मजबूत करने का प्रयत्न नहीं किया। सरकार कहती रही कि प्रतिरक्षा प्रयत्नों के लिए हमारे पास धन नहीं। परन्तु यह सत्य है कि छः वर्षों में १३२ करोड़ रुपया इस मतलब के लिये दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अगस्त, १९६२ में जब सरकार को सभा में प्रतिरक्षा सेनाओं को सुदृढ़ करने के लिये तथा विदेशों से बिना शर्त सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिये कहा गया तो प्रधान मंत्री ने कहा था कि चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करके इस देश को हड़प जाने की बातें करना निराधार हैं। परन्तु जो कुछ बाद में हुआ, उससे वह गलत सिद्ध हुए।

हमारे भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री ने यह दावा किया कि उन्होंने सेना को आधुनिक ढंग का बना दिया है। उन्हें इस बात पर भी गौरव था कि उन्होंने प्रतिरक्षा उद्योगों का निर्माण किया है। इसके बावजूद "काफी पक्टोलेटर" तथा "रूम-कूलर" जैसी वस्तुओं को आयुध कारखानों में तैयार किया जाता रहा। "एवरो—७४८" कार्यक्रम अनुसूची से बहुत पीछे है। भारतीय तटों की प्रतिरक्षा की दिशा में बहुत थोड़ा काम किया गया है। हमारी संचार व्यवस्था भी ठीक नहीं है। "नेफा" में जो कुछ गड़बड़ी हमको देखने में मिली इसका मुख्य कारण संचार साधनों का अभाव ही है। अच्छी सड़कें न होने के कारण सेनाओं के आने जाने में काफी रुकावटें आईं। जो भी मोटर गाड़ियां पुरानी थीं, उन्हें भी अच्छी हालत में नहीं रखा गया था। "टस्कर" परियोजना को कार्यान्वित किये जाने में वित्तीय कठिनाइयां थीं। अतः कुछ नहीं हो सका। सेना का साहस बनाये रखना सरकार का कर्तव्य होता है। परन्तु देखने में यह आया है कि हमारे कई अनुभवी नवयुवक सेना पदाधिकारियों को एक दम सेवानिवृत्त कर दिया गया। कई सेवा में लगे लोगों की पदोन्नतियां कर दी गईं। यहां तक कि युद्ध संचालन में निरन्तर दिल्ली का हस्तक्षेप होता रहा। सब से गैर-जिम्मेदार कृत्य यह था कि सीमाओं पर बड़े पैमाने पर युद्ध आरम्भ हो जाने पर भी हमारे उस समय के प्रतिरक्षा मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए रवाना हो गये। यह तो ठीक वही बात हुई कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था।

कहा गया है कि चीन का हट जाना, रूस की मैत्री के कारण हुआ है। परन्तु यह सत्य है कि अमरीका और ब्रिटेन से तुरन्त सहायता मिल जाने के कारण ही हमारा बचाव हुआ। यदि यह सहायता इससे पूर्व प्राप्त कर ली जाती तो शायद परिणाम अच्छा रहता। सैनिक गुप्तचर विभाग की कमजोरी तो अब बहुत स्पष्ट हो चुकी है। बिना समुचित जानकारी के सेना को बिना सोचे समझे लड़ाई में आगे भेज देना बुद्धिमत्ता की बात नहीं कही जा सकती। परन्तु आश्चर्य इस बात पर है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी प्रधान मंत्री ने यही कहा कि हमारा गुप्तचर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० क० देव]

विभाग बहुत अच्छा है। यदि ऐसा ही था तो यह कैसे कहा जा सकता है कि चीनी हमला एकाएक हो गया। गुप्तचर विभाग के अच्छे और सचेत होने का तो यही सबूत हो सकता था कि हमें यह पता होता कि सीमान्त के पार सैनिक तैयारी हो रही है। हमें तो यह भी पता न चल सका कि देश में चीनियों तथा उनके एजेन्टों द्वारा बड़े व्यापक आधार पर जासूसी का काम होता रहा है।

हमारे राष्ट्रपति हमारी सेनाओं के "उच्चतम कमांडर" हैं। सेना सम्बन्धी उन्हें सब अधिकार हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूरी छानबीन करने के लिए एक प्रतिरक्षा परिषद् की स्थापना की जाये। यह परिषद् व्यक्तिगत विचारों के प्रभाव से ऊपर हो। ब्रिटेन का उदाहरण हमारे सामने है। सेना की तीनों सेनाओं में अच्छा सहयोग होना चाहिए। मुख्य सेनाध्यक्ष को फाइलों के काम में नहीं उलझा रहना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश को चीन और पाकिस्तान दोनों ओर से हमला होने का खतरा है। हमें अपनी वैदेशिक कार्य नीति पर इस पृष्ठभूमि में एक बार पुनः विचार करना चाहिए। मैं यह भी मांग करना चाहता हूं कि एक उच्च सत्ता प्राप्त आयोग नियुक्त की जानी चाहिए जिस के अध्यक्ष कोई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों। यह आयोग भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री तथा भूतपूर्व सेनाध्यक्ष की जिम्मेदारियों के बारे में जांच करे। यह आयोग यह भी सिफारिश करे कि सेवा के विकास के लिए क्या क्या पग उठाये जाने चाहिएं।

†**श्री कृ० चं० पंत** (नैनीताल) : प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने जो अपने दो वक्तव्य प्रस्तुत किये हैं, उन से यह प्रकट होता है कि वह स्थिति को शीघ्र ही सुधारना चाहते हैं। उन के कथन से यह स्पष्ट हो रहा है कि उनके दृढ़ संकल्प के पीछे क्षमता भी है। जनता और अखबारों में उनके वक्तव्यों का व्यापक स्वागत हुआ है। इस में ईमानदारी की झलक है। प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्यों से यह भी स्पष्ट है कि सरकार इस दिशा में भी संसद् का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने की इच्छुक है। ऐसा करने से देश को प्रतिरक्षा के लिए तैयार करने में काफी प्रेरणा मिलती रहेगी।

नेफा में जो कुछ हुआ है उसके तीन अंग हैं। सैनिक और तकनीकी अंग, गुप्तचर विभाग की कार्यवाहियों से सम्बन्धित अंग तथा सारे मामले का राजनीतिक अंग। और मुझे इस बात का हर्ष है कि अब विभिन्न दिशाओं में पूरी तैयारी से काम लिया जा रहा है। गुप्तचर प्रणाली की दशा बहुत शोचनीय है। यह विषय बहुत ही नाजुक होता है। यदि यह प्रणाली खराब हो जाये तो बहुत अनर्थ हो जाते हैं। मोर्चों पर जो मुंह की खानी पड़ती है, उसके लिए यह प्रणाली बहुत सीमा तक जिम्मेदार होती है। मैं इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि असैनिक तथा सैनिक गुप्तचर प्रणाली में समन्वय पैदा किया जाना चाहिए।

हमारे माननीय सदस्यों, श्री प्रकाशवीर शास्त्री और प्र० के० देव ने हमारे कुछ वरिष्ठ कमांडरों की आलोचना की है। मेरा इस दिशा में निवेदन है कि कमांडरों की आलोचना करते समय हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि अंग्रेजी शासन के समय में, भारतीय अफसरों को लेफ्टिनेन्ट कर्नल से ऊपर का कोई पद नहीं दिया जाता था। अंग्रेजों के चले जाने के बाद इस कमी को पूरा किया जाना था। मेरे विचार में इसी कारण जल्दी में कुछ लोगों को पदोन्नत करके उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। स्थिति ही ऐसी थी। इन अफसरों को सामान्य रूप से कमांड

†मूल अंग्रेजी में

करने का अनुभव प्राप्त करने के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुए । इस स्वाभाविक दोष के बावजूद कुछ लोगों ने कमाल के कारनामे दिखाये हैं ।

हम ने चीन का विश्वास किया और जरूरत से अधिक सन्देह लाभ दिया । यदि ऐसा न किया होता तो हमारा देश उन के द्वारा बड़े पैमाने पर किये गये आक्रमण का मुकाबला करने के लिए और अच्छी स्थिति में होता । इस के अतिरिक्त एक बात यह भी है कि वास्तविक सैनिक तैयारी का देश की औद्योगिक क्षमता से सम्बन्ध होता है । इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए । हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारे जैसे निर्धन देश के लिए अपेक्षित संसाधनों की बहुत आवश्यकता है । इस के लिए विरोधी दलों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल करों के विरुद्ध जिस ढंग से विरोध प्रकट कर रहे हैं, और इस बारे में प्रदर्शन कर रहे हैं, वे ठीक नहीं हैं । इस से हमारी प्रतिरक्षा को दृढ़ नहीं बनाया जा सकता । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं ।

शस्त्रास्त्रों का उत्पादन दुगना किया जा रहा है, यह ठीक बात है । 'मिग' विमानों के निर्माण के लिए दो कारखाने लगाये जा रहे हैं । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ये दोनों विमान कारखाने एक ही स्थान पर बनाये जायें । इन्हें दूर दूर न बनाया जाय । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पहाड़ी डिवीज़न बनाने में, हमें पहाड़ी लोगों को, जो कि यहां की स्थानीय प्राकृतिक कठिनाइयों को सहन करने के अभ्यस्त हो गये हैं, प्राथमिकता दी जानी चाहिए । सीमा प्रान्त के क्षेत्र में प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । ये प्रशिक्षित लोग देश के लिए शक्ति का साधन बन जायेंगे । हमें पुरानी बातों को छोड़ कर नये सिरे से अपनी सैनिक शक्ति का निर्माण करना चाहिए । हमें श्री चर्चिल के उन शब्दों को स्मरण रखना चाहिए जिस से उस ने जून, १९४० में डंकिर्क की तबाही के बाद राष्ट्र में एक नया जीवन निर्माण कर दिया था । उस ने कहा था पुरानी बातों को याद करने से कोई लाभ नहीं । आगे के लिए तैयारी करो ताकि विजय प्राप्त की जा सके ।

†श्री हेड्डा (निजामाबाद) : नेफा के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष दो बातों की उपेक्षा करता है । एक इस युद्ध की अवधि और दूसरा इस की पद्धति । यह पांच वर्ष से कम में समाप्त होने वाली नहीं । और यह भी सम्भव है कि यह २५ वर्ष तक निरन्तर चलती रहे । जो भी आक्रमणकारी होता है, वह आरम्भ में कुछ लाभ में रहता ही है । अतः बोमडीला अथवा सेला में हुई विफलताओं को हमें बढ़ा,चढ़ा कर नहीं कहना चाहिए । हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी सेना बहुत बहादुर और साहसी है । ब्रिटेन में सभी हमारी सेना को अच्छी तरह जानते हैं । हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी सेना को युद्ध का सर्वथा नया रूप देखना पड़ा । प्रथम बार ही उन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा । उन्हें बड़ी वीरता से रक्षात्मक कार्यवाही करनी पड़ी । इस दिशा में उसका काम बहुत ही शानदार रहा है । यह भी उल्लेखनीय है कि अधिक ऊंचाई पर रेगिस्तानी भूमि के लोगों को जलवायु सम्बन्धी बड़ी कठिनाई हुई । सेला १४,००० फीट की ऊंचाई पर स्थित है । यहां पर लड़ना कोई सरल नहीं है ।

चीन का मुकाबला करने के लिए सारा राष्ट्र एक व्यक्ति के रूप में उठ खड़ा हुआ । भारत ने दृढ़ता से लड़ने का निर्णय किया । काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार की भर्ती नीति में अब भी त्रुटियां है । यह सचमुच खेद की बात है कि विशेष क्षेत्र और विशेष जाति के लोगों को भर्ती करने की प्रणाली को अभी त्यागा नहीं गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेडा]

जब नये क्षेत्रों और नयी जातियों के लोग स्वयं को भर्ती के लिए पेश करते हैं, तो उन को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि लोग हर कठिनाई का सामना करने को, हर त्याग करने को तैयार हैं। उस राज्य से अपनी सशस्त्र सेना में काफी लोग भर्ती किये जा सकते हैं। आज आसाम राज्य बिलकुल बदल कर देश की रक्षा के लिए तैयार हो गया। आने वाले भारत के इतिहास में आसाम का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। वहां के युवक बहुत ही साहसी और वीर हैं और लोगों में काफी जागृति भी है। सामूहिक दृष्टि से यह देश के हित की बात है।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : इस विवाद में आज भाग लेते के लिए कोई प्रेरणा नहीं हो रही। बात यह है कि आज का विषय ही ऐसा है। हम विचार कर रहे हैं कि सरकार देश पर हुए आक्रमण को रोकने में समर्थ रही है। यह ठीक है कि व्यक्तिगत तौर पर इस असफलता की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं सरकार की है, परन्तु मातृभूमि पर लगे कलंक के लिए लज्जित तो हम सब को एक सा ही होना पड़ेगा।

बात यह है कि 'नेफा' में हुई गड़बड़ी के बारे में संसद् को सारी सचाई जानने का अधिकार है। जानकारी रोकने के बारे में सरकार द्वारा बार बार जोर दिये जाने से केवल यह संसद् बल पकड़ता है कि यह जनता को सारी बातें बताने और परिणाम भुगतने को तैयार नहीं है। मेरा अनुरोध यह है कि सभा को सूचित किया जाना चाहिए कि क्या जांच समिति ने प्रधान मंत्री और तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री समेत देश की प्रतिरक्षा से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों से पूछताछ की। क्या इस के समक्ष सभी सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे। क्या उसकी ओर से किसी को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। यह सुरक्षा की दुहाई संसद् का अधिकार छीनने के उद्देश्य से दी जाती है। मैं प्रतिरक्षा मंत्री से बम्बई के एक पत्र में प्रकाशित समाचार के बारे में जानना चाहता हूं। हमें इस से काफी चिन्ता हुई। यह भी कहा गया कि निर्माणाधीन हवाई पट्टियों की फोटो सेट कापियां, जिस में राडार संस्थापन भी शामिल थे, कुछ व्यक्तियों को दे दिये गये। प्रतिरक्षा मंत्री को यह स्पष्ट बताना चाहिये कि इस प्रकार के नक्शे बनाये गये थे और यदि तैयार किये गये थे तो वे किस प्रकार बाहर के व्यक्तियों के हाथ लग गये। सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये कि शत्रु को देश की किसी भी गोपनीय बात का पता न चले।

प्रधान मंत्री तथा तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री श्री मेनन ने देश को यह आश्वासन दिया था कि हम देश की रक्षा करने को पूर्णतः तैयार हैं। अब हमें यह बताया गया कि हमारे पास पूरी तैयारियां और साजसामान नहीं था तथा हम पर अकस्मात हमला किया गया।

अब मैं धन-राशि का प्रश्न लेता हूं। श्री चह्वाण ने कल इस का उल्लेख किया और कहा वस्तुतः सभी मंत्रालय कुछ न कुछ धन-राशि बिना व्यय किये लौटाते है। मैंने हिसाब लगाकर देखा कि औसत ७ प्रतिशत राशि लौटायी जाती है। संसद् ने प्रतिरक्षा की कोई भी मांग आज तक अस्वीकृत नहीं की। न कभी सरकार ने ही अधिक राशि की मांग की। अतः यह कहना अनुचित है कि सरकार के पास पैसा नहीं था।

यह कहा गया है कि चीन ने हम पर अकस्मात हमला किया है। प्रधान मंत्री ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि हम इस मसले पर १९५० से गौर कर रहे हैं। अतः ऐसा प्रतीत

†मूल अंग्रेजी में

होता है कि बारह वर्ष की चुनौती भी इस सरकार को जगाने के लिये काफी नहीं है। इसके पश्चात् जब तिब्बत पर कब्जा किया गया तथा खिजमान, लोंगजू, बड़ाहोती तथा चिपचैप घाटी पर अतिक्रमण किये गये। क्या सरकार के लिये ये चुनौतियां काफी नहीं थीं। सरकार को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि उस समय साम्यवादी दल के अध्यक्ष के पास इस आशय का संदेश भी भेजा गया था कि आपके देश को तत्काल मुक्त किया जायेगा। वस्तुतः सरकार को चीनी विस्तारवादियों के खतरे की भयावहता का कोई पता नहीं था। वे अपनी ही राजनैतिक दलबंदियों तथा पूर्ववर्तताओं के शिकार थे। यह हमारे राजनैतिक नेतृत्व की, जो सैनिक नेतृत्व की बुनियादी है, असफलता की सच्चाई तो यह है कि हम तैयार होना ही नहीं चाहते थे। हमें यह भी डर लगता था कि कहीं हमारी तैयारियों से चीन और न भड़क जाये। इसका फल यह हुआ कि हमें हर तरह की पराजय तथा अपमान को सहना पड़ा।

हमें इस बात से इन्कार नहीं करना चाहिये कि बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी सहायता प्राप्त होगी तथापि हमें अपने बलबूते पर खड़ा रहना चाहिये। तथापि स्वावलंवन के संबंध में जो प्रचार किया जा रहा है उससे हमें सतर्क रहना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि स्वावलम्बन के भरोसे हम फिर शत्रु के पंजों में न आ जायें। सरकार को इस बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिये कि राष्ट्र की प्रतिरक्षा को बनाये रख कर जहां से भी सहायता प्राप्त हो सके वह ले ली जाये।

हिमालय पहाड़ों के संबंधों में हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें उस क्षेत्र की जनता में नवजीवन तथा नवप्राणों का संचार करना चाहिये। उनको देश की बाकी जनता के साथ एकीभूत कर दिया जाये।

हमारे पास चीन तथा पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिये कम से कम १४ से १६ डिवीजन सेना होनी चाहिये। हमें इस प्रयोजन के लिये हर प्रकार का त्याग करने को तैयार रहना चाहिये।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** (रत्नगिरि) : मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि संसद को यह अधिकार है कि वह सरकार की नीतियों तथा कार्यों के बारे में प्रश्न उठा सकता है तथापि सदस्य को यह अधिकार नहीं है वे कार्यपालिका के आन्तरिक प्रशासन संबंधी बातों की भी पूछताछ करें। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि इस चर्चा का स्तर इतना गिर गया है कि हमने मामूली साक्ष्यों के आधार पर कुछ व्यक्तियों को दोषी ठहराने का प्रयत्न किया है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगी कि वे केवल ऐसे ही साक्ष्यों का प्रयोग करें जिनका प्राधिकार के साथ उपयोग किया जा सके।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

जहां तक मेरा अनुमान है मैं कह सकती हूं कि हमारी सेना में उच्चकोटि की देशभक्ति और विवेक है।

यह कहना गलत है कि अधिकारियों और जवानों के बीच में कोई सद्भावना नहीं है। उन दोनों वर्गों में अच्छे संबंध हैं। अधिकारियों की पत्नियों ने जवानों के कल्याण कार्यों के लिये बहुत अच्छा कार्य किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती शारदा मुकर्जी]

अब सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वे सेना के घायल जवानों के पुनर्वास का प्रयत्न करें। उन्हें पैंशन देकर वापस भेज देना ही काफी नहीं है। उनकी वीरता तथा देशभक्ति को मान्यता दी जानी चाहिये। तभी हम जवानों में उत्साह व देशभक्ति की भावना भर सकेंगे। वक्तव्य में प्रतिरक्षा के विभागीय संगठन के संबंध में अर्थात् सेवा मुख्यालय, सेवा संगठन तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अन्य देशों में आज कल प्राधिकारियों के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति चल रही है, तथापि इस देश में प्राधिकारों के विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति दिखायी दे रही है। यह दुख की बात है कि दूसरे के सर पर दोष मढ़ने की आदत बढ़ती जा रही है। ऐसे समय भी जब कि देश असफल रहा है, उसकी युद्ध में पराजय हुई है, हम उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। वस्तुतः जब तक हमें दायित्व ग्रहण करने की योग्यता नहीं आयेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

मेरे विचार से सबसे आवश्यक बात यह है कि सशस्त्र सेनाओं का नेतृत्व योग्य व्यक्ति के हाथों में हो, इसके लिये हमें दायित्व को प्रत्यायोजित भी करना होगा। सेना का संगठन कुशल होना चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने इस प्रस्ताव को जब सदन के सम्मुख नोटिस के लिये रक्खा तो श्री चह्वाण ने जो सुन्दर स्टेटमेंट १३ पृष्ठों का दिया, मैं उस के एक एक शब्द और एक एक लाइन को बहुत गौर से देखने लगा। लेकिन बहुत गौर से देखने के बाद भी इस में एक चीज हमें नहीं प्राप्त हुई। जहां तक सेना का सम्बन्ध है, आर्मी, नेवी और एअर फोर्स यह तीन शक्तियां हैं, लेकिन इस डिफेन्स प्रिपेअर्डनेस में कहीं भी नेवी का नाम नहीं है।

श्री अन्सार हरवानी (बिसौल) : नेफा में नेवी क्यों नहीं भेजी जाती। (अन्तर्बाधा)।

श्री रघुनाथ सिंह : यह हमारी प्रतिरक्षा तैयारी का मामला है जो केवल नेफा तक सीमित नहीं इस लिये इस का सम्बन्ध हमारी तैयारी से है, रक्षा की तैयारी से है। श्री अन्सार हरवानी को इससे समझना चाहिये कि इस का सम्बन्ध सिर्फ नेफा से नहीं है और हर वक्त समालोचना करना ठीक नहीं होता।

मैं इस लिये नेवी पर अधिक जोर देना चाहता हूं कि आज से दो वर्ष पहले चीन इस विश्व में पांचवीं सामुद्रिक शक्ति था लेकिन आज वह विश्व में चौथी सामुद्रिक शक्ति है। हमारी सामुद्रिक सीमा है, वह करीब ३ हजार मील लम्बी है। इस सीमा के साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है ९९.५० परसेन्ट केवल समुद्र द्वारा होता है। इस लिये हम को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दो दृष्टियों से देखना चाहिये, एक तो सामुद्रिक सीमा की रक्षा दूसरे अगर युद्ध आरम्भ हो जाय तो कैसे हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रेड जारी रहेगा। तथा दूसरे मुल्क हमको किस तरह से सहायता दे सकते हैं।

जैसा मैं ने कहा, अगर आप सन् १९६० के फिगर्स को देखेंगे, जो कि प्रकाशित फिगर्स हैं, छिपी हुई चीज नहीं है, तो रूस का प्रथम स्थान था, अमरीका का दूसरा स्थान था, इंग्लैंड का तीसरा स्थान था, फ्रांस का चौथा स्थान था और चीन का पांचवां स्थान था। सन् १९६० के बाद एक दूसरी चीज सामने आई, और वह थी पाकिस्तान और चीन की सन्धि। जैसे जैसे पाकिस्तान और चाइना में सम्बन्ध बढ़ता गया, चीन ने अपनी नाविक शक्ति क्यों बढ़ाई, इस ओर

हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिये । सन् १९६० में चीन के पास ४०६ यूनिट थे लेकिन सिर्फ दो वर्षों के अन्दर, हालांकि चीन को फार्मोसा पर हमला नहीं करना था, किमोय आइलैंड पर हमला नहीं करना था, कोई समस्या उस के समने नहीं थी, लेकिन सन् १९६० में ४०६ यूनिट थे सन् १९६३ के अन्दर उन की तादाद हो गई ७७७ यूनिट । करीब करीब दूनी तादाद हो गई । उन्होंने अपनी सामुद्रिक शक्ति करीब करीब दूनी दो वर्ष के अन्दर बढ़ाई है । वह किस के खिलाफ ? इस के विपरीत हमें यह विचार करना चाहिये कि हिन्दुस्तान के पास क्या है । जो पब्लिश्ड आंकड़े हैं उन को देखने से पता चलता है कि हिन्दुस्तान के पास करीब ५० यूनिट हैं, पाकिस्तान के पास २७ यूनिट हैं और चाइना के पास ७७७ यूनिट हैं । अगर चाइना और पाकिस्तान की शक्ति एक हो जाती है, तो उन के यूनिट हो जाते हैं ८०४ अर्थात् दुनिया में वह तीसरी नैवल पावर हो सकती है, और वे हमें बड़ी अच्छी तरह से चैलन्ज कर सकते हैं ।

इस के बाद मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चाइना ने अपनी शक्ति कैसे बढ़ाई है । कुछ उस के ऊपर भी गौर करें । दो वर्षों के अन्दर उस ने जो शक्ति बढ़ाई है उस में सब-मैरीन आदि का कितना भाग है इस को देखिये । सन् १९५७ में उस के पास १३ सबमैरिन थीं और आज २४ हैं, सन् १९५७ में उस के पास ५२ टारपीडो वोट्स थीं और आज १५० हैं । उस के पास सन् १९६० में एक भी सर्विस क्राफ्ट नहीं थी, आज उस के पास ३५० हैं । गनबोट्स ४८ के स्थान पर आज ९९ हो गई । इस प्रकार अगर हम देखें तो जो हमारी सामुद्रिक शक्ति, पाकिस्तान और चीन के अनुपात में ६.५ गुनी है । हम को विचार करना है कि क्या हम इस तरह से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सकेंगे ।

मैं आप का ध्यान आफिसर्स और सोल्जर्स की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ।

इस समय हिन्दुस्तान के पास कुल १६,००० नौसैनिक हैं, जिन में १४५० अफसर हैं और १४,५५० रेटिंग्स हैं । पाकिस्तान के पास ७०० अफसर और ७००० रेटिंग्स हैं, और चाइना के पास आफिसर्स और रेटिंग्स ४८००० हैं और मैरीन आफिसर्स और मैरीन मैन जो कि एक दूसरी यूनिट हैं— २८,००० हैं, अर्थात् चाइना के पास इस समय ७६,००० आफिसर्स और सी-सोल्जर्स हैं । अगर चाइना और पाकिस्तान मिल जायें तो उन की मिली हुई शक्ति ८३,७०० सी-आफिसर्स और सोल्जर्स की होगी जब कि हिन्दुस्तान के पास केवल १६,००० आफिसर्स और रेटिंग्स हैं । तो अगर मैनपावर की दृष्टि से देखें तो चाइना और पाकिस्तान की मिली हुई शक्ति के मुकाबले हिन्दुस्तान की नैवल शक्ति १८ परसेंट है ।

मैं नौ-शक्ति की उपयोगिता की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आखिरकार चाइना और पाकिस्तान की सन्धि क्यों हुई ? पाकिस्तान जानता है कि बिना सामुद्रिक शक्ति के वह ईस्ट पाकिस्तान की रक्षा करने में असमर्थ वैस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान कारगो, सोल्जर्स, टैंक, फ्लीट कैसे जा सकते हैं । जब तक कि उस के पास सामुद्रिक शक्ति न हो । पाकिस्तान के एक जनरल ने कहा है कि अगर हम हिन्दुस्तान पर उस वक्त हमला कर देते जब कि चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया था तो ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल जाता । यह उन की एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है ।

पाकिस्तान समझता था कि अगर उस ने उस वक्त बिना चीन से समझौता किए हुए हिन्दुस्तान पर हमला कर दिया तो ईस्ट पाकिस्तान उस के हाथ से निकल जाएगा । लिहाजा इस कमी ने उन को बाध्य किया कि वे चीन के साथ पैक्ट करें क्योंकि वैसा करने से उन को चीन की नैवल पावर से सहायता मिल सकती है । और पाकिस्तान जानता है कि अगर उस ने हिन्दुस्तान पर हमला किया तो समझौता

[श्री रघुनाथ सिंह]

होने की सूरत में चीन उस की सहायता के लिए आगे आवेगा ताकि ईस्ट पाकिस्तान में और वैस्ट पाकिस्तान में सामंजस्य रहे और उस की सहायता हो सके और उस में हिन्दुस्तान कोई रुकावट न डाल सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सुरक्षा मंत्री जी को इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिये।

जो हमारे मिलिटरी के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उन का विचार है कि आज नैवी की जरूरत नहीं है। उन का दिमाग उसी लाइन पर काम कर रहा है जिस पर कि एलाइड पावर्स का दिमाग अगस्त १९४३ के पहले काम कर रहा था। उस वक्त हिटलर भी यही समझता था कि एयरफोर्स सब से बड़ी चीज है। इसी प्रकार से यू० के० और यू० एस० ए० भी यही समझते थे कि एयरफोर्स सब से बड़ी चीज है, और उस के बाद आर्मी है। लेकिन अगस्त १९४३ में जब कि पहले पहल रूजवैल्ट और चर्चिल साहब मिले तो उन्हों ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारे सुरक्षा उत्पादन मंत्री रघुरामैया साहब जानते हैं कि उस के बाद तीन वीक्स में अमरीका में एक डेस्ट्रायर तैयार होने लगा, दो वीक में एक लिबरटी शिप तैयार होने लगा और ६ महीने के अन्दर उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को के पास एलाइड फोर्स ने लैंड किया और ६ महीने के अन्दर रोमल को भागना पड़ा। जर्मनी इटली की भी रक्षा न कर सके। इटली में कैसे लैंड किया गया ? नैवी से। फ्रान्स में कैसे लैंड किया गया ? नैवी से। हिटलर ने भी यही सोचा था कि हम एयरफोर्स से काम चला लेंगे। लेकिन हिटलर ने अपनी आखिरी वसीयत में क्या लिखा है वह पढ़िए। क्या आप ने कभी यह सोचा है कि हिटलर ने क्यों और बड़े बड़े लोगों को छोड़ कर एडमिरल डोनिट्स को अपना सकसेसर बनाया। इस में हिटलर ने अनुभव किया कि जर्मनी की हार का सब से बड़ा कारण पास नैवी का न होना और नैवी न रहने से दूसरे मुल्कों से सम्बन्ध नहीं रह सका, और जब दूसरे मुल्कों से सम्बन्ध नहीं रह सका, तो न कोई मदद आ सकती थी और न सामान आ सकता था, फल यह हुआ कि जर्मनी धीरे धीरे सिंक करता गया। लिहाजा हिटलर ने अन्तिम समय में अपनी गलती को महसूस किया और जब वह आत्महत्या करने के लिये तैयार था तो उस ने एडमिरल डोनिट्स को कहा कि तुम ही जर्मनी की रक्षा कर सकते हो।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह जो विचार है कि नैवी का स्थान सुरक्षा नहीं सो सही नहीं है नैवी का स्थान है। इसलिये हिन्दुस्तान के लिये नैवी का महत्व है कि अगर हिन्दुस्तान को कहीं से मदद मिल सकती है तो वह समुद्र के मार्ग से ही मिल सकती है।हमारे वैस्ट में पाकिस्तान है ईस्ट में पाकिस्तान नार्थ में चाइना है। जमीन के रास्ते किसी तरफ से भी हम को मदद नहीं आ सकती। अगर हमारे पास नैवी नहीं होगी तो रूस और अमरीका हमारी मदद करना भी चाहें तो वह मदद हमारे पास तक कैसे आवेगी, अगर हमारे पास कोई सामान कम हो जाये तो वह कैसे आवेगा ?

इस के अलावा हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का ९९–५० प्रतिशत व्यापार भी समुद्र के द्वारा ही होता है। अगर हमारे नैवी न होगी तो हम उस कनवाय की रक्षा कैसे कर सकेंगे। इस वास्ते मैं आप से कहता हूं कि हमारी वह अवस्था न हो जो पोलैंड की हुई थीं। चैम्बरलेन ने कहा था कि हम पोलैंड की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन उस समय लाइड जार्ज ने कहा कि आप पोलैंड की रक्षा तो करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे कैसे क्योंकि आप पोलैंड तक पहुंच नहीं सकते। इसी प्रकार अगर दुनिया के और मुल्क हमारी सहायता करना भी चाहें लेकिन अगर उस सहायता को हमारे पास तक पहुंचाने का कोई उपाय न हो यह स्थिति नहीं होनी चाहिए, जैसी कि पोलैंड की हो गई थी।

आगे मैं आप को बताना चाहता हूं कि दुनिया के जिन मुल्कों ने नैवी की उपेक्षा की वे समाप्त हो गए। उदाहरण के लिये स्पार्टो को आप लें। स्पार्टो बहुत बड़ी पावर थी लेकिन उस के पास नैवी नहीं थी। लकिन एथिन्स के पास नैवी थी इसलिये वह बढ़ गयी। रोमन्स कैसे बढ़े ? नैवी के कारण, अंग्रेज हिन्दुस्तान में कैसे आए ? नैवी के

कारण। १७ वीं शताब्दी में मराठों के पास जितनी नैवी थी वह गोआ की लड़ाई में समाप्त हो गयी। उस को उन्हों ने बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उन्हों ने पानीपत के मैदान में दुश्मन को रोकने का प्रयास किया। हमारे मिनिस्टर साहब के दादा साहब भी पानीपत की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो मैं उन से कहना चाहता हूं कि पानीपत की लड़ाई आप लड़ें, अहमदशाह अबदाली को आप ने रोकने की कोशिश की कि आगे न बढ़े। लेकिन समुद्र को आप ने खुला छोड़ दिया और उस का परिणाम यह हुआ कि यहां अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए और आप उत्तर भारत में अहमदशाह अबदाली को रोकने में लगे रहे। अब हमें आगे ऐसी नीति अपनानी चाहिए कि हमारी सामुद्रिक कमजोरी से चीन फायदा न उठा ले।

दूसरी बात आप सुनिए। पाकिस्तान का खतरा तो है ही। इंडोनेशिया भी अर्द्ध कम्युनिस्ट शक्ति है। आप ने मलेशिया को स्वीकार किया है और उस के स्वागत समारोह में भाग लेने के लिए अपना आदमी भी भेजा है। लेकिन आप देखें कि अगर चीन, इंडोनीशिया और पाकिस्तान हमारे खिलाफ मिल जाते हैं तो हम कहां रहेंगे। आप का सारा समुद्र खुला है और किसी भी तरफ से हमारे यहां दुश्मन लैंड कर सकता है। और जैसा कि आप नेफा के लिए कहते हैं कि हम को मालूम नहीं था कि इधर से चीनी फौज आएगी, उसी तरह आप कहेंगे कि हम को मालूम नहीं था कि समुद्र की ओर से भी फौज आएगी। मेरा कहना है कि जैसे कि आप पानीपत में लड़े उसी तरह से समुद्री सीमा का भी ध्यान रखना चाहिये। ऐसा न करने से अंग्रेज आ गए और उन के हाथों में राज्य चला गया। इसीलिये मैं कहता हूं कि आप को इतिहास से सबक लेना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अब लैंड बेसेज का महत्व नहीं है। पोलेरिस और नाटिलस पनडुब्बियों के आविष्कार के बाद लैंड बेसेज का महत्व नहीं रह गया है। अब मिसाइल्स सबमैरिन्स पर से छोड़े जा सकते हैं इसलिये लैंड बेसिज का महत्व खत्म हो गया है।

श्री रघुनाथ सिंह : अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान से एक कान्फ्रेन्स के बारे में न्यूज छपी थी। शायद उस में अमरीका भी शामिल था। पर इस का ठीक पता नहीं है कि अमरीका शामिल था या नहीं। उस कान्फ्रेन्स में कहा गया कि वे आफ बंगाल में हमारा नैवल बेस कहां हो, क्योंकि सीलोन तो दूसरा देश है और एंडमान और निकोबार हिन्दुस्तान के पास हैं। तो उस कान्फ्रेन्स में कहा गया कि हमको लैंड बेस की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सबमैरिन हुए तो हम उन से चिटागांग की रक्षा कर सकते हैं और ईस्ट पाकिस्तान की रक्षा भी कर सकते हैं। क्योंकि मिजाइल्स वहां से छोड़ सकते हैं इस वास्ते मैं कहता हूं कि हमें इस बात का प्रयास करना चाहिये कि हम अपनी सबमैराइन्स की ताकत को बढ़ायें।

आखिर में मैं एक बात और कह देना चाहता हू कि। अपने बोर्डर्स की सुरक्षा की व्यवस्था के हेतु हमें इजराइल का जो नहल सिस्टम है, उसे अपना लेना चाहिये। वहां का सिस्टम क्या है ? नहल सिस्टम यह है कि जितने भी बोर्डर एरियाज हैं वहां पर उन्होंने ऐसे आदमियों को आबाद किया है, ऐसे नौजवानों को ट्रेन्ड किया है जो खेती भी करते हैं और जो साथ साथ सैनिक भी हैं। मैं चाहता हूं कि इस ओर हमारे डिफेंस मिनिस्टर महोदय ध्यान दें और यह काश्मीर उपलटा से ले कर शक्ति तक, जो सिन्धु नदी की घाटी है, पंजाब को छोड़ कर, यहां दिल्ली से सब्जी वहां जाती है और वहां बहुत ही मंहगे दामों में मिलती है।

इसी तरह सीमेंट जो यहां पर ६ रुपये या ८ रुपये बोरा है, वहां वह सीमेंट का बोरा शायद ८० रुपये पड़ता है। यदि यहां कोई सब्जी चार आने सेर हम खरीदते हैं तो वही सब्जी वहां दो रुपये सेर

[श्री रघुनाथ सिंह]

बिकती है। यह एक अननेचुरल एकोनामी है। इस से वार चलने वाली नहीं है। इस के लिये मेरा निवेदन है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को आपस में सहयोग कर के ऐसी आबादी वहां पर बसानी चाहिये कि हमारी फौज को जिस चीज की जरूत है वह चीज वहां पर उत्पादित की जा सके। अगर इजराइल जैसे रेगिस्तान में तमाम चीजें पैदा हो सकती हैं तो मैं नहीं समझता कि सिन्ध नदी की वैली जो कि करीब २५० मील की वेली है और जिस के कि ठीक किनारे किनारे सड़क जाती है और जहां पर आबादी भी मौजूद है वहां पर सैनिकों के लिए आवश्यक चीजें क्यों नहीं पैदा की जा सकतीं इस के लिए जरूरी है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर और डिफेंस डिनिस्टर को आपस में सहयोग कर के वहां पर ऐसा उत्पादन उन बसे हुए लोगों से कराना चाहिये ताकि हमारी सैनिक आवश्यकताओं की वहीं पर पूर्ति हो सके।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या आप की गवर्नमेंट इजराइल से सहयोग करने के पक्ष में है ?

श्री रघुनाथ सिंह : मैं इजराइल से सहयोग चाहता या नहीं यह तो राजनीतिज्ञों की बातें हैं। मैं तो डिफेंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बीच इस बारे में सहयोग की आवश्यकता के लिए कह रहा हूं ताकि बोर्डर ऐरियाज की व्यवस्था ठीक कर सकें।

आखिरकार गुरुगोबिन्द सिंह ने सिक्खों की फौज क्यों बनाई थी ? वह इस वास्ते बनाई थी कि पंजाब पर हमेशा बोर्डर से अर्थात् अफगानिस्तान की तरफ से हमला होता था। उन्होंने जितना भी एग्रीकल्चरिस्ट्स क्लास था उन सब को हथियार दे दिये और कह दिया कि अगर अफगानिस्टान की तरफ से कोई विदेशी फौज आती है तो उन से वे हमारी तरफ से फाइट करें और पीछे हम भी तैयार रहेंगे। लिहाजा आप देखेंगे कि पानीपत की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। हमारी एक फौरमिडेबुल फौज और एक वालियटरी फौज वहां पर कायम हो गई थी। इस वास्ते मैं निवेदन करना काहता हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से इस मामले पर विचार विमर्श कर के ऐसा कोई उपाय करें कि इस बोर्डर ऐरिया पर हमारी भी एक ठोस फौज तैयार हो जाए। जो लोग वहां रहें वह वहीं पैदा करके खायें पियें और अपनी जरूरत का सामान भी वहीं पैदा कर सकें। बहुत खाली जमीन वहां पर पड़ी हुई है। बेआबाद जमीन काफी पड़ी हुई है और अगर उसे हमने इसी तौर पर बेआबाद पड़ा रहने दिया तो कोई भी बाहरी ताकत की फौज आ सकती है। इतने बड़े बोर्डर को आप तार घेर कर और फौज रख कर या हर एक स्थान पर सैनिक तैनात करके उन की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। इस वास्ते हरएक गांव को आप को आर्म करना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि उन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उन की आमदनी हो और वे लोग वहां बोर्डर पर आबाद हो कर देश की रक्षा कर सकें।

अन्त में मैं अपने रक्षा मंत्री को धन्यवाद देते हुए यही कहता हूं कि यह जो बात कही जाती हैं कि चीनी जब पहाड़ से नीचे उतर आयेंगे तब हम उन से फाइट करेंगे, यह पालिसी बिल्कुल गलत है। मराठे लोग क्यों फाइट कर सके ? उत्तर हिन्दुस्तान की हिस्ट्री है कि जब कोई भी विदेशी फौज जमुना नदी को पार कर गई है तो सारा देश विदेशी फौज के हाथ में चला गया है। लेकिन राजपूत और मराठे लोग शताब्दियों तक क्यों लड़ते रह सके। उस का कारण यह था कि उन के पास पहाड़ था। पहाड़ में आबाद थे और वहीं से लड़ते थे। एक नैचुरल डिफेंस उन के पास था। आप उस नैचुरल डिफेंस को चीन को देना चाहते हैं यह पालिसी गलत है।

मैं आप को हिन्दुस्तान की ऐग्जाम्पिल देना चाहता हूं। जब सिकन्दर का भारत पर आक्रमण हुआ तो उस समय चन्द्रगुप्त मौर्य ने कहा कि हम सिकन्दर का यहां बैट कर वेट नहीं करेंगे बल्कि हम आगे बढ़ कर सिन्धु नदी के पास सिकन्दर को रोकेंगे। चन्द्रगुप्त मौर्य और चाणक्य फौरन वहां से फ़ौज लेकर आगे रवाना हो गये। इसी तरह से जब हूणों ने भारत पर आक्रमण किया तो स्कन्दगुप्त ने हूणों का यहां दिल्ली में वेट नहीं किया बल्कि व वाल्हीक जाकर उनसे लड़ थे। इसी तरह से आपके शशांक ने शकों से कैसे भारतवर्ष की रक्षा की ? उन्होंने इसके लिए वेट नहीं किया कि जब शक लोग दिल्ली आ जायेंगे तब हम उनसे फाइट करेंगे बल्कि उन्होंने उनको पंजाब के पहाड़ों में जाकर रोका। जब भी आप किसी फौज को मैदान में आने देंगे तो उतना हिस्सा तो आप उसे पहले ही दे देते हैं। वहां वह जबरदस्ती बैठ कर अपना क़िला बना सकती है, और वहां के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए यह पालिसी कि जब वह उतर कर आयेंगे तब हम लड़ेंगे, ठीक नहीं है।

मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी की एग्जाम्पिल देता चाहता हूं। जब मुग़ल लोग तुर्किस्तान से आने वाले थे तो उसने दिल्ली में बैठ कर उनका वेट नहीं किया बल्कि उसने जाकर मुग़लों को पेशावर में रोका पंजाब में ही उनको रोक लिया और उनको अन्दर नहीं घुसने दिया।

चंगेज़ खां ने ईरान वग़ैरह सब को ले लिया लेकिन मुग़ल हिन्दुस्तान में नहीं आ सके और करीब ४०० वर्ष तक नहीं आ सके। इसी तरह से आप देखें कि जब मुग़ल लोगों के हाथों में पावर आई तो केवल पश्चिम की तरफ से हमला नहीं हुआ क्योंकि अफगानिस्तान को उन्होंने अपने हाथ में रक्खा। हुमायूं से लेकर औरंगज़ेब के वक्त तक चूंकि अफगानिस्तान उनके हाथ में था इसलिए कोई भी शत्रु की फौज उधर से हिन्दुस्तान में नहीं आ सकती थी। वह उनको वहीं पहाड़ में बैठ कर फाइट कर सकते थे। इसलिए यह पालिसी हमारी गवर्नमेंट की ग़लत रही कि शत्रु पहाड़ से उतर कर मैदान में आ जाये तब उससे लड़ेंग। इस पालिसी को भविष्य के लिए त्याग देना चाहिए।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, नेफ़ा रिवरसेज़ज के बारे में यह ख़याल कर लेना कि वह चीज़ ख़त्म हो गयी, सही न होगा। वह ख़त्म हुई न समझी जाय। हिन्दुस्तान की तवारीख़ के अन्दर आने वाली नसलों और औलादों के सामने नेफा रिवसेज़ की चर्चा हमेशा के लिए क़ायम रहने वाली है।

नेफ़ा रिवरसेज़ के बारे में जो रिपोर्ट दी गई है वह नामुकम्मिल है और उससे कोई नतीजा नहीं निकलता सिवाय इसके कि जो ख़ामियां, जो कमजोरियां, जो ग़लतियां और जो लापरवाही वहां हुई है जिसकी वजह से यह नेफ़ा रिवरसेज़ हुए, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट पर और डिफेंस मिनिस्टर पर है। अब यह कह देना कि **इट इज़ एडड हौर्स**, ठीक नहीं है। **इट इज नौट एडेड, हौर्स इट इज स्टिल किकिंग**। गवर्नमेंट को इस तरह से बुरी तरह से चीनियों के हाथ पराजित हो कर नहीं कहना चाहिए कि नेफ़ा रिवरसेज़ के लिए गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसा कह कर टाल देना कि कोई एक्शन नहीं लिया जायगा काम चलने वाला नहीं है। आने वाली नस्लें इस बात को भुला नहीं सकेंगी। इसके लिए गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्टर की पूरी जिम्मेदारी है।

जहां तक हमारी फौज का ताल्लुक है वह बहुत बहादुर फौज रही है। उसका पिछला रेकार्ड शानदार रहा है। अंग्रेज़ों के वक्त में भारतीय फौज ने जर्मनी को हाराया और जापान का कामयाबी के साथ मुक़ाबला किया। अब यह दूसरी बात है कि हमारी फौज ने ब्रिटिश इम्पायर को कायम करने में उनकी मदद की। लेकिन जहां तक भारतीय फौज की बहादुरी का सवाल है वह बहादुरी में

[श्री लहरी सिंह]

किसी से कम नहीं रही है। लेकिन उस बहादुर फौज को इस मौके पर डिफ़ीट बर्दाश्त करनी पड़ी क्योंकि गवर्नमेंट की पालिसी ग़लत रही। नेफ़ा के मोर्चे पर से जो हमारे भाई पंजाब में आये वे कहते हैं कि हमें रंज और अफसोस तो इस बात का था कि हमारे पास एम्यूनीशन नहीं था और हमें अपनी बन्दूक बगैर एम्यूनीशन के चलानी पड़ी। अब ऐसी गड़बड़ वहां पर क्यों हुई? इसके बारे में रिपोर्ट सब से पहली बात तो यह कहती है कि वहां पर न ठहरने के लिए इक्विपमेंट था और न ही औपरेशंस के लिए इक्विपमेंट था। अब इतनी भारी गवर्नमेंट, जिसका कि एक तरफ पाकिस्तान दुश्मन हो और दूसरी तरफ चीन हो, उसको ऐसी डोज कि सैनिकों के पास जरूरी एम्यूनीशन और इक्विपमेंट ही न हो, दिल को बड़ा धक्का और सदमा लगता है।

फिर चीन का हमला कोई अचानक हो गया हो ऐसी बात भी नहीं थी। चीन के आक्रामक इरादे १९५९ से साफ तौर पर प्रकट हो चले थे जब कि उसने सीमा पर हमले करने और हमारे बौर्डर्स को एनक्रोच करना शुरू कर दिया था। क्या यह सरकार सो रही थी? पार्लियामेंट बराबर सरकार को चीन के ख़तरे से सावधान करती रही है। सन् १९५९ से उनकी शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां शुरू हो गई थीं और चीनी बढ़ने लगे थे और हमारी सीमाओं का अतिक्रमण उन्होंने शुरू कर दिया था, सरकार को पूरी तरह से इनकी जानकारी थी और उस रिपोर्ट में इसे साफ़ तौर पर स्वीकार भी किया है, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ़ पाकिस्तान का ख़तरा बर बर रहते हुए भी रिपोर्ट में यह चीज़ आना कि वहां पर जरूरी इक्विपमेंट नहीं था या एम्यूनीशन नहीं था, कितने शर्म की बात है। आख़िर इस गफलत और कोताही के लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी पूरी जवाबदेही इस सरकार पर आती है। एक बड़ा मुल्क जिसका दुश्मन हो, उसकी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां बढ़ रही हों, इमिजिएट डैंजर सामने मौजूद हो और सरकार इस तरह से सोती रह जाए कि हमारे फौजी लोगों को जरूरी साज सामान और हथियार वगैरह न मिल पायें, यह बड़े अफसोस और शर्म की बात है। इस सब के लिए इस सरकार के अलावा और कौन जिम्मेदार हो सकता है?

इसके साथ ही मैं यह अर्ज़ करूं कि सन् १९५७ से लेकर सन् १९६२ तक १३१.९८ करोड़ रुपये डिफेंस में बचता रहा है। सन् ५७ में पार्लियामेंट ने जो रुपया दिया वह बचा और इस तरह से आगे भी दिया जाता रुपया बचता रहा। इस तरह से १३१.९८ करोड़ रुपया बचता रहा है। वह रुपया किस लिये था? वह रुपया आर्म्ज़, एम्युनीशन और आर्डनेंस फैक्टरीज़ के लिए था, लेकिन वह रुपया ख़र्च नहीं किया गया। और फिर कहा जाता है कि डिफेंस मिनिस्टर और इस गवर्नमेंट का क्या कसूर है। क्या यह पार्लियामेंट का कसूर है कि वह बाकायदा रुपया देती रही है, लेकिन आये साल उसको सरप्लस दिखा कर वापिस किया जाता रहा और इस तरह १३१ करोड़ रुपया वापस कर दिया गया? इसका नतीजा यह हुआ कि न एम्युनीशन ख़रीदा गया, न आर्म्ज़ खरीदे गए और न आर्डनेंस फ़ैक्टरीज़ कायम की गईं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ख़ानदान मुग़लिया की आखिरी हुकूमत का यही हाल था कि कहीं घोड़े नहीं थे और कहीं जूते नहीं थे। यह गवर्नमेंट वही नमूना पेश करती है और फिर कहती है कि हमारा क्या कसूर है।

जहां तक इस लड़ाई का ताल्लुक है, यह लड़ाई समुन्दर की नहीं थी, बल्कि हिमालय के बार्डर की लड़ाई थी। हमारी चौदह स्टेट्स में जितना भी इंजीनियरिंग स्टाफ था, क्या वह उस सब पहाड़ी इलाके में सड़कें वगैरह बनाने के लिए नहीं लगाया जा सकता था? लेकिन हमारे फौजियों ने आकर बताया कि हमारे अफसरों के पास नक्शे भी नहीं थे कि हमने किधर जाना है। न तो हमने सड़क तैयार की

और न मैप्स ही तैयार किये। यह गवर्नमेंट कुम्भकर्ण की नींद सोती रही है, जब कि दुश्मन सड़कें बना रहा है और वहां की चप्पा-चप्पा जमीन का मालिक है। इस हाउस में गवर्नमेंट ने और डिफेंस मिनिस्टर ने जो बड़े नाज़ के साथ कहा कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन उन्होंने इस मुल्क की नाक कटवा दी और इस मुल्क का प्रैस्टीज़ ख़त्म हो गया। यहां की फौजों की यह ट्रेडीशन थी और उनके बारे में यह कहा जाता था कि वे पीछे हटना नहीं जानतीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यहां के जनरल खराब हो सकते थे, लेकिन हमारे जवान, हमारे सिपाही ख़राब नहीं हैं।

हमारे पास नक्शे नहीं हैं, रोड्ज़ नहीं हैं। और अब गवर्नमेंट ने इस बारे में क्या किया ? वह दो चार अफ़सरों को प्रासीक्यूट कर रही है और वह भी ढीले तरीके से। इस गवर्नमेंट में यह बीमारी आ चुकी है कि जब कि कभी किसी चीफ़ मिनिस्टर, किसी डिफेंस मिनिस्टर या किसी आफ़िसर के बारे में यह कहा जाये कि वह करप्ट है, ख़राबी कर रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने को एक पर्सनल मैटर-सा बना दिया जाता है। रोड्ज़ न होने की वजह से हमारे कितने नौजवान मारे गये ? ब्रिगेडियर होशियार सिंह, शैतान सिंह—मैं कितनों के नाम लूं ? उनकी आत्मा कैसे ठंडी होगी ? उनकी आत्मा एक ही शक्ल में ठंडी हो सकती है कि जो लोग हमारी हार के जिम्मेदार हों, चाहे वह डिफ़ेंस मिनिस्टर हो, कोई जनरल हो या और कोई हो, उनको डोंक में खड़ा किया जाये और उनका बाकायदा प्रासीक्यूशन किया जाये। अगर ऐसा न किया जायेगा, तो हमारे देश में डेमोक्रेसी कैसे रहेगी ? आज हमारी फौजों का हौसला पस्त हो चुका है। आज होता यह है कि जो भी आदमी नजदीक से नज़दीक जाकर कोई ग़लत रिपोर्ट भी दे दे, उसकी बात को मान लिया जाता और उसको ज्यादा अहमियत मिल जाती है।

न नक्शे हैं, न रोड्ज़ हैं और न इक्विपमेंट है, यह किसकी जिम्मेदारी है ? पैराग्राफ २७ में में जिम्मेदारी के बारे में बहुत दबी हुई आवाज़ में कहा गया है कि विशाल से विशाल सेना को भी सरकार द्वारा उचित पथप्रदर्शन और निदेशों की आवश्यकता होती है।

इसके आगे कुछ नहीं कहा गया। यह नहीं बताया गया कि गवर्नमेंट का जो फ़र्ज़ था, वह उसने किस तरह पूरा किया।

जहां तक आज की तैयारी का सवाल है, उसके बारे में मुल्क में बिल्कुल तसल्ली नहीं है। उसके बारे में आम आदमी की जो खदशा है और फौजों को भी खदशा है। इस रिपोर्ट के पैराग्राफ १९ में कहा गया है': कुछ ऊंचे सैनिक अधिकारियों ने नीचे के अधिकारियों की बुद्धि पर विश्वास नहीं किया।

इसका मतलब यह है कि ब्रिगेड लेबल तक तो ठीक था, लेकिन ब्रिगेड लेबल से ऊपर—और ब्रिगेड लेबल से ऊपर जनरल होते हैं—बड़ी शार्टकमिंग्ज़ थीं। यह क्यों हुआ ? अंग्रेज ने अफ़सरों की भरती और प्रोमोशन के लिए सिर्फ मैरिट को ही सामने रखा, लेकिन पार्टीशन के बाद जो रिक्रूटमेंट हुई, उसमें या तो मिलिटरी आफिसर्स ने बड़ी तादाद में अपने रिश्तेदारों को लेफ्टिनेंट की शक्ल में रक्खा या मिनिस्टर सिफारिश करते रहे कि फ़लां को लेफ्टिनेंट ले लो।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : क्या माननीय सदस्य ने भी ऐसा किया ?

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य भी तो मिनिस्टर थे।

श्री लहरी सिंह : मेरे आदमी तो हमेशा मरते रहे हैं, काश्मीर को बचाने के लिए मरते रहे हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मुझे पता है ।

श्री लहरी सिंह : अब कहा जाता है कि बड़ी तैयारी हो रही है । लेकिन अगर फौज को वाकई ताकतवर बनाना है, तो अस्सी फीसदी सिपाही भर्ती किये जाने चाहिऐं, जो कि आगे चल कर कर्नल और जेनरल बने और २० फीसदी को डायरेक्ट आफ़िसर के तौर पर भर्ती किया जाये । आज सौ मैं से अस्सी तो बाबू साहब भर्ती किये जाते हैं, जिनमें सिर्फ यह खूबी होती है कि वे अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं । पहले तो फ़िज़िकल फिटनेस और इन्टेलिजेंस देखी जाती थी, लेकिन अब फ़िज़िकल फ़िटनेस को उड़ा ही दिया गया है। अब तो एक ही चीज़ रही है कि अंग्रेजी बोलना आता हो। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस जेनरल की वजह से यह हालत हुई, उसकी तरक्की के सवाल को लेकर तीनो सर्विस चीफ्स ने अपने इस्तीफे पेश कर दिये थे । उन्होंने गवर्नमेंट के सामने अपने इस्तीफे फेंक दिये थे और कहा था कि अगर इस किस्म के आदमी को जेनरल बनाया जायेगा, तो यह फौज नहीं चल सकती है । लेकिन उन बेचारों की कौन सुनता था ? उन तीनों चीफ्स ने जो प्रोटेस्ट करना था, वह कर लिया और आखिरकार उनको अपने इस्तीफे वापस लेने पड़े । लेकिन गवर्नमेंट की पालिसी का नतीजा मुल्क को नेफ़ा की रिवर्सिज़ की शक्ल में भुगतना पड़ा । अगर उस जेनरल को तरक्की न दी जाती, तो आज हिन्दुस्तान को शर्म से अपना सिर नीचा न करना पड़ता । लेकिन उसको तो प्रेस्टीज़ का सवाल बना दिया गया था—कहा गया था कि डिफेंस मिनिस्टर यह चाहते हैं ।

इसलिये यह ज़रूरी है कि तरक्की के लिए मैरिट्स को देखना चाहिए । पिछले पांच सात साल मैं मैरिट्स का खयाल नहीं किया गया है, बल्कि जो आफ़िसर ज्यादा नजदीक थे, उनको ही तरक्की दे दी गई । अगर मेरी यह बात ग़लत है, तो सवाल यह है कि क्यों चीफ आफ दि आर्मी स्टाफ को रिज़ाइन करना पड़ा । ट्रिब्यून में एक ब्रिगेडियर ने यह लिखा है कि फौज में जो बड़े आला अफ़सर थे, गवर्नमेंट की तरफ़ से उनको रिटायरमैंट के लिए फ़ोर्स किया गया । बढ़िया से बढ़िया कम्पीटेंट अफसरों को तो रिटायर होने के लिए अफोर्स किया जाये और किसी और जेनरल को प्रोमोशन दी जाये और फिर हिन्दुस्तान चाहता है कि हम चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करें ।

अब भी जो भर्ती हो रही है, उस के बारे में मैं मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि आदमी का इन्टलिजेंट होना ज़रूरी है, लेकिन महज़ अंग्रेज़ी बोलने वालों और किसी तरह से इम्प्रैस करने वालों को अगर अफ़सर बानाया जायेगा, तो उसका यही नतीजा होगा कि जब तोपों की दनादन होगी, तो वे जनरल हास्पिटल में आ कर सोयेंगे । बताया जाता है कि वहां पर जवानों ने कहा कि बाबूजी, क्यों भाग रहे हो । हमारी तरफ के एक सूबेदार-मेजर थे । उन्हों ने कहा कि क्यों भाग रहे हो, यहीं मरना है । वे लोग तो आख़िरी दम तक लड़ते रहे, लेकिन कमांड करने वालों का पता नहीं था । जर्मनी और इंग्लैण्ड में अस्सी फ़ीसदी तरक्कियां सिपाहियों से की जाती हैं । हमारे ब्रिगेडियर बुद्धसिंह और होश्यारसिंह भी सिपाही भर्ती किये गये थे । लेकिन आज अस्सी फ़ीसदी अंग्रेज़ी बोलने वालों और शानदार शक्लों-सूरत रखने वालों को अफ़सर बनाने का नतीजा यह है कि जब बन्दूक और तोप चलती है, तो वे 'खुदा हाफ़िज़' कह कर चल देते हैं । इसी वजह से हमारी रिवर्सिज़ हुईं ।

इसलिए मैं आप की मार्फ़त मिनिस्टर साहब को पुरज़ोर तरीके से कहना चाहता हूं कि जिस तरह जर्मनी, इंग्लैंड, और दूसरे कंट्रीज़ में किया गया है, वैसे ही यहां भी यह तरीका अख्त्यार किया जाये कि सौ में से अस्सी को दो साल के बाद तरक्की दे दी जाये । अफ़सरों के पास इन्टलिजेंस और दिमाग़ के साथ साथ दिल होना भी ज़रूरी है, ताकि वे तोंपों की गड़गड़ाहट और हवाई जहाज़ के

गोलों की आवाज़ को बर्दाश्त कर सकें। उन को लड़ाई की साइंस का भी तजुर्बा होना चाहिये। जहां उन में दिमाग़ होना चाहिये, वहां दिल भी होना चाहिये।

जहां तक भर्ती का ताल्लुक है, उस में एक और नुक्स आ रहा है। पंजाब को स्वोर्ड-आर्म कहा जाता है, उसने हमेशा इस मुल्क की हिफ़ाज़त की है। ख़ानदान मुग़लिया के वक्त पंजाब में भर्ती होती थी। आज इस देश में सैकुलरिज्म का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन पंजाब में हर एक जगह यह हो रहा है कि राजपूतों और जाटों के तगड़े और एफ़िशेंट लड़कों को कहा जा रहा है कि तुम्हारी भर्ती नहीं होगी अब फ़लां क़ौम की भर्ती होगी। और उस कौम वाले आगे आये नहीं हैं। आज सरकार की तरफ़ से इस तरह के तजुर्बे किये जा रहे हैं। जब हमारी एक सैकुलर स्टेट है, तो जो तगड़े से तगड़ा, एफ़िशेंट आदमी हो, उस को भर्ती किया जाये। लेकिन आज पंजाब में मायूसी छा रही है। हज़ारों की तादाद में तगड़े लड़के आते हैं, लेकिन उन को कहा जाता है कि अब फ़लां इलाके में, फ़लां स्टेट में, फलां कौम में भर्ती हो रही है। यह बात नहीं होनी चाहिये। जो फ़र्स्ट क्लास रहा हो, जिस की हिस्ट्री रही हो, जो तगड़ा और एफ़िशेंट हो, उस को भर्ती किया जाये। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा, तो दिखाने के लिए तो बेशक सरकार छः सात डिविज़न तैयार कर ले, तो लेकिन मेरा ख़याल नहीं है कि हिन्दुस्तान की फ़ौज पाकिस्तान और चीन का दोबारा मुकाबला कर सके, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने वाले कर्नल वग़ैरह लड़ाई न होने तक तो खूबसूरत वर्दी वग़ैरह पहन कर चलते हैं, लेकिन जब दनादन होगी, तो वे कहीं नज़र नहीं आयेंगे। यह एक बड़ी ज़बर्दस्त वार्निंग है और इस को याद रखना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि अंग्रेज़ी न हो। वह होनी चाहिये। लेकिन उस से भी ज्यादा जरूरी यह है कि हिन्दी हो। ज्यादा तर फौजी जो होते हैं वे हिन्दी समझते हैं। उन को समझने तथा समझाने के लिए जनरलों को कर्नलों को हिन्दी आनी चाहिए। अगर उन को हिन्दी नहीं आती है तो वे उन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे। उन के लिए बड़ा मुश्किल हो जायगा। उन के साथ कांटैक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जायेगा। मैं कहूंगा कि जहां अंग्रेज़ी हो वहां हिन्दी का होना और भी ज़रूरी है ताकि सिपाहियों में आप जोश भर सकें।

आज यहां बिल्कुल उलटी बात हो रही है। आप मेरे साथ चल कर देखें कि जिन लोगों ने हिस्ट्री बनाई है, उन के जो लड़के आते हैं, हट्टे-कट्टे और तगड़े लड़के आते हैं उन को नहीं लिया जा रहा है। राजपूतों, मराठों, डोगरों, गुज्जरों के कितने ही तगड़े लड़के आते हैं लेकिन तजुर्बे के नाम पर उन को नहीं लिया जाता है। सैक्युलर स्टेट का नाम दे कर दूसरी जगहों पर, दूसरी नौकरियों में तो आप कुछ करते नहीं हैं, लेकिन यहां पर इन में आप ने इस तजुर्बे को करना शुरू कर दिया है। आप ने ज़मीनों पर सीलिंग भी लगा दी है और जिन सिपाहियों के पास थोड़ी-थोड़ी ज़मीनें थीं, उन से वे ज़मीनें भी छीन ली हैं। आप कहते हैं कि आठ एकड़ लोग ज़मीनें नहीं रख सकेंगे, चार एकड़ या दो एकड़ या एक एकड़ ही रख सकेंगे। सक्युलरिज्म इस हद तक आ चुका है कि नौकरियां जो दूसरी होती हैं, उन में यह होता नहीं है, इस को उन में लाया जाता नहीं है लेकिन जब भरती होती है वहां इस को आप ला कर खड़ा कर देते हैं। आप कह देते हैं कि जाटों की भरती नहीं होगी, राजपूतों की भरती नहीं होगी, मराठों की भरती नहीं होगी। यह जो तरीका आप का है यह बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप को कोई तजुर्बा करना है तो वह आप बाद में कर सकते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि कंट्री को तैयार किया जाय। जब तक तमाम कंट्री तैयार नहीं हो जाती है, तब तक आप इस तरह का तजुर्बा न करें। लड़ाई का डर, मौत का डर और तोपों की दनदनाहट हर कोई बरदाश्त नहीं कर सकता है। इस को वही बरदाश्त कर सकते हैं जो सख्त काम करते हैं, वही बरदाश्त कर सकते हैं जो सख्त पेश करते हों और सख्त तरीके से रहते हों। यह जो बारूप आप भरते जा रहे हैं यह फोका

[श्री लहरी सिंह]

है। वैसे ही आप लोगों को खड़े किए जा रहे हैं। यह कौम का सवाल है, मुल्क का सवाल है। जहां पर कौम का और मुल्क का सवाल हो, वहां इस तरह की बातें नहीं उठाई जानी चाहियें ।

आप कहते हैं कि आप आटोमटिक राइफल्ज़ बना रहे हैं। यह ठीक है। लेकिन क्या इन से ही लड़ा जा सकता है ? क्या लड़ाई के लिए और कई बातों की जरूरत नहीं है ? क्या आप के पास काफी और अच्छी सी० आई० डी० है ? इस के बिना आप नहीं जान सकते हैं कि दुश्मन कितना ताकतवर है, उस की क्या हालत है। साथ ही साथ आप देखें कि आज लड़ाई एयर-फोर्स की है, मिसाइल्ज़ की है, दूसरी चीज़ों से वह लड़ी जाती है। आप आटोमटिक राइफल्ज़ पर ही न बैठे रहें। आपके पास क्या अच्छे और बढ़िया हवाई जहाज़ हैं। लोहिया साहब ने ठीक ही कहा था कि हमारे प्रधान मंत्री साहब तो दोनों गुटों के अन्दाज़े लगा रहे हैं, इस गुट के और उस गुट के। मैं कहना चाहता हूं कि रूस से आप को एक पैसा नहीं मिला है और न ही मिलने वाला है। कोई आर्म्स भी आप को मिलने वाले नहीं हैं। आप को इन सब चीज़ों को इंग्लैंड और अमरीका से ही लेना पड़ेगा। वही आप को देंगे। वहां भी आप सोच रहे हैं लें या न लें। जो कुछ आप ने लिया है वह भी दिल से नहीं लिया है। आप कहते हैं कि आप मिग विमान बनायेंगे। छोटी चीज़ें भी जो आप बनाते हैं ठीक नहीं बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मिग हवाई जहाज़ भी नहीं बन सकेंगे और अगर बनेंगे भी तो तब बनेंगे जब दुनिया की लड़ाई भी खत्म हो जायगी। आप ने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया है कि मिग विमान आप बनाने जा रहे हैं। यह उसी तरह से है जैसे जब अम्बर चर्खा ईजाद हुआ था तो कहा गया था कि अब तो मानचेस्टर बन्द हो जायेगा। ये मिग वगैरह कुछ नहीं हैं। आप का नान एलाइनमेंट होता रहेगा। आप को चाहिये कि अमरीका से, रशिया से, जहां कहीं से भी हो ज्यादा से ज्यादा हवाई जहाज़ हासिल करें। मैं तो यह कहता हूं कि बन्दूकों तक ही आप अपने प्रयत्नों को महदूद कर लें। हवाई जहाज़ अगर आप ने बना भी लिये तो भी क्या होगा इस को आप देखें। आज कितनी कज्युएलटीज़ हो रही हैं, इस को आप देखें। नया हवाई जहाज़ आप ने अगर बना लिया तो और भी कई कुछ आप खो बैठेंगें। इस तजुर्बे में आप और भी खो बैठेंगे ।

आखिर में मैं इंटलिजेंस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। रिपोर्ट के आखिर में कहा गया है कि हमारे जनरल भी खराब हैं, गलत तरीके से हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने काम किये, गलत तरीके से लोगों को रिटायर किया। बहुत से ट्रेटर्ज़ क्रिएट कर दिए आर्मी में। आप देखें कि आर्मी में इनाम किन लोगों को दिये गये, तरक्कियां किन लोगों को दी गईं। इनाम उन को मिले जिन्हों ने कोठरियां बनाईं, जिन्हों ने क्वार्टर बनाये, जिन्हों ने भारत सेवक समाज के लिए काम किया, मिट्टी खोदी। दुश्मन हमारे ऊपर बैठा था और यहां ये काम हो रहे थे। उन को ज्यादा तरक्कियां दे दी गईं जिन्हों ने ज्यादा क्वार्टर बनाये ।

इंटेलिजेंस का यह हाल था कि हम पर जब हमला हुआ तो हमें मालूम भी नहीं था कि दुश्मन की पोजिशन क्या है, उन के पास क्या है, उन का बिल्ड-अप कैसा है। मैं एक दो सैंटेंस पढ़ देना चाहता हूं :—

> "हमारी सेनाओं को चीनियों की सामरिक गति का कोई पता नहीं था। शत्रुओं की समरगति के ज्ञान से आत्मविश्वास बढ़ता है।"

आखिर में जो लिखा है :—

"गुप्त जानकारी सन्तोषजनक रूप से एकत्र नहीं की जा सकी । इस से चीनी सेनाओं के जमाव के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हुई । अतः गुप्तचर विभाग में आमूल परिवर्तन किया जाये ।

जिस मुल्क की इंटेलिजेंस न हो जिस मुल्क को यह भी न मालूम हो कि दुश्मन की ताकत कितनी है, उस की कितनी फौज सामने है, उस मुल्क का क्या हाल होगा, इस को आप समझ सकते हैं । क्यों आप अपनी एम्बैसी को वहां बिठाये हुए हैं ? यहां की सारी खबरें तो वहां चली जाती हैं, यहां की एक एक बात वहां चली जाती है, तुम्हारे दफ्तरों की एक एक बात वहां चली जाती है, लेकिन वहां की एक भी बात न आये, यह कितने अफसोस की बात है । जिस मुल्क की इंटेलिजेंस भी तैयार न हो सकी हो, वह क्या कर सकता है । मुझे एक खबर मिली है, मुझे पता नहीं कहां तक यह सच है और उस को मैं आप के सामने रखना चाहता हूं । आप इस का पता लगा सकते हैं । चीनियों ने बहुत ही चालाकी से काम किया है । उन्होंने अपनी कुछ औरतों को भेज दिया कि जाओ और भेद लाओ । वे एक एक्सचेंज में आ गईं और बहुत सी बातों का भेद ले कर चली गईं । यह बात मुझे फौजी ने बताई है और माननीय मंत्री इस की सचाई का पता लगा सकते हैं । उन की इंटेलिजेंस में लड़कियां लगी हुई हैं, उन की एम्बेसी लगी हुई है, यहां के भी कुछ लोग लगे हुए हैं लेकिन जहां तक हमारी इंटेलिजेंस का सम्बन्ध है, हमारी एम्बसी एक कोने में वहां बन्द पड़ी हुई है, उस में कोई ताकत ही नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि इंटलिजेंस का न होना, आर्मी का न होना, अच्छे जनरल्ज़ का न होना, रोड्ज़ का न होना, अच्छे हथियारों का न होना, क्या इस पार्लिमैंट का कसूर है ? कसूर सिर्फ किसी मिनिस्टर का ही हो सकता है डायरेक्टली उसी का हो सकता है, उसी को चार्जशीट किया जा सकता है, उसी पर इंडिक्टमैंट है और उस को डाक में खड़ा किया जाना चाहिये । यह कहना कि पंडित जी को गुमराह किया गया, कोई मानी नहीं रखता है । सरदार पटेल जो एक बार कह दिया करते थे, उस को पूरा कर दिया करते थे । उन्होंने कहा हैदराबाद में यह हो और वह हुआ । उनकी बात लोगों को जंच जाती थी । प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जाओ, चीनियों को निकाल दो लेकिन कुछ नहीं हुआ । पंडित जी सौ तकरीरें दे लें, लोगों को पंडित जी पर यकीन नहीं होता है । एक तरफ तो उन्होंने कह दिया कि एनक्रोचमैंट को खत्म कर दो लेकिन बाद में जब वह बात नहीं होती है तो कुछ जंचता नहीं है । मैं प्रधान मंत्री जी की इज्जत करता हूं लेकिन में कहना चाहता हूं कि इस तरह से लोगों में एंथ्यूजिएज्म पैदा नहीं होता है । नारा आप लगाते रहे लेकिन नारे से कुछ होता नहीं है । अच्छाई इसी में है कि उचित रीति से और सोच समझ कर ही आप कुछ तबदीली करें ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नेफा के सामरिक कटु अनुभव को और उस पर की गई जांच रिपोर्ट को देखने के कितने ही पहलू हैं । पहला और स्वस्थ दृष्टिकोण तो यह होगा कि हम देखें कि अपने इन कटु अनुभवों के बाद, अपनी असफलताओं के बाद हम भविष्य में अपनी फौज को किस प्रकार सुव्यवस्थित करें, इस का संगठन किस प्रकार से करें । दूसर दृष्टिकोण यह है जिस को ले कर हमारे प्रकाशवीर शास्त्री जी ने इस वाद विवाद को प्रारम्भ किया है या चौधरी लहरी सिंह जी ने जिस का ज़िक्र अपने भाषण में किया है । उन्होंने कहा है कि भारत सेवक समाज हमने पैदा किया है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश ने भारत सेवक समाज जैसी संस्थायें पैदा की हैं उस देश ने चौधरी लहरी सिंह जैसे विद्वान भी पैदा किये हैं जिनको मिग विमान फैक्ट्री और अम्बर चर्खे में कोई फर्क नजर नहीं आता है । यह कैसे कहा जा

[श्री भागवत झा आजाद]

सकता है कि कुछ पैदा नहीं हुआ है । बहुत कुछ पैदा हुआ है । प्रश्न केवल दृष्टिकोण का है । कुछ सज्जन हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा है और उन को नेफा की असफलताओं में अपनी फौज की पराजय का ही रूप दिखाई देता है । मैं समझता हूं कि नेफा की असफलताओं को पराजय का रूप देना और अपने जवानों के बारे में यह कहना कि चीनी लड़कियों के साथ वे चुम्बन में थे, यह कहना कि हमारी फौज के बहादुर जवान, हमारी फौज के बहादुर अफसर शराब पीते हैं, हमारी फौज के बहादुर लोगों के साथ . . . .

श्री लहरी सिंह : गलत कह रहे हैं माननीय सदस्य । मैंने यह कभी नहीं कहा ।

श्री भागवत झा आजाद : उन्होंने यह कहा है कि सुनने में यह आया है कि चीनियों ने अपने यहां की औरतों को भेज दिया हमारी फौज में और हमारी फौज के आदमी उन में मग्न हो गये । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य इस तरह की बातें हमारी फौज के बारे में कह कर उसका मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं ।

मैं यह कह रहा था कि इस रिपोर्ट को देखने का एक दूसरा रूप है, एक दूसरा दृष्टिकोण है जो स्वस्थ दृष्टिकोण है । यह ठीक है कि हमने गलतियां की हैं, हमें असफलता का सामना करना पड़ा है, हमें कटु अनुभव हुआ है । लेकिन जैसा हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया है इस रिपोर्ट का एक उद्देश्य है और वह यह है कि किस प्रकार से इन असफलताओं के आधार पर हम अपनी फौज का, चाहे वह पहाड़ी युद्ध हो या मैदानी, चाहे वह जवानों के सम्बन्ध में हो या अफसरों के सम्बन्ध में, चाहे वह सामरिक अस्त्रों के सम्बन्ध में हो या दूसरे अस्त्रों के सम्बन्ध में हो, किस प्रकार से संगठन कर सकते हैं, इस को देखना चाहिये । जो रूप इस वाद-विवाद को पिछले दो तीन दिनों से दिया जा रहा है, उस से तो यही ध्वनि निकलती है कि हमारे विरोधी दलों के माननीय सदस्य यही चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का सिर उड़ा दिया जाये । दुर्भाग्य तो यह है कि उन्होंने कोई इतिहास नहीं पढ़ा । अगर उन्होंने इतिहास पढ़ा होता तो उन्हें मालूम होता ऐतिहासिक द्वितीय महायुद्ध में या उस के पहले प्रथम महायुद्ध में जब लायड जार्ज ने गैलप पोल कैम्पेन में चर्चिल को अंधकार के गर्त में भेज दिया तो उस के बाद भी इंग्लैंड की जनता ने द्वितीय महायुद्ध में उसे अपना नेता बनाया, और नेता बनाने के बाद दो साल तक इंग्लैंड के गणतन्त्र को, जब उस के साथ में अमरीका था, जब उस के साथ उस का अधिनायक तन्त्र था, उस के प्रधान मंत्री चर्चिल को अपनी पराजय को रूस पराजय नहीं बल्कि युद्ध के विध्वंस को हाउस आफ कामन्स में कहना पड़ा । दो साल तक उस भयंकर स्थिति में जब इंग्लैंड की हार पर हार होती गई, जब हिटलर के नाश्ते के वक्त हालैंड को लिया और उस के बाद खाने के वक्त डेनमार्क को लिया, जब फ्रांस की मैजिनी लाइन बारह घंटों में टूट गई, उस वक्त भी हाउस आफ कामन्स के अन्दर चर्चिल की सरकार में अविश्वास प्रस्ताव नहीं पेश किया गया । इंग्लैंड की जनता ने, हाउस आफ कामन्स ने वहां की फौज को, वहां की आर्मी को शराब पीने वाला ड्रंकर्ड नहीं बतलाया, वहां की जनता ने अपने जवानों पर यह लांछन नहीं लगाया कि वे विदेशी औरतों के साथ थे । लेकिन क्या किया प्रकाशवीर शास्त्री ने ? क्या किया लहरी सिंह ने ? क्या किया नाथ पाई ने ? नाथ पाई ने कहा, हमारे सामने उन्होंने यह कहा, कि वहां के जवानों ने कहा कि उन्हें जानवरों की तरह से मारा गया । मुझे उन के कहने पर दुःख है । हमारी फौज ने यह नहीं कहा कि हम जानवरों की तरह से मारे गये, हमारी फौज ने कहा कि हम बड़ी बहादुरी

के साथ मरे। कविता बनाने वाले नाथ पाई को यह बात मालूम नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि सब से बड़ी हानि इस देश को हो रही है पी० एस० पी० के महान् मस्केटियर से, इस देश की हानि हो रही है प्रकाशवीर शास्त्री से। यह हानि हो रही है इस देश की जनता के मनोबल की, इस देश के फौज के मनोबल की और इस देश के लोगों . . . .

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : देशभक्ति के ठेकेदार तो आप हैं।

श्री भागवत झा आजाद : आप समझिये। द्वितीय महायुद्ध में होर बेलिशा को जो इंग्लैंड के रक्षा मंत्री थे, वहां के सूचना मंत्री मैकमिलन को, जोकि वहां के सूचना मंत्री थे, सरकार से हटना पड़ा था। शायद माननीय सदस्य ने इतिहास नहीं पढ़ा, महायुद्ध की कहानियां नहीं पढ़ीं। उसी समय में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बीसों कमांडरों ने अपने स्थान छोड़ कर नये आदमियों को स्थान दिये। लेकिन इंग्लैंड, अमरीका या रूस की जनता ने इस तरह नेफा जैसी रिपोर्ट पर सिर्फ एक, दो, तीन डिवीजनों को नहीं, सम्पूर्ण फौज को गालियां दे कर अपनी जनता के मनोबल को नहीं तोड़ा। यह किसी ने नहीं कहा, कब कहा प्रधान मंत्री ने, कब कहा रक्षा मंत्री ने, कि मुझ से गलतियां नहीं हुईं।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे पास सामरिक अस्त्र नहीं थे। यह भी कहा गया है यहां पर, विरोधी सदस्यों का कहना था कि जो सामरिक अस्त्र थे वे फ्रंट्स पर नहीं थे, मोर्चों पर नहीं थे। लेकिन यह कहना झूठ है। यह कहना कि उन के पास जूते नहीं थे, यह झूठ है। श्री नाथ पाई ने बड़े जोर जोर से कहा कि तुम कांग्रेस वाले कहते थे कि जूते नहीं थे, तुम कांग्रेस वाले कहते थे उन के पास अस्त्र थे और हमारे इन चीजों के नहीं होने की बात डिफेन्स मिनिस्टर ने कहा कि **यस, यस, यस**। कहां कहा डिफेन्स मिनिस्टर ने "**यस, यस, यस**" ? डिफेन्स मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास ओवर आल इक्विपमैंट की कमी थी। लेकिन यह कहना कि वहां सामरिक अस्त्र नहीं थे यह झूठ है। इस पर मुझे वह बात याद आ जाती है जो कि हिटलर कहा करता था। हिटलर ने कहा कि एक झूठ को सौ बार दोहराओ तो वह सच होगा। हिटलर ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति को तोड़ दो (**ब्रेक दि एकानमिक स्ट्रेंथ**), हिटलर ने कहा कि देश के मनोबल को तोड़ दो और उस के बाद फौज पर दखल हो जायेगा। मेरी यह निश्चित राय है कि हमारे यह विरोधी सदस्य चाहे वे पी० एस० पी० के हों चाहे जनसंघ के हों चाहे प्रकाशवीर शास्त्री के रूप में हों, यह इस देश की जनता के मनोबल को, यह इस देश की फौज के मनोबल को, यह इस देश के नेतृत्व को, उस जवाहरलाल के नेतृत्व को जिस के नेतृत्व का डंका सम्पूर्ण संसार में बजता है, तोड़ना चाहते हैं। कोई भी देश युद्ध के वक्त में अपने नेतृत्व को नहीं तोड़ता। अगर किसी देश में युद्ध के वक्त में नेतृत्व नहीं था तो उस ने लीडरशिप को क्रिएट किया, उसे बनाया। लेकिन यहां पर हमारे बहादुर आदमी, जो मिग और अम्बर चर्खे के फर्क को नहीं जानते हैं, चाहते हैं कि इस मनोबल को तोड़ दिया जाये। यह नहीं हो सकता। इसलिये यह कहना कि ऐसी बात कहीं नहीं हुई यह सरासर गलत है। गणतन्त्र कभी भी अपने देश की जनता के मुख से रोटी छीन कर बराबर हथियार नहीं बनाता। यही इंग्लैंड ने किया, यही अमरीका ने किया, लेकिन जब गणतन्त्र के अन्दर अमिट ताकत जागती है तो उस ताकत के जगने के बाद कभी हिटलर जैसे, मुसोलिनी जैसे, आदमियों को शरण नहीं मिलती है।

हिन्दुस्तान के ऊपर चढ़ाई हुई नेफा और लद्दाख में, यह बात सच है, हमारी असफलतायें प्रारम्भ में हुईं, लेकिन कौन इतिहास का विद्यार्थी यह नहीं जानता कि आक्रमण को, इन्वेडर को प्रथम सफलता मिलती है, कौन इस बात को नहीं जानता कि आज तक जितने महायुद्ध हुए,

[श्री भागवत झा आजाद]

चाहे प्रथम महायुद्ध हो चाहे द्वितीय महायुद्ध हो, या आगामी न्यूक्लिअर वार हो, उन में जो आक्रामक होगा उस को स्वभावतया पहले सफलता मिलेगी ? वही सफलता यहां मिली । लेकिन आज लोग भूल रहे हैं विंस्टन चर्चिल के ये शब्द कि :

"डिमाक्रेसी लूजेज़ दि बैटल, नाट दि वार" ।

लोकतंत्र संघर्ष में पराजित हो सकता है, युद्ध में नहीं । हमने एक महान हानि उठाई, लेकिन हम ने आज तक हथियार नहीं डाले, लेकिन यह बात कह कर, इन सारे जुल्मों को यह कह कर कि हमारी फौज के अफसर अपने देश के नक्शे बेचते हैं, यह कह कर कि हमारे देश की फौज के अफसर शराब पी कर सीक्रेट्स बेचते हैं, यह कह कर कि हमारे देश में कुछ है ही नहीं, हमारी असफलताओं को पराजयों की संज्ञा दे कर, यह कह कर कि शैतान सिंह और होशियार सिंह की आत्मायें क्या कहती होंगी लोगों के मनोबल को तोड़ा जा रहा है । मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूं प्रकाशवीर शास्त्री को कि शैतान सिंह और होशियार सिंह की आत्मायें यह कहती होंगी कि हमने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन इस प्रकार की बातें कह कर हम मृत आत्माओं के ऊपर कलंक का टीका लगाया जाता है । इस देश की हजारों विधवाओं के आंसू प्रकाशवीर शास्त्री के जवाब में यह कहेंगे कि हमारे महान् पतियों ने देश के लिये स्वाभिमान के लिये इतना त्याग किया लेकिन आज संसद् में बैठ कर इन तमाम जवानों को, इन तमाम अफसरों को, इन तमाम आदमियों को डरपोक कहा जाता है और उन के सिर पर कलंक का टीका लगाया जाता है ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : डरपोक नहीं कहा गया, यह बिल्कुल झूठ है, यह गलत बात कही जा रही है ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जानता हूं कि ठाकुर यशपाल सिंह ने नहीं कहा । अभी आप के एक मित्र ने कहा कि हमारे जवान जानवरों की तरह से मरे । आप अभी तुरन्त आये हैं, इसलिये आप सुन नहीं पाये । उन्होंने हालात को बतलाया । हमें खुशी है कि अपोजीशन में अभी ऐसे बहादुर आदमी हैं जो कहते हैं कि यह बात गलत है । मैं भी यही कह रहा हूं कि यह सारी बातें गलत हैं । आक्रामक को हमेशा पहले सुविधा रहती है । इसलिये हमारी फौज के सम्बन्ध में, उस की तैयारी के सम्बन्ध में, जो कुछ कहा गया वह गलत है । यह बात मैं मानता हूं कि हमने अपनी प्रायोरिटीज को, हमने अपने उस दबाव को किसी और रूप में देखा । यह सब कोई करता है । मगर सब जानते हैं कि कोई भी आदमी अपने पड़ोसी को शुरू में ही जुल्मी मान कर नहीं चलता है । कोई भी राष्ट्र अपने बगल के राष्ट्र को अन्यायी मान कर नहीं चलता है । किसी ने आज तक नहीं किया । श्री नाथ पाई ने कहा कि १७ साल तक पार्लियामैंट ने डिफेन्स बजट पास किया, लेकिन नाथ पाई यह क्यों भूलते हैं कि जिस समय यह बजट सदन में रखा गया, उस वक्त सिर्फ डिफेन्स का पहलू नहीं था । सम्पूर्ण आय और व्यय का जो लेखा इस सदन के सम्मुख रखा गया उस में डिफेन्स भी था, उस में इरिगेशन एंड पावर भी था, उस में स्वास्थ्य भी था, उस में कम्यूनिटी डेवेलपमैंट भी था । किसी सदस्य ने आज तक नहीं कहा कि इरिगेशन एंड पावर का बजट काट कर, स्वास्थ्य का बजट काट कर, कम्युनिटी डेवेलपमैंट का बजट काट कर, जो डिफेन्स ५०० करोड़ का है उसे ७०० करोड़ का कर दो । मैं आप से इस का एक उदाहरण चाहता हूं । हां, उदाहरण यह है कि आचार्य कृपालानी ने, दि ग्रेट आचार्य (महाचार्य) ने, कहा था कि नहीं, डिफेंस पर सीलिंग लगाओ । इस का उदाहरण है इस सदन के सामने ।

श्री मोहन स्वरूप : जो रुपया यहां से मंजूर किया गया था वह भी तो वापस किया गया अधिकांश ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय सदन में माननीय सदस्य नहीं आये थे उस समय जब यहां पर बजट पास हो रहा था उस में कहीं नहीं कहा गया । क्यों ? इस लिये नहीं कहा गया कि इस देश ने यह चाहा कि हिमालय पहाड़ के उस पार के पड़ोसी से हमारा मैत्री सम्बन्ध हो । हम आज भी इस बात पर जोर देते हैं कि सामरिक तैयारियों के बावजूद भी असैनिक हल खोजने का प्रयास होना चाहिये । कोलम्बो पावर्स ने जो प्रस्ताव रखे आज उनका समर्थन करीब करीब सारा संसार कर रहा है । और रूस ने भी कल बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि चीन आक्रमक था, और चीन से रूस ने कहा है कि कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर हिन्दुस्तान से बात करो । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सामरिक तैयारियों के साथ साथ हिन्दुस्तान को अपनी नीति के अनुकूल दूसरी प्रकार भी इस समस्या के हल को खोजने का प्रयास करना चाहिए । लेकिन इस का यह अर्थ नहीं होता कि हमारी सैनिक तैयारियां न हों । जैसा कि मैं ने पहले कहा इस मामले में इस संसद् की जवाबदेही है और सरकार की भी जवाबदेही है । लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि इस में किसी व्यक्ति विशेष या किसी कमांडर विशेष की गलती थी । हमारे भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन प्रतिरक्षा मंत्री नहीं रहे लेकिन वे जीते जागते इस सदन में सदस्य की हैसियत से बैठे हैं लेकिन फिर भी उन का भूत लोगों के सिर पर चढ़ कर बोलता रहता है । यह चीज कोई हिन्दुस्तान के इतिहास में ही नहीं हुई है, इस प्रकार की परिस्थितियां अन्य देशों में भी आयी हैं और लोगों को अपने पदों से हटना पड़ा है । इस सम्बन्ध में मैं होर वैलिशा, मिस्टर ईडन, मैकमिलन आदि के नाम गिना सकता हूं जब कि द्वितीय महायुद्ध में बहुत से लोगों को अपनी नीति के अनुरूप जब सफलता नहीं मली तो वे चले गये । लेकिन आज जो यहां लोगों के सिर पर जीवित इन्सान का भूत नाचता है । इस का कोई इलाज नहीं है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संसद् ने बार बार इस बात पर बल दिया है कि देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करो । उपाध्यक्ष महोदय, बोकारो, दुर्गापुर ऐसे इस्पात कारखाने कुछ वर्षों में बनाये जा सकते हैं, लेकिन इस्पाती इन्सान बनाने में समय लगता है । हिन्दुस्तान की आजादी के बाद इस देश में उन इस्पाती इन्सानों को बनाया गया जिन इन्सानों ने एक स्वर से आक्रमणकारी के खिलाफ आवाज उठायी और उस को हिमालय के उस पार भेज दिया । मैं समझता हूं कि आज जो तैयारियां हो रही हैं वे ठीक हैं ।

अब मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए एक दो विषयों पर और प्रकाश डालना चाहता हूं ।

रक्षा मंत्री ने हमारी सामरिक तैयारियों के विषय में अपने वक्तव्य में बतलाया कि हमारी आर्डनेन्स फैक्टरीज में दुगना गोला बारूद बनने लगा है और आटोमैटिक वैपन्स बनाये जा रहे हैं । और भी तमाम बातों का उल्लेख किया । हमारे एक माननीय सदस्य ने सिकन्दर की बात कही, पुरु की बात कही, समुद्रगुप्त की बात कही । लेकिन वे भूल जाते हैं कि आज की लड़ाई घोड़ों और फौज की लड़ाई नहीं है । आज सब से महत्वपूर्ण लड़ाई एयर फोर्स की होती है । यह ठीक है कि हमारे मित्रों से हम को कुछ अंशों में सहायता मिल रही है, लेकिन इस का जो इतना ढोल पीटा जाता है, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि हमारे मित्र हम को आटोमैटिक वैपन्स के अलावा और क्या सहायता कर रहे हैं । अगर आज हम को अपनी फौजी

[श्री भागवत झा आजाद]

ताकत को मजबूत करना है तो हम को सुपरसानिक जैदस की सहायता मिलनी चाहिए। अगर हिन्दुस्तान को चीन से फैसला करना है, तो वह नेफा और लद्दाख की बर्फीली घाटियों में नहीं होगा, वह होगा पीकिंग, ल्हासा और दिल्ली तथा कलकत्ता के मैदानों में। इसलिए हम अपनी सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या उन को अपने इन मित्रों से सुपरसानिक जैट मिले हैं। अमरीका ने अपने मित्र अयूबखां को, जब वह वहां पर गयेतो, एकसु परसानिक जैट्स का स्क्वैडरन प्रेजेंट किया। हम जानना चाहते हैं कि क्या हम को पैसा देने पर भी हमारे वे पाश्चात्य मित्र सुपरसोनिक जैट्स देने को तैयार हैं? क्या वह इंग्लैंड जो आज चीन को कामेट जैट एयरक्राफ्ट दे रहा है, हम को भी देगा? हम रूस को धन्यवाद देते हैं कि उस ने हम को मिग वायुयान दिये और उन को बनाने का उपाय भी बतला रहा है। यह ठीक है कि हम को अपनी हर प्रकार की तैयारी करनी चाहिए और अपने डिफैंस को इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन जब हम चीन जैसे जालिम आक्रमणकारी का मुकाबला कर रहे हैं तो हम को अपनी एयरफोर्स को मजबूत बनाना चाहिए, और मैं अपने डिफैंस मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान की सरकार ने अपने पाश्चात्य मित्र इंगलैंड और अमरीका से सुपरसानिक जैट्स की मांग की है, और अगर मांग की है,——तो चाहे पैसे के बदले में ही सही, या किसी और रूप में सही,——उन को क्या जवाब मिला है।

मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारी तैयारियां ठीक हैं और नेफा रिपोर्ट के आधार पर हम को कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में हमें सामरिक तैयारियों के बावजूद असैनिक हल को भी खोजने का प्रयास करना चाहिए। हम को दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए। यह ठीक है कि हमारी नीति नान-एलाइनमैंट की और शान्ति की नीति है, लेकिन इस का यह अर्थ नहीं कि हम दुश्मन के सामने घुटने टेक दें। अपनी नीति के अनुरूप हम तैयारियां करें और साथ साथ असैनिक हल ढूंढने का प्रयत्न भी करते रहें।

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर नगर) : इस प्रस्ताव पर जो भाषण दिये गये हैं वे अविश्वास प्रस्ताव पर दिये गये भाषणों के ही अंश मालूम होते हैं। यह चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में है। निस्संदेह सभा के सभी पक्षों के सदस्यों ने इस विषय पर बहुत सुन्दर भाषण दिये हैं। हमें चाहिये था कि हम इस चर्चा को नेफा की पराजय से प्राप्त सबकों तक ही सीमित रखें। तथापि विरोधी पक्षों के सदस्य इस चर्चा में ऐसी भी बात घसीट लाये हैं जो यहां पर नितांत असंगत हैं।

यह आरोप लगाया है कि प्रतिरक्षा व्यय के लिये दिये गये धन में से पिछले ५ वर्षों में १३० करोड़ रुपयों की राशि वापस की गयी। यह वक्तव्य गलत है। बजट बनाने की प्रक्रिया के जानकार व्यक्ति यह जानते हैं कि कुछ राशि एक से दूसरे वर्ष तक चलती रहती है और निस्संदेह कुछ वर्ष बीतने पर यह राशि बहुत बड़ी दिखायी देती है। बजट की गयी राशि तथा वास्तविक व्यय में अन्तर रहना अनिवार्य है। यह बात सभी मंत्रालयों पर लागू होती है केवल प्रतिरक्षा मंत्रालय पर ही नहीं।

मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि चीन का पुनः हमला होगा। अतः हमें एक दूसरे के दोषों को भूल कर ऐसे संगठित प्रयत्न करने चाहिये कि हम शत्रु का मुकाबला करें। विरोधी पक्षों

†मूल अंग्रेजी में

ने सारा आरोप कांग्रेसी शासकों पर थोपने की कोशिश की है तथा मेरे विचार से यह बात गलत है क्योंकि भविष्य में यह आरोप विरोधी पक्षों पर भी लगाया जा सकता है ।

यह कहना कि सेना में सब कुछ ठीक है और सरकार या मंत्रियों में खराबी है, लोकतंत्र की जड़ें खोदने के बराबर है ।

प्रतिवेदन में यह स्पष्ट दिया गया है कि सेना में बहुत सी त्रुटियां थीं । कुछ जवानों का कहना है कि उन के अफसरों ने अपने नेतृत्व के उत्तरदायित्व को नहीं संभाला । मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि ऊंचे पद वाले अधिकारी ही दोषी हैं ।

जैसा कि प्रधान मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा है, हमारी सेना को ब्रिटिश नमूने पर प्रशिक्षित किया गया है । चूंकि युद्ध के तरीके, सामान आदि हर वर्ष बदलते रहते हैं । इसलिए कहा जा सकता है कि हमारी सेना को उस अवसर के अनुसार प्रशिक्षित नहीं किया गया । यदि सरकार द्वारा दी गई सलाह या मार्गदर्शन को हस्तक्षेप कहा जाये, तो यह सारी सेना के काम की प्रणाली को विफल बनाना है । श्री चर्चिल ने जिन्होंने ब्रिटेन के लिये युद्ध जीता था, केवल प्रधान मंत्री का ही काम नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सेना और युद्ध के हर कार्य में रुचि दिखाई थी । यदि कुछ मंत्री या सदस्य इस हद तक काम कर सकते हैं, तो उन की निन्दा करने की बजाय, हमें उनको बधाई देनी चाहिये । हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं, जब कोई मंत्री शत्रु के विरुद्ध युद्ध जीत सके । यह प्रचार करना उचित नहीं है कि सैनिकों के पास जूते नहीं हैं, खाना नहीं इत्यादि और इस तरह उन में विद्रोह की भावना पैदा की जाये । हमें अपने सैनिकों में युद्ध के लिए उचित उत्साह पैदा करना है । उन्हें आवश्यक प्रेरणा मिलनी चाहिये, जो केवल अच्छे सैनिक नेता ही दे सकते हैं ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित–आंग्ल-भारतीय) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री से इस बात पर सहमत हूं कि हमें अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहिये किन्तु ऐसी कोई बात कहनी या करनी नहीं चाहिये जिस से शत्रु को जानकारी मिले या हमारे अपने जवान निरुत्साहित हों। जो सरकार अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं, वह इस से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती। यद्यपि वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री ने अपने पूर्वाधिकारी से कुछ अधिक जानकारी दी है, मैं अनुभव करता हूं कि सरकार को सदन को और देश को विश्वास में लेना चाहिये था।

यह बात मानी गई है कि हमारी सेना के पास सामान की कमी थी, सड़कों और परिवहन का उचित प्रबन्ध नहीं था और गुप्तचर विभाग भी असंतोषजनक था। ये सब बातें भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री पर एक भारी आरोप है। उन की यह आदत थी कि वे इस सदन को और देश को अन्धेरे में रखते थे और उन्होंने कभी सदन को कोई जानकारी नहीं दी। उन की यह बात बिल्कुल झूठी थी, जो कि उन्हों ने कई बार दुहराई है कि हमारी प्रतिरक्षा तैयारी पर्याप्त है । ऐसा आश्वासन बार बार दे कर उन्होंने सदन और देश को धोखे में रखा है।

मुझे उन त्रुटियों के बारे में अधिक चिन्ता नहीं है, जो कि विवरण में बताई गई हैं। न ही मुझे इस बात की चिन्ता है कि कुछ प्रौढ़ उमर के अफसर असफल रहे हैं। ऐसे अफसर हर शान्ति की समय की सेना में होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

मैं अनुभव करता हूं कि प्रतिवेदन का सब से अधिक महत्वपूर्ण भाग, जो कि राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में है, सदन को जानबूझ कर नहीं बताया गया, क्योंकि इस के प्रकट करने से भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री पर अत्यधिक गहरा लांछन लगता था।

भारतीय सैनिकों में इस समय रोष की भावना है, क्योंकि भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री के अपराध को छिपाने के लिये हमारे जवानों और वरिष्ठ अफसरों को बदनाम किया गया है। कुछ अफसर ऐसे हैं, जिन पर विश्व की अच्छी से अच्छी सेना को गर्व होगा। प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा है कि अधिकतर त्रुटियां ऊंचे स्तर पर देखी गई थीं। उनका अभिप्राय मेजर जनरल और ऊपर के अफसरों से था। मेरे विचार में यह कहना उचित या न्यायपूर्ण नहीं है। हम में से अधिक लोग जानते हैं कि वे दो मेजर जनरल कौन थे।

मैं यह चाहता हूं कि संकार्य निकाय कमांडर की असफलता को देख कर सभी जनरलों की निन्दा की जाये। उस की असफलता तो प्रकट है ही और इस की आशा भी की जा सकती थी कि वे असफल रहेंगे। किन्तु इस में भी उन का दोष इतना नहीं था जितना भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री का था। मैं नाम नहीं लेना चाहता परन्तु मैं कह सकता हूं कि श्री कृष्ण मेनन ने भारतीय सेना के वरिष्ठ अफसरों में बहुत उथल पुथल पैदा की और जो अच्छे अच्छे स्वाभिमानी योद्धा जनरल थे, उन सब को निकाल बाहर किया। उन्हों ने अपने पास ऐसे अफसरों को जमा कर लिया, जो उनके राजनैतिक आदेश मानने के लिए तैयार हों। कुछ जनरलों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया।

बलाधिकृत की नियुक्ति जानबूझ कर एक बन्धुपक्षपाती राजनीतिक नियुक्ति थी। चाहे वह बहुत अच्छे व्यक्ति हों किन्तु वे अच्छे योद्धा ज़नरल नहीं थे और वे श्री कृष्ण मेनन के सामने बिल्कुल प्रभावहीन थे। किन्तु सब से अधिक बड़ा अपराध संकार्य निकाय कमांडर की नियुक्ति थी। उन के बारे में सदन को बार बार यह बताया गया कि उनको लड़ाई का बहुत अनुभव है, जो कि बिलकुल गलत था। उनकी नियुक्ति से सारी सेना का उत्साह गिर गया था और सब को यह आशा थी कि नेफ़ा में असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। मैं इन असफलताओं के लिए जनरलों की अपेक्षा श्री कृष्ण मेनन को अधिक दोषी ठहराता हूं। यदि वे अपने पद पर कुछ समय के लिए और रह जाते, तो उन्होने सारी भारतीय सेना को नष्ट कर दिया होता।

मैं कहता हूं कि जब तक सरकार प्रतिवेदन के उस भाग को, जिसमें नेफ़ा की भगदड़ का कारण राजनैतिक हस्तक्षेप बताया गया है, छुपाती रहेगी, तब तक जानबूझ कर तोड़फोड़ करने का आरोप कायम रहेगा। सरकार को १९५७ से मालूम था कि इस देश को चीन से खतरा है, फिर भी उस के साथ युद्ध के लिए हमारी सेना को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। उनको ऊंचाई पर लड़ने का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। चीनियों के वापस चले जाने के कारण केवल ये नहीं थे, कि राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हो गई थी और हमें पश्चिमी देशों से सहायता मिलने लगी थी, बल्कि यह भी था कि श्री कृष्ण मेनन को उन के पद से हटा दिया गया था।

समाचारपत्रों में यह बहुत पहले से प्रकाशित हो रहा था कि चीनी अपनी सेनायें सीमान्त पर इकट्ठी कर रहे हैं और सरकार को इस के बारे में अवश्य मालूम होगा फिर

भी उसने अपनी मुट्ठी भर सेनाएं वहां भेजीं, जिन के पास कोई सामान नहीं था, और जिन्हें ऊंचाई पर लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। जनरलों की सलाह को न मानने का क्या कारण था। मेरे पास १८-५-१९६३ की एक साप्ताहिक पत्रिका 'फ्लेम' की प्रति है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि राजनीतिज्ञ अनावश्यक तौर से सेना में हस्तक्षेप न करते तो हमारी सेना चीनियों के साथ अच्छी तरह लड़ती।

†**श्री मानवेन्द्र शाह** (टिहरी गढ़वाल) : जांच समिति का काम, प्रतिवेदन की कंडिका ४ के अनुसार सीमित प्रकार का था और उस में स्पष्ट कर दिया गया है कि जांच का मुख्य प्रयोजन सैनिक सबक सीखना था।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रतिवेदन को उचित रूप से समझने के लिए यह अत्यावश्यक है कि उस समय पाई जाने वाली परिस्थितियों को समझा जाये। केवल तभी सरकार स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठा सकती है।

एक त्रुटि जो बताई गई है, यह है कि सरकार की ओर से हस्तक्षेत किया गया। यह ठीक हो सकता है, किन्तु हमें याद रखना चाहिये कि प्रतिरक्षा मुख्यालय और सरकार का सम्बन्ध उस सामरिकता से है, जो कि सारे देश में अपनाई जानी है, क्योंकि उन के पास सीमान्तों के बारे में सारी जानकारी होती है, सरकार को युद्ध भी ऐसे चलाना होता है कि देश में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और अन्तर्राष्ट्रीय नीति को भी ध्यान में रखा जाये। इस आपातकाल में, जो पिछले वर्ष पैदा हुआ था, सरकार और कमांडरों के बीच सम्पर्क का बना रहना आवश्यक था। वास्तव में मैं यह कहूंगा कि आकस्मिक हमले के कारण स्थानीय कमांडरों को केन्द्र से निरन्तर सलाह लेनी पड़ी थी। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय सामरिकता महत्वपूर्ण है और कमांडरों को राजनीतिक प्राधिकार के आदेश मानने ही चाहियें।

दूसरी बात यह कही गई है कि पहले से उचित सावधानी नहीं बरती गई थी। मैं समझता हूं कि उस स्थिति में पूरी सावधानी बरती गई थी। यह एक माना हुआ सिद्धांत है कि लड़ाई से पहले राजनीतिक सावधानी से काम लिया जाता है। मेरे विचार में सरकार ने मनोवैज्ञानिक युद्ध की धारणा न पैदा कर के ठीक किया था। यदि ऐसा किया गया होता, तो सदन इस पर आपत्ति करता।

एक और बात यह उठाई गई थी कि हमारे जनरल योग्य नहीं थे। किन्तु जनरल कैसे बनते हैं? मैं समझता हूं हमारे जनरल शान्ति के समय के जनरल हैं। योद्धा जनरल तब पैदा होते हैं जब युद्ध चल रहा हो। हमारे लिए अपने जनरलों की निन्दा करना उचित नहीं और हमें यह कोई राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिये। इससे केवल वे ही नहीं हतोत्साहित होंगे, बल्कि सैनिकों पर भी इस का प्रभाव पड़ेगा।

सरकार को गोरिला युद्ध पद्धति चालू करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिये, क्योंकि चीनी इस प्रकार के युद्ध में माहिर हैं। दूसरे जिन पहाड़ियों में हमें चीनियों का सामना करना पड़ रहा है, वह स्थान इस प्रकार के युद्ध के लिए उपयुक्त हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : अध्यक्ष महोदय, नेफ़ा इनक्वायरी और अवर डिफेंस प्रीपीएर्डनेस, इन दोनों मोशंस पर पिछले दो रोज़ से इस सदन में बहस चल रही है ।

भारत देश पर चीनी आक्रमण को चीनी इतिहास की पृष्ठभूमि में देखना चाहिये । सन् १९४९ में चीन ने वर्तमान कम्युनिस्ट रैजीम पावर में आई । पावर में आने के चंद महीनों के बाद ही कम्युनिस्ट चाइना ने जो नक़शा प्रकाशित किया उस में हिन्दुस्तान की ५०,००० वर्गमील भूमि को चीनी भूमि दिखलाया गया था । उस नक़शे को देख कर ही हमें चीनियों की विस्तारवादी मनोवृत्ति का परिचय हो गया था और यह पता चल गया था कि हिन्दुस्तान के एक बड़े भूभाग पर उनकी कुदृष्टि है । सन १९५० में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया और उस को अपने पंजों में जकड़ लिया उसी दिन से हम को जाग्रत हो जाना चाहिए था और चीन के बढ़ते हुए हमले से हम को अपनी रक्षा के लिए पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए थी । तिब्बत जब तक बफ़र स्टेट के रूप में हमारे और चीन के बीच में विद्यमान था तब तक हमें उतना ख़तरा नहीं हो सकता था लेकिन जिस दिन से उन्हों ने तिब्बत कम्युनिस्ट चाइना का अंग बना लिया उसी दिन से हमारी गफलत छूट जानी चाहिये थी । लेकिन यह बदक़िस्मती की बात है कि यह गवर्नमेंट और उस के बड़े नेता तब भी नहीं जागे और हम अपने को इसी भुलावे में रक्खे रहे कि चीन का हमारे ऊपर हमला नहीं होगा और हम ने उस से दोस्ती जमाने की कोशिश की । चीन के साथ हम ने पंचशील के आधार पर मैत्री स्थापित की और उस के साथ बैठ कर हिन्दी-चीनी, भाई भाई के नारे लगाये । हम उस की आक्रमणकारी नीति को तब भी न समझ सके । जिस पंचशील को आधार बना कर उन के साथ हम ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किये उस में एक वाक्य यह था "म्युचुएल रिस्पैक्ट एंड इंटैगरेटी" । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक चीनी हुकूमत अपने उस नक़शे को जिस में उस ने भारत भूभाग की क़रीब ५०,००० वर्गमील ऐरिया को चीनी प्रदेश दिखलाया था, उस को बदलने और ठीक करने को तैयार नहीं थी, तब तक इस तरह के पंचशील के समझौते पर चीन के साथ हस्ताक्षर करना बिलकुल बेमानी था । लेकिन हम ने अपनी ग़लती से, अपने भोलेपन से अपने सादेपन के कारण हिन्दी-चीनी भाई भाई का नारा लगा कर हम ने उन के साथ बैठ कर दस्तख़त कर दिये हालांकि चीनी नकशे में हिन्दुस्तान के काफ़ी बड़े सीमावर्ती भूभाग को चीनी प्रदेश दिखलाया हुआ था । इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि हमारी सरकार गफलत में पड़ी रही, चीनी पालिसी को उस ने ग़लत समझा और उस का नतीजा यह हुआ कि जब २० अक्तूबर को गये साल चीन ने भारत पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू किया तो हमारी साइड उस का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थी और परिणामस्वरूप हमें हार खानी पड़ी और शर्मिंदगी उठानी पड़ी । यही नहीं कि वह हमला कोई एकदम से और पहला हमला था । उस के पहले सीमा वारदातें काफ़ी होती रही हैं । खुद संरक्षण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका "लीडिंग इविंट्स औफ़ इंडिया-चाइना रिलेशंस, १९४७ टु १२ जुलाई, १९६२" में यह प्रकट किया गया है कि चीन द्वारा अतिक्रमण की तक़रीबन ११८ घटनायें हुई हैं । उस में आख़िरी डेट १२ जुलाई, १९६२ है । पहली अतिक्रमण का घटना उन की १३ अगस्त १९५० से शुरू होती है और आख़िरी १२ जुलाई १९६२ को होती है । अब अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर इन तीन महीनों की घटनाओं को भी अगर हम उस में जोड़ दें तो ऐसी घटनाओं की संख्या क़रीब १५० के हो जाती है । अब इस पुस्तिका को देखकर कोई भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि चीन की असली मंशा भारत पर हमला करने और उसके सीमांत प्रदेशों को हथियाने की थी और इसलिए ऐसा मानना कि २० अक्तूबर का हमला कोई एकदम और ऐबरप्टली हुआ ग़लत बात होगी ।

यही नहीं मैं बतलाना चाहता हूं कि चीनी हमले का उद्देश्य महज़ भारत की कुछ ज़मीन ही हथियाने का नहीं था । कुछ मैदानी ज़मीन और पहाड़ी इलाका ही छीनने की उस की मंशा नहीं थी ।

चीन का दरअसल भारत पर हमला करने का क्या मक़सद था उसे मैं अपने लफ़्ज़ों में न रखते हुए, **इंडिया-चाइना बौर्डर डिस्प्यूट, राणा** सत्यपाल ने एडिट किया है, की किताब में से कोट करना चाहूंगा कि उन्हों ने इस के बारे में क्या लिखा है ? वे अपनी उस किताब में यूं लिखते हैं :—

"सीमान्त पर इस शत्रु के होते हुए, जोकि हमारी आज़ादी, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए और एशिया के छोटे देशों के लिए खतरा है, भारत आत्म-सन्तुष्ट नहीं हो सकता। साम्यवादी चीन मानव जाति का, विश्व का, प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं का, श्रमिक वर्गों का शत्रु है।'

कम्युनिस्ट चाइना की नीति स्पष्टरूप से तानाशाही और विस्तारवाद की है। वह अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। उस का विश्वास प्रजातंत्री सिद्धान्तों में बिलकुल नहीं है और वह चीन में हिन्दुस्तान अगर पूरा नहीं तो उस का काफ़ी बड़ा हिस्सा मिलाना चाहता है। एसा ख़्वाब चीन देख रहा है। चीन यह नहीं देख सकता कि उस का कोई पड़ोसी जनतंत्री सिद्धान्तों पर चल कर और स्वतंत्र नीति अपना कर प्रगति करे। उस के दिल में भारत के प्रति एक जलन पैदा हो गयी है और इसी वजह से वह हमला कर के हमारी ज़मीन छीनना चाह रहा है। चीन के असली रूप के बारे में अब भारत को कोई धोखा या मुग़ालता नहीं रहना चाहिये। चीन के भारत पर हुए आक्रमण को बौर्डर वार ही नहीं समझना चाहिये बल्कि यह समझना चाहिये कि वह भारत के प्रजातंत्री ढांचे को जड़ से ही नष्ट कर देना चाहता है और इस तरह से अपने साम्राज्यवादी और विस्तारवादी इरादों और मंसूबों को पूरा करना चाहता है।

इतना ही नहीं मैं आप को बतलाऊं कि १४ मई १९६२ को हमारे प्रधान मंत्री खुद चीन को क्या लिखते हैं ? उन को ख़त लिखते हैं कि हम अक्साई चिन सड़क का चीन द्वारा सिविलियन यूज़ करने के लिये राज़ी हैं। हम उस वक्त भी उन की असली मंशा और नीयत को नहीं समझ सके और इस तरह का उन को ख़त लिखा था :—

"उन्हों ने १४ मई, १९६२ को फिर सुझाव दिया था कि पश्चिमी क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सेनायें चीन और भारत की सीमाओं से हट जायें। वे चीन द्वारा अकसाई चीन के प्रयोग के लिए भी तैयार थे। परन्तु चीन सरकार ने यह नहीं माना।"

इस के अतिरिक्त जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया और उस को अपने अधीन कर लिया तो हम चुप रहे और हम ने तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। यह हमारी दूसरी ग़लती थी। राजेन्द्र बाबू ने तिब्बत की आज़ादी का सवाल उठाया था लेकिन हम ने चुपचाप तिब्बत का हरण स्वीकार कर लिया और इस आशा में स्वीकार कर लिया कि चीन से हमारी दोस्ती जमी रहेगी। हम ने चीन के ख़तरे को उस समय भी नहीं समझा।

भारत चूंकि एक शांति प्रिय देश रहा है। शांति की उस की बेसिक नीति है और उसी को ले कर यहां उस ज़माने में गांधी पीस फाउंडेशन की कान्फ्रेंस हुई थी और उस में यह कामना प्रकट की गई थी कि दुनिया में सब लड़ाई झगड़े समाप्त हों और सर्वत्र शांति स्थापित हो। लेकिन शांति की बात चीन को कभी अपील करने वाली नहीं थी और इधर हम शांति का ढिंढोरा पीटते रहे और उधर वह आगे बढ़ता रहा। हम ने चीन के असली स्वरूप को पहचानने में सख़्त धोखा खाया और उसी का परिणाम यह है कि हम ने काफ़ी बड़ा हिस्सा अपना खो दिया है।

इस बारे में रैडियंस पेपर अपने ४-८-६३ के ऐडीटोरियल में इस तरह से लिखता है :—

"वे लोग जो इस समस्या को जानते हैं, जानते हैं कि इस का इतिहास १९५३ से शुरू होता है, जबकि चीन-भारत संधि हुई थी और भारत ने चीन को उत्तर पूर्वी

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

सीमान्त पर अपने कब्जा करने का मौका दिया । भारत ने एक शत्रु को मित्र समझने में बहुत गलती की ।"

अब इस से ज्यादा साफ मैं चीन के इरादों और नीतियों के बारे में नहीं बतला सकता । एक यही अख़बार नहीं बल्कि कई अख़बारों ने इसी तौर पर लिखा है । इसी बारे में इंडियन औबज़रवर अपने जून २४, १९६३ के ईश्यू में लिखता है :—

"हमारे प्रधान मंत्री बहुत दयालु हैं । वे अपने मित्रों के दोषों को नहीं देखते । कृष्ण मेनन के द्वारा देश को जो हानि हुई है, उन्हों ने उस को नज़रन्दाज़ कर दिया है । यदि ऐसा व्यक्ति प्रधान मंत्री की नज़रों में बना रहा, तो इतिहास का निर्णय कुछ और होगा । "

आगे जो हमारी तैयारियां हो रही हैं उन के बारे में दो, चार शब्द कह कर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । हमें उन को अपनी सीमाओं से बाहर खदेड़ने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हुए अपनी तैयारी करनी है । हमें इस की सावधानी बरतनी होगी और हर संभव तैयारी करनी पड़ेगी कि हमारी इंटैगरेटी कायम रहे, और हमारी सीमायें सुरक्षित रहें ।

नेफ़ा रिपोर्ट से पता चलता है कि वहां पर जवानों को ज़रूरी सामान सुलभ नहीं था, उन के पास लड़ने के लिए ज़रूरी हथियार और गोली बारूद नहीं था । यह सब हमारी ग़फ़लत और असावधानी की बातें अख़बारों में भी छप चुकी हैं । हमें ब्रिगेडियर होशयारसिंह और मेजर शैतान सिंह आदि फौजी जवानों के ख़ून को व्यर्थ न जाने देना होगा । उन्हों ने अपना जीवन इस मातृभूमि की रक्षा के लिए होम कर दिया । अब डिफेंस मिनिस्टर और ऊंचे फौजी अफ़सरों का यह आदेश देने पर भी कि पीछे हट जाओ, उन्हों ने पीछे हटना पसन्द नहीं किया, मोर्चे पर डटे रहे और देश की रक्षा की ख़ातिर बलिदान हो गये । उन्हों ने कहा, "हम लड़ेंगे मरते दम तक" और वे तीन चार दिन तक लड़े उसी थ्री नाट थ्री के साथ—वे उन्हीं मामूली हथियारों के साथ तीन चार दिन तक लड़े । लेकिन सरकार उन को एम्युनीशन और खाना-कपड़ा भी सप्लाई नहीं कर सकी, क्योंकि उन के लिए सप्लाई कनेक्शन ही नहीं था । इस ग़लती को हम किस तरह भूल सकते हैं ? लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो कुछ भी ग़लतियां हुईं हैं, ऐसा इन्तज़ाम किया जाये कि वे दोबारा न हों ।

माननीय मंत्री, श्री चव्हाण, ने जिस दिन अपना पद सम्हाला, उस दिन से ही मुल्क में और हमारे वीर सैनिकों में एक बिल्कुल दूसरी हवा पैदा हो गई और चीनी फौजें भी पीछे हट गईं । उन के पीछे हटने के दो तीन कारण हो सकते हैं । एक कारण तो यह है कि दुनिया की तमाम ओपीनियन हमारे पक्ष में थी और दुनिया की मारल सपोर्ट हम को मिली, जिस की वजह से चीन आगे नहीं बढ़ सकता था । मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि संरक्षण की मुख्य नीति यह होती है कि जो भी लड़ने के लिये आते हैं, हमेशा उन को एन्गेज्ड रखिए या उन को एकदम दूर कीजिये । चीन के पास हमारी जो बीस पच्चीस हज़ार वर्ग मील ज़मीन है, उस को वापस लेने के लिए हम ने १४ नवम्बर को शपथ ली थी । लेकिन हम देखते हैं कि उस के बाद उस शपथ को, उस वचन को, पूरा करने की कोशिशों में धीरे धीरे कमी होती जा रही है, लोगों को भुलावा दिया जा रहा है और उस की याद से भी लोगों को दूर रखा जा रहा है । कहा जा रहा है कि अभी तो वे बार्डर पर ही हैं । वे नेफ़ा के तीन-चौथाई हिस्से तक आ गए हैं, लेकिन उस को वह लाइन आफ़ एक्टुअल कंट्रोल ही कहते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्हों ने जो बीस पच्चीस मील पीछे हटने की बात कही थी, क्या उस पर उन्हों ने ठीक तौर पर अमल किया है, क्योंकि उन के दिमाग़ में लाइन आफ़ एक्टुअल कंट्रोल कोई दूसरी ही

है । प्रधान मंत्री कहते हैं कि वहां पर उन की सिविल पोस्ट्स हैं, लेकिन मेरा अन्दाज़ा है कि वे वहां पर और भी रास्ते बना रहे हैं और उन की खूब तैयारियां हो रही हैं । अगर आईन्दा भी पहले की घटनायें होंगी, तो यह सरकार उन के लिए मुल्क के सामने जवाबदार होगी ।

मैं प्रधान मन्त्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह समझें कि वह सिर्फ चन्द मील ज़मीन को वापस लेने के लिए नहीं आए हैं । इस महान् प्रजातन्त्र का नेतृत्व करने के लिए वह केवल एक पक्ष के समर्थन से सफल नहीं हो सकते हैं । इमर्जेन्सी में केवल एक पक्ष की हुकूमत ताकतवर नहीं बन सकती है । जब तक वह सारी नेशन को अपने पीछे न लें, तब तक केवल एक पक्ष की सहायता और समर्थन से या इमर्जेन्सी की ताकत से हमला-आवर को हटा देना नामुमकिन है । वह हर एक पक्ष को विश्वास में लेकर, हर एक को कन्सल्ट करके हर एक को साथ लेने की कोशिश करें । इस प्रकार की परिस्थितियों में इंग्लैण्ड में भी एक नेशनल गवर्नमेंट कायम की गई थी । मैं यह नहीं कहता कि नेशनल गवर्नमेंट में हर एक पक्ष को लेना ज़रूरी है, लेकिन मैं राष्ट्रीय सरकार उसको कहता हूं, जिसके दिल में देश भक्ति है, जो देश के हितों को सर्वोपरि रखती है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनर्जेन्सी के वक्त तक पक्षों की दृष्टि से न सोचा जाये, पक्षों को भुला दिया जाये । अगर यह देश बचा, तो कांग्रेस भी बच सकती है, पी० एस० पी० भी बच सकती है और कम्युनिस्ट पार्टी भी बच सकती है ।

मैं तो चाहता हूं कि विश्व में भी एक हकूमत हो—एक वर्ल्ड आर्डर हो । लेकिन कम से कम इमर्जेन्सी के जारी रहने तक, चाइनीज़ के इस देश से निकाल दिये जाने तक, खुदा के वास्ते, परमात्मा के वास्ते, कम्यूनलिज्म को नेशनलिज्म के साथ लगा कर नेशनलिज्म को कम न किया जाये । मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह 'नेशन एवाव पार्टीज', की दृष्टि से काम करके हिन्दुस्तान को एक महान देश और प्रजा-प्रभुत्वशाली बनाने के अपने ख्वाव को पूरा करें । वह सब को विश्वास में लें, सब को कन्सल्ट करें, क्योंकि एक राष्ट्रीय सरकार बनाने से इस मुल्क की ताकत बढ़ सकती है, जब कि एक पक्ष, एक कम्यूनिटी और एक प्राविंस की दृष्टि से सोचने और काम करने से देश को नुक्सान होता है । यह प्रार्थना करके मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री चह्वाण की इस भावना की कद्र करता हूं कि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए या करनी चाहिए, जिन से दुश्मन का हौसला बढ़े और हमारे सैनिकों का हौसला पस्त हो । लेकिन मुझे यह कहने में दुख है कि श्री चह्वाण ने कल शाम को राज्य सभा में जो भाषण दिया, उस में दिये गये तर्कों से हमारे सैनिकों का या हमारे देश का हौसला नहीं बढ़ता है ।

मंत्री महोदय को यह तय कर लेना चाहिए कि उर्वसीअं में हमारी जो बड़ी भारी पराजय हुई, उस का कारण वह बताना चाहते हैं या नहीं । अगर वह बताना नहीं चाहते हैं, तो उन को यह बात साफ साफ़ कह देनी चाहिए, क्योंकि इधर उधर के कारण बताने से सिर्फ़ सेना का ही नहीं बल्कि देश का भी हौसला पस्त होगा, इस में कोई शक नहीं है ।

इस पराजय के लिए उन्होंने हमारी सोलह साल की आजादी के ऊपर और उस ढंग से हमारे संविधान पर भी—दोषारोपण किया है । उन्होंने हमारी पराजय का एक कारण यह बताया है कि हमारी आज़ादी सिर्फ़ सोलह साल की है और इसलिए हमारी सेना पक्की नहीं है । यह बिल्कुल ग़लत बात है, क्योंकि जिस दृष्टि से हमारी सेना सोलह साल की है, उस दृष्टि से चीन की सेना भी चौदह साल की होगी, तीस साल की नहीं । अगर अमरीका से मुकाबला करना हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारी सेना सोलह साल की है, लेकिन जब चीन के साथ मुकाबला है, तब हमारी सेना को

[श्री किशन पटनायक]

सोलह साल की कहना ठीक नहीं है। श्री चह्वाण भी जानते होंगे कि हिन्दुस्तान में सोलह साल की बच्ची भी मां बन सकती है, लेकिन उस में अगर वह सफल नहीं होती है, तो उस से एक अंदाज़ लग सकता है कि उस को चलाने वाला नपुंसक है ।

दूसरा कारण उन्होंने यह बताया है कि चूंकि हम एक प्रजातंत्र हैं, इसीलिए आक्रमण के सामने हम झुक जाते हैं पहली बार और उतनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, जितनी कि एक तानाशाही देश कर पाता है। सरकार का हमेशा यह तरीका रहा है कि जब देश की आर्थिक प्रगति नहीं होती है, तब भी यह बात कही जाती है और जब सैनिक पराजय होती है, तब भी यह बात कही जाती है। मैं समझता हूं कि हमारे देश के जो सब से अच्छ गुण हैं, आज़ादी और प्रजातंत्र, इन दोनों के ऊपर इस तरह आरोप लगाना बहुत ग़ैरज़िम्मेदारी की बात है ।

हमारी जो पराजय हुई, वह कोई मामूली पराजय नहीं थी, बहुत बुरी तरह से पराजय हुई। इसलिए उस के कारण जानने के लिए देश भर में बहुत उत्कंठा है और उस के कारण ठीक ठीक बताना सरकार की ज़िम्मेदारी है ।

उत्तर-पूर्वी सीमांत अंचल में इतनी भारी पराजय हुई और ऐसी पराजय हुई कि कभी कभी लगता है कि वहां लड़ाई हुई ही नहीं थी, सिर्फ़ भगदड़ हुई, हमारी सेना सिर्फ़ भागने लगी और वह भी रोजाना औसत तीस मील की रफ़्तार से। यह जो बात हुई है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसका क्या कारण है, इसको हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ठीक ठीक बतायें ।

दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि पहाड़ी इलाकों की ठीक ढंग से रक्षा करने के लिए हमारे मन में, हमारी सरकार के मन में, इच्छा थी या नहीं। प्रधान मंत्री हमेशा इन इलाकों को कम महत्व देते आये हैं, अपनी भावनाओं में और अपने कथनों में भी। उद्दाख को उन्होंने पथरीला कहा है और लागंजू को एक छोटा सा स्थान कहा है। केवल प्रधान मंत्री के ही यह मन की बात नहीं है, हिन्दुस्तान के पढ़े लिखे लोगों के मन में भी शायद ऐसी ही भावना छिपी हुई मालूम पड़ती है, छिपे हुए ढंग से वह बनी रहती है। यह उर्वसीअं एक पहाड़ी इलाका है और वहां के आदिवासी पहाड़ी हैं, इसलिए ऐसा मालून होता है कि हमारे मन में, हमारी सरकार के मन में उनके प्रति उतनी सहानुभूति नहीं है जितनी कि मैदानों के लिए या मैदानी इलाकों में रहने वाली आबादी के लिए, ऊंची जाति के, मध्यम वर्ग के बड़े लोगों के लिए है। यह जो एक सन्देह हमारे मन में पैदा होता है इस का निराकरण हमारे रक्षा मंत्री को करना चाहिए, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है ।

दूसरा कारण यह हो सकता है कि उर्वसीअं में जो हमारी सेना काम कर रही थी, हमारी जो सेना लड़ रही थी, उसको कैसे आदेश दिये गये थे ? क्या उस को लड़ने का आदेश दिया गया था या भागने का। ऐसा लगता है कि सिर्फ भागने के ही आदेश दिये जाते थे । कहीं भी ठीक ढंग से लड़ाई नहीं हुई और चौकियां छोड़ छोड़ कर हम लोग चले आए। किसी चौकी के गिरने से पहले ही उसको खाली कर देने के आदेश भी दिये जाते रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि बोमदीला १८ नवम्बर को गिरा लेकिन उस को १७ नवम्बर की शाम को ही खाली कर दिया गया। इससे यही अंदाज़ा लगता है कि हमला होने के पहले ही हमारी सरकार तय कर लेती थी कि यह गिरने वाला है, इसको इसलिए छोड़ दिया जाना चाहिए। सिर्फ नाम के वास्ते वहां कुछ लड़ाई हो जाती थी। लेकिन वास्तव में जो लक्ष्य होता था वह खाली करने का होता था, भाग जाने का होता था। मैं चाहता हूं के सवाल के इस पहलू पर भी रक्षा मंत्री कुछ रोशनी डालें और बातायें कि इन सेनाओं को दिल्ली

से सरकार द्वारा क्या आदेश जाते थे। चौकियां की डट कर रक्षा करने के आदेश जाते थे या नाम के वास्ते लड़ कर, उन को छोड़ देने के आदेश जाते थे।

तीसरी बात हमारी सेना और सेना के अफसरों के चरित्र की है। इसके बारे में कांग्रेस भी एक सदस्य श्री भक्त दर्शन ने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सेना में जो अफसर लोग हैं, उनके रहन सहन का ढंग उनकी भाषा आदि सब को बदलना बहुत जरूरी है। एक कहावत सुनी है कि अंग्रजों को लड़ाई ईटन और हैरों में जीती जाति है या जीती गई थी। लेकिन हमारे यहां यह सही बात है कि हमारी लड़ाई जो है वह हैदराबाद के या खड़गवासला के सैनिक कालेजों में हारी गई है। इन कालेजों में जिस ढंग से प्रशिक्षण होता है, जिस ढंग से अफसरों को पढ़ाया जाता है, उससे यह उम्मीद करना कि देश की रक्षा करने के लिए वे अपनी सारी जान लगा देंगे, व्यर्थ है। हैदराबाद के स्टाफ कालेज में एक छात्र पर तीन हजार रुपया माहवार खर्चा होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका रहन सहन और विलासिता किस स्तर पर होगी। उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वह तो सिर्फ ठीक ढंग से बोलने या अच्छी ड्रस पहनने और सामाजिक क्लबों में और मिलन स्थलों में ठीक तरह से अदब कायदे से बातचीत करने तक ही महदूद होती है, सीमित होती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि ये अफसर जो होते हैं, ये व्यर्थ ही होते हैं या इनके दिलों में देश प्रेम नहीं होता है। लेकिन केवल मात्र देश के प्रति प्रेम होने से ही देश की रक्षा नहीं हो जाती है। देश के प्रति प्रेम के साथ साथ देश की खातिर जान देने की तैयारी और उसकी खातिर लड़ने के लिए तत्पर रहना, इन चीजों की भी जरूरत होती है। मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्री इसके बारे में भी हम को एश्योरेंस दें कि इन पद्धतियों में वह परिवर्तन लायेंगे।

सैनिक कालेजों में अंग्रेजी भाषा के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। अंग्रेजी के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाना चाहिए। अफसर बनने के लिए यह तय कर दिया जाना चाहिये कि ७५ प्रतिशत सैनिक अफसर तरक्की से, छोटे स्तरों से तरक्की करके बनाये जायेंगे और केवल २५ प्रतिशत कालेजों के छात्रों में से लिये जायेंगे। इस ढंग से हमारी पालिसी में परिवर्तन आना चाहिए।

एक आखिरी बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। प्रतिरक्षा मंत्री से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कल राज्य सभा में भाषण देते हुए उन्होंने दो चीन की बात की है। उन्होंने कहा है कि दो चीन हैं। उनके इस कथन से क्या हम यह अंदाजा लगायें कि सरकार की नीति में, सरकार के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन आ गया है और क्या ज्ञान का उदय हो गया है और क्या इस पर सरकार अमल करने वाली है कि दो चीन को हम मानें, या वह सिर्फ एक चीन को ही मानेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आनरेबल डिफेंस मिनिस्टर।

श्री किशन पटनायक : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष महोदय : और वक्त नहीं मिल सकता है। किसी दूसरे माननीय सदस्य को मैं नहीं बुला सकता हूं।

श्री किशन पटनायक : इसलिए मैंने जल्दी खत्म कर दिया कि आपने मुझ कहा था कि हमारे ग्रुप के ....

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था। लेकिन वक्त नहीं रहा है, इसलिए माफी चाहता हूं।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : मैं दोनों वक्तव्यों पर सदन की चर्चा के लिए आभारी हूं। मैं कह सकता हूं कि जब मैंने ये वक्तव्य रख थे मुझे उन पर गर्व नहीं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

था । जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य थे । मैंने भी बहुत गम्भीरता से ये प्रस्तुत किये थे । उन के प्रकाशित होने के बाद इन पर विभिन्न समाचारपत्रों में चर्चा की गई है । वास्तव में इस जांच का उद्देश्य ही यही था ।

यह स्वाभाविक है कि देश में प्रतिरक्षा की समस्या पर गहरी चिन्ता है । सभा में जितने भी भाषण हुए हैं यद्यपि उनमें से कुछ में कटुता और भावुकता थी, उन सब से देश की प्रतिरक्षा के बारे में चिन्ता प्रकट होती थी ।

मैं ने आठ या नौ महीने काम किया है और मैं नहीं कह सकता कि मैं प्रतिरक्षा समस्यायों पर विशेषज्ञ बन गया हूं, किन्तु मुझे कुछ ज्ञान अवश्य हुआ है । मैं देखता हूं कि देश में प्रतिरक्षा समस्याओं के बारे में लोगों को बहुत कम ज्ञान है इस लिए पिछले अक्तूबर-नवम्बर की घटनाओं के बड़े अनुभव का मूल्यांकन करना आवश्यक है ।

मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि हमारे नेताओं या अफ़सरों को युद्ध का अनुभव नहीं था । वे केवल पिछले १६ वर्षों से ही हैं कि भारतीय सेना का निदेश हमारे अपने राजनीतिक प्रयोजन से किया जा रहा है । यह १९४७ से ही लोगों का साधन बनी है । अतः पिछले वर्ष का हमारा अनुभव एक बड़ा अनुभव था । निस्संदेह हमारी सेना को हैदराबाद गोआ और काश्मीर का कुछ अनुभव था । किन्तु गत अक्तूबर-नवम्बर का अनुभव एक बड़ा अनुभव था । इस लिए इसका उचित मूल्यांकन करना चाहिये ।

इसका प्रयोजन उत्तरदायित्व निश्चित करना नहीं है क्योंकि घटनायें अभी हाल में हुई हैं और दोष निश्चित करने का काम एतिहासिकों का है जो कि बाद में होगा इस समय हमें कोई उत्तरदायित्व या दण्ड निश्चित नहीं करना है क्योंकि अभी हमारी यात्रा हमारा कष्ट दूर नहीं हुआ । यात्रा अभी शुरू हुई है । हम इस समय देश की रक्षा कर रहे हैं । किस व्यक्ति ने कहा था कि जो कुछ हुआ है वह हमारी पराजय थी । यह निस्संदेह एक पिछाड़ थी किन्तु मैं नहीं समझता कि भारतीय राष्ट्र की पराजय हुई है । यह पराजय कभी नहीं होगी । यह केवल एक हमले की पिछाड़ थी ।

उस संबंध में भी मैं यह चाहता हूं कि उन भ्रान्तियों को भी दूर कर दूं जो मेरे स्वयं के वक्तकों से उत्पन्न हुई थीं । मैं ने यह अवश्य कहा था कि उच्च श्रणी के कमांडरों के कार्य की कमियां प्रकट हो गई थीं यहां मैं एक भ्रान्ति को दूर कर देना चाहता हूं जो मेरे इस कथन से उत्पन्न हो गई थी किन्तु मेरा आशय उससे नहीं था । लद्दाख में जो लड़ाइयां लड़ी गईं थीं, निश्चय ही वे योग्यता के साथ लड़ी गई थीं और वहां उच्च श्रेणी के कमांडरों ने कुशलता के साथ अपना कर्तव्य निभाया था । पूर्वी-क्षेत्र वालोंग क्षेत्र में भी हमारी सेना ने अच्छा कार्य किया है और कुछ माननीय सदस्यों ने किसी एक विशेष जनरल को इसके लिये उत्तरदायी ठहराया था । वालोंग क्षेत्र की कुछ सुसंचालित लड़ाइयों के लिये भी यही उत्तरदायी है । केवल यही पर्याप्त नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को इसका उत्तरदायी समझते । मैं किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं बोल रहा । यदि मुझे किसी का पक्ष लेना ही है तो मुझे देश की प्रतिरक्षा का ही पक्ष लेना चाहिये ।

मैं इसकी ओर इस दृष्टिकोण से देख रहा हूं । कृपया यह न समझ लें मैं वाद-विवाद का उत्तर देने के लिये ही उत्तर दे रहा हूं अथवा किसी चीज को टालने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

मैं इस संबंध में अपने विचारों अथवा भावनाओं को प्रकट करने का प्रयत्न कर रहा हूं। अतः प्रमुख दृष्टिकोण तो यह है कि इस जांच से और पिछले युद्ध में प्राप्त अनुभव से हम क्या शिक्षा लें। इसीलिये हम उन्हें १, २, ३, ४, ५ आदि के क्रम में रखने का प्रयत्न करते हैं।

सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयत्न नहीं किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार के इस कथन का भी उल्लेख किया कि आक्रमकों को खदेड़ दिया जाये। मेरे विचार में सेना को इस प्रकार की हिदायतें देना सरकार का कर्त्तव्य था। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो वह अपने कर्त्तव्य से विमुख होती। अपना अस्तित्व बनाये रखना ही सरकार का ध्येय है और इसी ध्येय के लिये सेना उसके हाथों के अस्त्र के रूप में समझी जाती है।

डा० राम मनोहर लोहिया : ऐसा हुक्म एन मौके पर नहीं दिया जाता। जब उल्टे थप्पड़ मार कर भगाये जाते हैं, तब ऐसा हुक्म नहीं दिया जाता।

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मुझे आशा है कि माननीय मित्र लोहिया शान्ति से मेरी बात सुनेंगे। क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने उनसे कहा था "बढ़े चलो कुछ न कुछ करो।" निश्चय ही यह सेना पर ही छोड़ दिया गया था कि यथा सम्भव शीघ्र और जैसे ही वे पूर्णरूप से तैयार हों कार्यवाही करें। मैं कहूंगा कि इस संबंध में किसी भी स्थान पर की गई किसी भी संक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार का राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

मैं समझता हूं कि इस संबंध में किसी भी एक मंत्री को अथवा प्रधान मंत्री को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है क्योंकि यह राष्ट्र की ही नीति थी। यह सरकार द्वारा नहीं अपितु सभा द्वारा और सारे देश द्वारा स्वीकार की गई थी। यह नीति पड़ौसी देशों के प्रति शांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की थी। कुछ लोग इस समय पंचशील की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि इससे उनका हित सिद्ध होता है। किन्तु समस्त देश ने पंचशील को अपना ध्येय स्वीकार किया था। उसे अपना ध्येय बना कर हमने कोई गलती नहीं की है। यह बात ठीक है कि हमारे एक पड़ौसी ने विश्वासघात किया है। उसके इरादे अब ऐसे प्रकट हो रहे हैं जैसे विस्तारवादियों के होते हैं। अब इसका सामना करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक ही है कि एक प्रजातंत्रीय देश को जिसके उद्देश्य शांतिपूर्ण हैं आरम्भ में पराजय का मुंह देखना पड़ता है।

कल श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि भारत जैसे शांतिप्रिय देश के साथ ही ऐसा नहीं हुआ अपितु द्वितीय विश्व युद्ध के समय बड़े-बड़े साम्राज्यों, रूस जैसे सैनिक दष्टि से शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ भी यही हुआ है। ऐसा ही होता है। इस संघर्ष में जो कुछ हुआ है उसे मैं प्रारम्भिक असफलता के रूप में ही देखता हूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि भारतीय सेना हार गई है अथवा भारत को पराजय हुई है। किन्तु इसके साथ ही यदि हम चाहते हैं कि यही गलती दुबारा न हो तो निश्चय ही हमें इस बात की जांच करनी चाहिये कि गलती कहां हुई थी।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमने कुछ छिपाने का प्रयत्न किया है। मैं स्पष्टरूप से कह सकता हूं कि लोकहित का ध्यान रखते हुये . . .

†**श्री हरिविष्णु कामत** (होशंगाबाद) : लोकहित ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : कृपया "लोक" शब्द को गलत न समझें। सुरक्षा की बातों को ध्यान में रखते हुये हमने प्रधान मंत्री की पूर्ण सहमति और अनुमोदन से मुख्य निष्कर्षों को सभा और देश के समक्ष प्रकट करने का प्रयत्न किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशवन्त राव चव्हाण]

निश्चय ही हमने यह कहा है कि चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने की कोई संभावना नहीं थी। यह ठीक है। उस समय ऐसा ही रुख था और उस समय की देश की स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखने से भी यही निष्कर्ष निकलता था। यह कोई छिपी हुई बात नहीं थी। यह बात स्पष्ट कर दी गई थी और कई अवसरों पर सभा ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था। अतः मेरा सुझाव है कि यह कहना ठीक नहीं है कि किसी से कोई बात छिपाई जा रही है। इस प्रकार की हर बात प्रकट कर दी गई है जो इस सभा को अथवा देश को जाननी चाहिये। यह केवल अपने आप को भयभीत करने के लिये और अपने को, सेना को अथवा किसी अन्य को निरुत्साहित करने के लिये ही प्रकट नहीं की गई अपितु वस्तुतः यह जानकारी इसलिये प्रकट की गई है कि इससे शिक्षा ग्रहण करें और उन कमियों और कमजोरियों को दूर करके इस बात का प्रयत्न करें कि इस विशेष मामले के बारे में हम अपने आप को किस प्रकार अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं क्योंकि ऐसे अनुभव के द्वारा ही इस प्रकार के मूल्यांकन—स्वयं के मूल्यांकन और आत्म-आलोचना के द्वारा ही देश प्रतिरक्षा के विचार को और प्रतिरक्षा की नीति को मजबूत बना सकता है।

सभा के दूसरी ओर के सदस्यों के मनपसन्द भाषणों से अथवा मेरी ओर से दिये गये साहसपूर्ण भाषण से ही प्रतिरक्षा की नीति नहीं बन जाती। किसी भी देश की प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति अथवा प्रतिरक्षा की भावना का निर्माण उस देश की आर्थिक सक्षमता से, प्रविधिक विकास से और विज्ञान के विकास तथा उस राष्ट्र के साहस से होता है। अतः पहली चीज जिसके लिये हमें प्रयास करना है आर्थिक समक्षता है इसके बाद हमें क्रमशः प्रौद्योगीकीय विकास और वैज्ञानिक के लिये प्रयत्न करना है और फिर अन्त में हमें देश में साहस उत्पन्न करना है। जहां तक साहस का प्रश्न है भारत अन्य देशों की तुलना में किसी से कम नहीं है। मेरे विचार में चीन ने इसीलिये अपनी सेना पीछे हटा ली है। श्री फ्रैंक एन्थनी ने किसी अन्य दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या की है। मैं उन्हें दूसरी तरह व्याख्या करके बताता हूं। यदि हम भारत के गत १००० वर्ष के इतिहास की ओर दृष्टिपात करें तो यह सब प्रकार से अपितु एक प्रकार से भारत पर आक्रमण होने का इतिहास है और जब भी कभी भारत पर आक्रमण हुआ भारत में फूट उत्पन्न हो गई। संभवतः चीन ने भारत के इतिहास का गलत अर्थ लगा लिया कि फिर कभी आक्रमण होने पर इतिहास अपने आप को दोहरायेगा। किन्तु वे इस बात को भूल गये कि १९६२ का भारत, प्राचीन भारत नहीं है अपितु यह नया भारतीय गण राज्य है, भारतीय जन राज्य है। जब चीनी सेना भारत की सीमा पर आ गई तब भारतवासियों ने एक हो कर आक्रमण का सामना करने का दृढ़ निश्चय किया। और मेरे विचार में भारतवासियों के इस दृढ़ निश्चय के कारण ही चीन को वापिस लौटना पड़ा। यह मेरी व्याख्या है। मैं जानता हूं कि अन्य दृष्टिकोणों से, सैनिक दृष्टिकोण से भी इस बात की व्याख्या की जा सकती है। मैं उनका उल्लेख करना नहीं चाहता। एक महत्वपूर्ण जटिल समस्या को एक ढंग से व्याख्या करके बिल्कुल साधारण नहीं बनाया जा सकता किन्तु निश्चय ही मैं इसकी इसी प्रकार व्याख्या करना चाहूंगा। चाह तो श्री फैंक एन्थनी इसे स्वीकार कर सकते हैं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिदशित-आंग्ल-भारतीय) : यह केवल एक कारण था।

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : यह एक महत्वपूर्ण कारण है। हमारी प्रतिरक्षा तैयारी के बारे में मेरा दूसरा वक्तव्य वस्तुतः पहले वक्तव्य का पूरक है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि उपचारीय

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्यवाहियों के विषय में एक अव्यवस्थित स्पष्टीकरण दिया गया है मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे दूसरे वक्तव्य को पहले वक्तव्य के साथ मिला कर पढ़ें और तब उन्हें नेफा जांच प्रतिवेदन में दिखाई गई सारी कमियों का उत्तर मिल जायेगा ।

मैं श्री रघुनाथ सिंह द्वारा उठाये गये एक छोटे से प्रश्न का भी उत्तर देना चाहूंगा । उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक ही बात पर ध्यान केन्द्रित किया कि नौसेना के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है । मैं नौसेना के महत्व को अथवा हमारी प्रतिरक्षा तैयारी के सन्दर्भ में नौसेना सम्बन्धी तैयारी को कम महत्व देना नहीं चाहता । अन्त में हम एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना कर अपनी प्रतिरक्षा तैयारी के विषय में अपनी आर्थिक क्षमता को देखते हुए यथासंभव सब कुछ कर सकते हैं, यह दूसरी बात है । किन्तु प्रतिरक्षा तैयारी सम्बन्धी यह वक्तव्य नेफा जांच समिति के संदर्भ में था और निश्चय ही मेरे मित्र यह नहीं चाहते होंगे कि मैं नौ सेना को हिमालय पर ले जाऊं ।

अब मैं कुछ सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ विशेष प्रश्नों के बारे में कुछ कहूंगा ।

श्री प्रकाशीवीर शास्त्री ने कहा कि १३२ करोड़ रूपये की बड़ी राशि बिना उपयोग में लाये वापिस कर दी गई है । यह जानकारी प्रस्तुत की गई थी अतः मैं इस १३२ करोड़ रुपये के आंकड़े से सहमत हूं । किन्तु मैं श्री हनुमन्तैया द्वारा कही गई इस महत्वपूर्ण बात का पूर्ण समर्थन करता हूं कि जिन्हें इन आय-व्ययक सम्बन्धी बातों का अनुभव है वे यह निश्चय ही यह कह सकते हैं कि यद्यपि राशि बिना उपयोग किये लौटाई गई थी तथापि सारी गणना, जोड़ना आदि वास्तविक स्थिति को प्रकट नहीं करते । जो राशि इस वर्ष लौटा दी गई है उसका उपबन्ध किसी निश्चय कार्य के लिये अगले वर्ष के बजट में कर दिया गया है । अतः यदि आप दस वर्षों की कुल राशि को जोड़ें तो सारी स्थिति विचित्र सी लगती है ।

एक माननीय सदस्य : यह छः वष का लेखा है ।

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** यह इस प्रश्न की ओर देखने का विचारपूर्ण दृष्टिकोण नहीं है । निश्चय ही कुछ प्रतिशत राशि छोड़ी जा सकती है । मैं इस अवसर पर इस बात की व्याख्या करना चाहता हूं इस वर्ष सभा ने काफी बड़ी राशि मंजूर करने की कृपा की है । मैं यह विश्वास नहीं दिला सकता कि मैं कुछ भी राशि बिना उपयोग किये नहीं लौटाऊंगा । क्योंकि यह कई बातों पर निर्भर है ।

उदाहरणार्थ प्रतिरक्षा तैयारी सम्बन्धी वक्तव्य में मैंने उत्पादन के नये कारखानों का उल्लेख किया है । उस सम्बन्ध में हमने स्थानीय भूमि के विकास के लिये अथवा जल संभरण के और अन्य आवश्यक विषयों के लिये आवश्यक रुपये के व्यय के सम्बन्ध में यथासंभव व्यवस्था की है, योजना की है और उसे कार्यान्वित भी किया है । किन्तु अन्ततः यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमें निर्माण संबंधी संयंत्र प्राप्त करने के लिये कितनी विदेशी सहायता मिल सकती है और हम उसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा दे सकते हैं ।

मेरे माननीय मित्र श्री नाथपाई ने पूछा था कि इतने मिशन क्यों गये हैं और उन्होंने क्या किया है । इससे केवल हमारा यही अभिप्राय प्रकट करता है कि हम जहां से भी हमें सहायता मिले लेने के लिये तैयार हैं । इस विषय में हमारी कोई निश्चित धारणा नहीं है । हम पश्चिमी देशों के पास गये हैं और पूर्वी देशों के पास भी गये हैं क्योंकि हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि जहां हमें प्रत्येक मित्र से जो सहायता देने की स्थिति में हैं सहायता दें । किन्तु हम ऐसी आशा नहीं कर सकते कि वे हमारी सारी आवश्यकताओं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

को पूरा कर सकेंगे। उनकी अपनी राजनैतिक तथा अन्य कठिनाइयां हैं। इस लिये हमें जो कुछ वे दें उसे आभार प्रदर्शित करते हुए स्वीकार कर लेना चाहिये और अधिक सहायता प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। अतः इस बात को गलत नहीं समझना चाहिये कि चूंकि कई मिशन बाहर चले गये हैं इस लिये हम कुछ भी प्रयत्न नही कर रहे। किन्तु मैं अपने माननीय मित्र से कहना चाहता हूं कि यद्यपि कई मिशन बाहर गये हैं किन्तु कुछ मिशन कुछ बातों में सफल भी हुए हैं। यद्यपि उन्हें शतप्रतिशत सफलता नहीं मिली है, दूसरों से सहायता प्राप्त करने में शतप्रतिशत सहायता मिल भी नहीं सकती, तथापि कुछ मामलों में वे सफल हुए हैं। निश्चय ही यह बात भी कही जा सकती है कि हमें हमारी प्रतिरक्षा को मजबूत करने में काफी समय लगेगा। यह कार्य एक ही दिन में नहीं किया जा सकता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : माननीय मंत्री स्वयं जाकर प्रयत्न करें।

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : आवश्यकता हुई तो निश्चय ही मैं जाने में संकोच नहीं करूंगा यद्यपि मैं किसी विशेष स्थान पर जाने के लिये उत्सुक नहीं हूं।

किन्तु यद्यपि हमें सब प्रकार की सहायता मिल रही है तथापि हमें एक बात याद रखनी है। यहां भी मैं यथार्थवादी दृष्टिकोण से ही देखूंगा। जहां तक प्रतिरक्षा उत्पादन और प्रतिरक्षा आवश्यकताओं का प्रश्न है हम हर बात के लिये सहायता पर ही आश्रित नहीं रहेंगे। कुछ विषयों के सम्बन्ध में जैसे सामान्य स्टोर आदि के सम्बन्ध में हमारे देश में ही अपने स्वयं का विस्तृत उत्पादन आधार है। निश्चय ही आधुनिक शस्त्रों और गोला बारूद आदि के लिये और इन चीजों के उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनरी के लिये हमें दूसरों की सहायता मांगनी पड़ेगी।

मैं यहां यह भी कहूंगा, चाहे अन्य लोगों ने कुछ भी आलोचना की हो, कि यदि मैं इस तथ्य का उल्लेख न करूं तो मेरी कृतघ्नता होगी कि हमें इस विशेष क्षेत्र में मेरे पूर्व अधिकारी श्री कृष्ण मेनन के कार्य की सराहना करनी चाहिये जिन्होंने पहली बार प्रतिरक्षा तैयारी के सम्बन्ध में स्थानीय उत्पादन की व्यवस्था करने के महत्व पर बल दिया था। यदि हम इस बात को स्वीकर न करें तो यह कृतघ्नता होगी। मैं यह बात इस लिये कह रहा हूं कि मैं इस विषय के प्रति, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना रहा हूं। यह आवश्यक है कि हम उनके कार्य को मान्यता दें। वैमानिकी के क्षेत्र में निश्चय ही हमारा कुछ उत्पादन आधार है। परिवहन के सम्बन्ध में भी शक्तिमान और निसान के उत्पादन ने इस समस्या को काफी बड़ी सीमा तक सुलझा दिया है, इस लिये जहां सराहना उपयुक्त है हमें करनी चाहिये।

मेरे माननीय मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी ने कहा था कि वे इस विषय में अप्रसन्न हैं, वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं किन्तु वे जिस व्यवसाय में हैं उसमें वे उचित न्याय दिलवाने का प्रयत्न करते हैं, इस विशेष मामले में भी उन्हें वह उचित न्याय अस्वीकार नहीं करना चाहिये।

श्री नाथपाई ने नक्शे की चोरी के सम्बन्ध में जो कथन किया था उससे मैं बड़े संशय में पड़ गया। हमारे पास सब तरह के नक्शे हैं। उन्होंने पूछा था कि क्या कभी ऐसा नक्शा था। हमारे पास कीमती नक्शे हैं, महत्वपूर्ण नक्शे हैं, गुप्त नक्शे हैं, किन्तु मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी के द्वारा किसी ऐसे नकशे की चोरी की गई थी। यदि उनके पास कोई सूचना है तो मैं उनसे एकान्त में मिलकर वह सूचना प्राप्त करने के लिये तैयार हूं। फिर मैं निश्चय ही इसकी जांच करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने साथ ही एक और बात कही थी जिसने मुझे चोट पहुंचाई, सम्भवतः हर किसी को इससे चोट पहुंची होगी— कि हर विभाग में, हर मंत्रालय में चीनी समर्थक लोग हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण-पश्चिम) : मैंने 'सण्डे टेलीग्राफ" में प्रकाशित टिप्पणी पढ़ कर सुनाई थी।

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : जब उन जैसे महत्वपूर्ण सदस्य के मुंह से यह बात निकलती है तो देश पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है और जनता का साहस क्षीण हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इस बात का उत्तर देने का मेरा यही अभिप्राय है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। प्रतिरक्षा मंत्रालय अथवा सरकार के किसी अन्य मन्त्रालय में चीन समर्थक लोग कैसे रह सकते हैं ? यह नहीं हो सकता।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने पूछा था कि यहां चीनी भाषा सिखाने के लिये चीनियों को क्यों रखा हुआ है हमने उस भाषा को सीखने के लिये अपने आदमियों को बाहर क्यों नहीं भेजा। मैं उनसे कहूंगा कि चीनी भाषा सीखने के लिये हमने अपने आदमियों को बाहर, जहां भी हम उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेज सकते थे—भेज दिया है। अपने देश में भी हमने चीनी भाषा के अध्ययन के सम्बन्ध में कुछ सुविधायें दी हैं। हमारे पास कुछ चीनी शिक्षक हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। किन्तु यह धारणा गलत है कि चीनी शिक्षक सैनिक गुप्तचर्चा निदेशालय में कार्य कर रहे हैं। उदाहरणार्थ शान्तिनिकेतन से हमने एक चीनी प्रोफेसर को चीनी भाषा की शिक्षा देने के लिये बलाया है। इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि कुछ चीनी भारात में आकर यहां के लोगों को अपनी भाषा सिखाने के, इच्छुक हैं वे सुरक्षा सावधानी और अन्य प्रकार की सावधानी बर्तने के बाद मैं यह नहीं समझता कि इसमें कोई हानि है।

उन्होंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने सेना अधिकारियों के वर्गीय दृष्टिकोण का उल्लेख किया था अर्थात् मेरे विचार में उनका अभिप्राय था अधिकारियों और जवानों में परस्पर विभेद। मैं उनसे कह सकता हूं और सभा को यह आश्वासन भी देता हूं—कल मैंने यही आश्वासन राज्य सभा में भी दिया था—कि निश्चय ही ब्रिटिश सेना से हमने यह परम्परा ली थी किन्तु इस सम्बन्ध में पहले से ही कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है और हमने इस सम्बन्ध में काफी सावधानी बरती है। क्योंकि हमें मालूम हुआ है कि चीनी हमारे देश के युद्धबन्दियों को सिद्धान्तों की शिक्षा देने में इस बात पर विशेष जोर देते हैं। हमने इस बात के सम्बन्ध में कई अनुदेश जारी किये हैं कि जवानों और अधिकारियों के बीच नये प्रकार का सम्बन्ध स्थापित हो। इसमें कुछ समय लगेगा। किन्तु मझे विश्वास है कि वर्तमान समय के सेना के उच्च अधिकारी इस बात के लिये अत्यन्त उत्सुक हैं कि शनैः शनैः किन्तु दृढ़ता से इस प्रकार के प्रजातन्त्रीय दृष्टिकोण स्थापित हो जायें।

दूसरा प्रश्न ईसापुर में राइफलों के निर्माण के बारे में उठाया गया था। मैं समझता हूं कि प्रतिरक्षा तैयारी के सम्बन्ध में वक्तव्य देते समय मैंने इसका उत्तर दे दिया था। इस वर्ष के अन्त तक इस कारखाने में, पूरा उत्पादन, जो लगभग २५०० राइफल प्रति मास है, होने लगेगा। जब तक इसका विस्तार न किया जाये अथवा दूसरा संयंत्र स्थापित न कर दिया जाये तब तक इससे अधिक उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता ; किन्तु यह नहीं मान लिया जाये कि केवल राइफलों का इतना ही उत्पादन है। इसके बाद भी ५००० प्रति माह के हिसाब से "बोल्ट एक्शन राइफलों" का निर्माण होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन ने भी कुछ बातें कहीं और स्वाभाविक ही था कि प्रतिरक्षा तैयारी के सम्बन्ध में पर्वतीय प्रदेशों के योग के विषय में उन्होंने अपनी दिलचस्पी प्रकट की। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जिस पर्वतीय क्षेत्र से वे आये हैं वहां के लोग परम्परा से ही योद्धा रहे हैं। केवल वही क्षेत्र नहीं, मझे सांख्यिकी से पता चला है कि सेना में नये भरती हुए २० प्रतिशत लोग पर्वतीय क्षेत्रों से आये हैं। मुझे आशा है कि वह नहीं चाहते कि हम सीमा क्षेत्रों का समस्त प्रतिरक्षा कार्य सीमा के लोगों पर ही छोड़ दें ।

†**श्री भक्त दर्शन** (गढ़वाल): मेरा मतलब आप समझे नहीं। सारी सेना में नहीं, माउंटेन डिवीजन में स्पेशली उन्हें प्राथमिकता दी जाये, यह मेरा आशय था।

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण**: मैं समझता हूं कि वे मेरी इस बात को मान लेंगे कि मेरी इस बात का कि नहीं भरती हुये जवानों में से पांचवां हिस्सा पर्वतीय क्षेत्रों से है यह आशय है कि वे लोग पर्याप्त अनुपात में सेना में हैं।

दूसरी बात यह पूछी गई थी कि अनुभवी जवानों को स्थायी और आपातकालीन कमीशन में लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये जवान और जूनियर कमिशन्ड आफिसर जो युद्ध के संघर्ष में होकर गुजर चुके हैं संभवतः युद्ध के प्रयोजन के लिये अधिक जीवित रखते हैं और यदि इन्हें अधिकारी बना दिया गया तो संभवतः हमें सेना के लिये अपेक्षित उपयुक्त प्रकार के नेता प्राप्त हो सकेंगे। हमने इस समस्या का अध्ययन किया है और मैंने प्रतिरक्षा तैयारी सम्बन्धी अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया है कि हमने नौगोंग स्कूल में जहां कमिशन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता है सुविधायें बढ़ा दी हैं। मैं उनसे कहता हूं कि स्थायी और आपातकालीन कमिश्नज में लगभग एक चौथाई व्यक्ति जूनियर कमिशन्ड आफिसर जवानों की श्रेणियों से लिये गये हैं।

जहां तक देश का सम्बन्ध है नेतृत्व के गुण अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और ये गुण एक ही दिन में पैदा नहीं किये जा सकते क्योंकि इन्हें प्रशिक्षण द्वारा लोगों को नहीं सिखाया जा सकता। यह केवल अनभव से ही प्राप्त हो सकती है और प्रतिरक्षा मंत्रालय का यह इरादा है कि सेना मुख्यालयों द्वारा समय समय पर विभिन्न लोगों की नेतृत्व के गणों की परीक्षा लेने के लिये अभ्यास करवाये जायें ताकि हमें संकट काल की स्थिति का सामना करने के लिये अपनी सेना का नेतृत्व करने वाले योग्य व्यक्ति प्राप्त हो सकें। मैं श्री भक्त दर्शन को यह एक बात बताना चाहता था ।

श्री क० चं० पन्त ने भी यही बात कही है। उन्होंने दूसरी बात यह कही है कि असैनिक और सैनिक गुप्तचर विभाग में विभेद होना चाहिये । साथ ही उन्होंने समन्वय का उल्लेख भी किया है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इन दोनों में पृथकता तो निस्संदेह है और गुप्तचर कार्य में समन्वय लाने के लिये हम अधिकाधिक जोर दे रहे हैं। गुप्तचर्या केवल सूचना प्राप्त करने से ही काम नहीं यह उससे सर्वथा भिन्न होती है । सेना की भाषा में गुप्तचर्या की परिभाषा उस सूचना के अर्थों में है जिसका सैनिक दृष्टिकोण से समुचित मूल्य हो। सूचना तभी गुप्तचर्या कही जा सकती है। जब उसका समचित मूल्यांकन हो और इसका सैनिक महत्व हो। इस दृष्टिकोण से सैनिक गुप्तचर विभाग के पुनर्गठन में काफी समय लगेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके लिए सही ढंग के लोगों सही ढंग के प्रशिक्षण और सही ढंग के सामान की जरूरत होती है। हमने इस काम को देरी से शरू किया है अतः कुछ समय लगेगा। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इस काम में हमने कुछ सीखा है बल्कि मेहंगा पाठ पढ़ा है परन्तु अब हम अच्छी तरह समझ गये हैं और अब इस बारे में अब हम और कुछ गलती नहीं करेंगे। श्री इन्द्रजीत गप्त ने एक बात कही है। हम अर्ध स्वचालित राइफलें बना रहे हैं और हिमालय प्रदेश में हमने उनका प्रयोग किया है। जब कि चीनियों ने पूर्ण स्वचालित राइफलों का प्रयोग किया है। मैं नहीं जानता कि क्या उन्हें मुझसे अधिक जानकारी है; परन्तु मेरी जानकारी यह है कि चीनियों के पास स्वचालित राइफलें नहीं थी। उनके पास अर्थ स्वचालित राइफलें थी चीनियों का बड़ा विचित्र सैनिक तरीका था। वे आदमियों के बाद आदमी भेजते थे। इसी बात में वे अधिक शक्तिशाली थे। उनके पास सैनिकों की संख्या अधिक थी। कल मैंने बताया था कि उन्हें सैनिक दृष्टि से तीन सुविधायें प्राप्त थी जिन का उन्होंने पूरा लाभ उठाया। उनके पास सैनिकों की अधिक संख्या थी। जिस पहाड़ी से उन्होंने युद्ध आरम्भ किया वह उनके लिये सुविधाजनक थी वह समय स्थान और हर चीज का निर्णय स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते थे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : चीनियों के मुकाबले में हमारे पास "बीच वोल्ट एक्शन राइफल्स" भी थी फिर उन्हें पर्याप्त क्यों बताया गया।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं सेना के अधिकारियों का दृष्टिकोण बता रहा हूं। वह राइफल कम तेजी से चलती है। परन्तु यह निशाना बांधने के लिए अच्छी है और इस में गोला बारूद भी कम खर्च होता है और यह अधिक उपयोगी भी है। हमारे पास ऐसी राइफलें पर्याप्त संख्या में हैं। परन्तु गलती यह हुई कि हम उन्हें ठीक स्थान पर उचित मात्रा में नहीं पहुंचा सके क्योंकि सारी स्थिति अचानक ही उत्पन्न हुई थी।

चीनियों ने स्वचालित राइफलों का उपयोग नहीं किया था। इस प्रकार के युद्ध से हमें यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि अर्ध स्वचालित राइफलें अधिक उपयोगी होती हैं क्योंकि उनमें अपेक्षित गति और निशाना लगाने की शक्ति होती है और साथ ही कारतूस भी खराब नहीं होते। यदि सारे प्रतिवेदन को वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाये।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : हमें प्रतिवेदन नहीं दिया गया।

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : जहां मैंने प्रतिवेदन शब्द कहा है उस का अर्थ वक्तव्य से ही है। मैं बता रहा था कि प्रतिरक्षा संबंधी दृष्टिकोण को विभाजित नहीं किया जा सकता। सरकारी दृष्टिकोण और विरोधी दल का दृष्टिकोण दो अलग बातें नहीं हो सकती, नहीं कांग्रेस का अथवा किसी अन्य दल का अलग दृष्टिकोण नहीं हो सकता। प्रतिरक्षा के मामले में राष्ट्रीय दृष्टिकोण ही होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रतिवेदन पर इस दृष्टिकोण से विचार किया जाये ताकि यह हमें विभाजित करने के स्थान पर ऐसी अपेक्षित शक्ति में जिस की हमें आवश्यकता है। वास्तव में प्रतिवेदन का उद्देश्य सेना में तथा अन्य क्षेत्रों में वह विश्वास और जागृति पैदा करना है जिससे त्रुटियां की पुनरावृति न हों। माननीय सदस्यों को इसी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रतिवेदन में नेफा की भगदड़ के विषय में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया अथवा माननीय मंत्री ने इसे अपने वक्तव्य से निकाल दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : निर्देश पदों को देखने से पता चलेगा कि जांच इस रूप में उत्तर-दायित्व निर्धारित करने के लिए नहीं की गई थी। ऐसी बात नहीं कि प्रतिवेदन में ऐसे निष्कर्ष निकाले गये हैं जो मैं ने सभा के सामने नहीं रखे।

डा० राम मनोहर लोहिया : एक परिपत्र दिल्ली सरकार की तरफ से उर्वसीअम के सेना-पतियों को भेजा गया था कि जब कोई जगह गिरने वाली हो तो उसे खाली करो, आसन्न पतन वाला परिपत्र। यह कब भेजा गया था? क्योंकि उस परिपत्र का मतलब ऐसा निकाला गया कि १५ से १८ नवम्बर तक लड़ाई सिर्फ डेढ़ दिन वालांग में हुई, केवल इधर उधर छुट पुट गोलीबारी हुई और जगहें खाली कर दी गईं। तो परिपत्र कब भेजा गया ? किस ने भेजा, जब तक इस के बारे में सफाई नहीं होगी तब तक देशद्रोह का शक मन में बना रहेगा।

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : परिपत्र की बात तो मैं ने आप से पहली दफे सुनी। जो इंस्ट्रक्शन पहली गवर्नमेंट ने दिया था जो कार्रवाई करनी है वह करनी है। वह रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट ने ले ली है। लेकिन ऐसा कोई परिपत्र देने के सम्बन्ध में मुझे पता नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, इस परिपत्र का पता लगना चाहिये। मंत्री महोदय नहीं जानते कि क्या हुआ था। उस वक्त यह परिपत्र भेजा गया था। शायद वे अंग्रेज़ी ज्यादा समझें, उस परिपत्र में **इमिनेन्ट फाल** का शब्द लिखा हुआ था, **इवैकुएशन** शब्द लिखा हुआ था। उस परिपत्र के कारण १५ से १८ नवम्बर तक जगहें बार बार खाली की गईं। खाली वालांग में डेढ़ दिन लड़ाई हुई थी . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तो कह रहे हैं कि इस परिपत्र के बारे में उन्हों ने पहली बार सुना। उन को इल्म नहीं है, उन्होंने यह जवाब दिया।

डा० राम मनोहर लोहिया : बड़े अफसोस की बात है कि रक्षा मंत्री भी न जानें कि क्या हुआ पहले।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम १९३ के अधीन चर्चा के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं दूसरे प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, मुझे अन्त में कुछ कहने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें जवाब की क्या जरूरत है ?

†**श्री भक्त दर्शन** : अगर आप इजाजत दें तो मैं केवल एक मिनट में अपनी बात कह दूंगा। कल मैंने ९ सितम्बर के वक्तव्य के सम्बन्ध में यहां पर जो प्रस्ताव रक्खा था, उस में प्रतिरक्षा मंत्री जी को हार्दिक बधाई दी थी। आज उन्हीं के वक्तव्य के सम्बन्ध में उन्हें और डबल बधाई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ बधाई जवाब में देना चाहते हैं ?

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन् एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें आज चूंकि बहुत सी जनरल बातें कहनी थीं इसलिये जो बहुत से अन्य छोटे छोटे सुझाव दिये गये हैं अवकाश मिलने पर, मुझे आशा है कि वे पूरी तरह से उन पर ध्यान देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में इस वाद विवाद के सिलसिले में बहुत सनसनीदार, बहुत सनसनीख़ेज़ भाषण हुए । मैं समझता हूं कि अब यह विवाद समाप्त हो जाना चाहिये और गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम खत्म हो जाना चाहिये । आज से हमको समझना चाहिये कि सब दलों और सब व्यक्तियों को मिल कर माननीय प्रधान मंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है ।

अध्यक्ष महोदय : बस । आप ने एक मिनट मांगा था । वह हो चुका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा ९ सितम्बर, १९६३ को प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में प्रस्ताव

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मुझे १५ मिनट से अधिक की आवश्यकता होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप १५ मिनट ले सकते हैं ।

†**श्री कानूनगो** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा की एक समिति बनाई जाये जो सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति कहलायेगी, जिस में एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार इस सभा के सदस्यों में से चुने गये दस सदस्य होंगे ।

(२) कि समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :

(क) अनुसूची में निर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखे की जांच करना ;

(ख) सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक का यदि कोई प्रतिवेदन हों तो उन की जांच करना ;

(ग) सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के प्रकरण में इस बात की जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों का काम उत्तम व्यापारिक सिद्धांतों और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार किया जा रहा है ; और

(घ) इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों द्वारा या उसके अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्य जो इस समय लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में निहित हैं और जो उपरोक्त खण्ड (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत नहीं आते तथा जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर समिति को सौंपे जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

परन्तु समिति निम्नलिखित विषयों में से किसी की जांच अथवा अनुसन्धान नहीं करेगी अर्थात् :

(एक) सरकारी उपक्रमों के व्यापारिक अथवा व्यावसायिक कृत्यों से अलग मुख्य सरकारी नीति सम्बन्धी मामले ;

(दो) दैनिक प्रशासन के मामले ;

(तीन) ऐसे मामले जिन पर विचार करने के लिये किसी विशेष संविधि के अन्तर्गत जिसके अन्तर्गत वह सरकारी उपक्रम स्थापित किया गया हो कोई व्यवस्था स्थापित की गई हो ।

(३) कि समिति के सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष होगी :

परन्तु यह कि एक बटा पांच सदस्य चक्रानुक्रम से प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होंगे और प्रति वर्ष वे सदस्य सेवानिवृत्त होंगे जो अपने अन्तिम निर्वाचन के बाद से सब से अधिक देर तक सदस्य रहे हों परन्तु ऐसे सदस्यों की अवस्था में जो एक ही दिन निर्वाचित हुए हों सेवानिवृत्त होने वालों का निर्धारण पर्चियां डाल कर किया जायेगा ।

(४) कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों सम्बन्धी इस सभा के नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ।

अनुसूची

(सरकारी उपक्रमों की सूची)

भाग १

(केन्द्रीय अधिनियमों द्वारा स्थापित सरकारी उपक्रम)

१. दामोदर घाटी निगम

२. औद्योगिक वित्त निगम

३. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

४. एयर इण्डिया इंटरनेशनल

५. जीवन बीमा निगम

६. केन्द्रीय भाण्डागार निगम

७. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

भाग २

(सरकारी उपक्रम जो समवाय अधिनियम के अन्तर्गत बनाई नई सरकारी कम्पनियां हैं)

प्रत्येक सरकारी कम्पनी जिसका वार्षिक प्रतिवेदन समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ससद् की सभाओं के सामने रखी जाती है, उन सरकारी उपक्रमों के अतिरिक्त जो इसके भाग ३ में सम्मिलित है ।

भाग ३

१. हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर

२. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर

३. मांजगांव डाक्स लिमिटेड, बम्बई

४. गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता ।"

मैं यह प्रस्ताव भी करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति से सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से पांच सदस्य मनोनीत करने के लिए सहमत हो और उक्त समिति के गठित होने पर इस सभा को राज्य सभा से इस प्रकार मनोनीत किए गए सदस्यों के नाम बताये ।"

†श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : भाषण सभा पटल पर रख दिया जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि सभा आज भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं है तब अगली बार की बैठक में वे भाषण दे सकते हैं ।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हमें संशोधन प्रस्तुत करने दिये जायें ।

†अध्यक्ष महोदय : भाषण के बाद ही संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

तारांकित

(तरांकित) प्रश्न संख्या ७४३ के उत्तर में शुद्धि]

†गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमान, मैं बम्बई के फिल्म स्टुडियों की तलाशी लिये जाने से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ के अनुपूरक प्रश्नों के एक उत्तर में, जो मैंने परसों सभा में दिया था, शुद्धि करना चाहता हूं । डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा पूछे गये इस अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि हाल ही में जिन स्टुडियों की तलाशी ली गई थी उनमें से एक मोहन स्टुडियो भी था और इस सम्बन्ध में मैंने श्री राजबंस खन्ना का उल्लेख किया था । मैं इस उत्तर की शुद्धि में यह कहना चाहता हूं कि जबकि मोहन स्टुडियो उनमें से एक था जिनकी तलाशी ली गई थी, राज वंश खन्ना का मोहन स्टुडियो से अथवा बम्बई के किसी अन्य स्टुडियो से अथवा किसी भी ऐसे स्थान से जिसकी पुलिस ने तलाशी ली थी कोई भी सम्बन्ध नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, २१ सितम्बर, १९६३

३० भाद्र, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३६२५—३२
अल्प सूचना		
प्रश्न संख्या		
१४	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास . . .	३६२५–२६
१५	दिल्ली के स्कूलों में दशहरे की छुट्टियां . . .	३६२८
१६	देश में सोना	३६२९–३०
१७	बालाघाट में टेलीफोन सेवा	३६३१
१८	आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन . .	३६३२
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य		३६३२—३६
प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा हाल ही में चलाई गई गोलियों के बारे में एक वक्तव्य दिया ।		
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		३६३६–४१
(१) वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमचारी) ने स्वर्ण नियंत्रण आदेश और अनिवार्य जमा योजनाओं के बारे में एक वक्तव्य दिया ।		
(२) गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) ने बम्बई में फिल्म स्टुडियोज की तलाशी के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ पर डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के १८ सितम्बर, १९६३ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक वक्तव्य दिया ।		
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३६४१
(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—		
(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई की वर्ष १९६२-६३ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।		

विषय पृष्ठ

(दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(२) विमान अधिनियम, १९३४ की धारा १४-क के अन्तर्गत, दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५७ में प्रकाशित भारतीय विमान (चौथा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पण सहित ।

(३) याचिका समिति की वर्तमान अधिवेशन में हुई बैठकों (सातवीं और आठवीं) के कार्यवाही सारांश सभापटल पर रखे गये ।

याचिका समति . . . . .

राज्य सभा से सन्देश ३६४१–४२

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा अपनी १९ सितम्बर, १९६३ की बैठक में व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) विधेयक, १९६३ से, जो लोकसभा द्वारा २८ अगस्त, १९६३ को पारित किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

नेफा जांच के बारे में चर्चा तथा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव ३६४२—८३

नेफा जांच और "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव पर संयुक्त चर्चा जारी रही । प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) ने भी वाद-विवाद में भाग लिया । श्री भक्त दर्शन द्वारा प्रस्तुत "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में प्रस्ताव । ३६८३—८५

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) ने प्रस्ताव किया कि इस सभा की एक समिति बनाई जाये जो सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति कहलायेगी ।

लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

तीसरी लोक-सभा के पांचवे सत्र की कार्यवाही का संक्षेप

१. सत्र की अवधि	१३ अगस्त से २१ सितम्बर, १९६३
२. बैठकों की संख्या	३०
३. बैठकों के कुल घण्टों की संख्या . . .	१८८ घंटे ६ मिनट
४. मत विभाजनों की संख्या . . .	१२
५. सरकारी विधेयक—	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन . . .	१६
(२) पुरःस्थापित किये गये . . .	८
(३) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखे गये . .	५
(४) प्रवर समिति को सौंपे गये	कोई नहीं
(५) संयुक्त समिति को सौंपे गये	१
(६) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित . .	१
(७) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित .	कोई नहीं
(८) पारित किये गये . . .	२० (सूची संलग्न है)
(९) राज्य सभा द्वारा बिना सिफारिश लौटाये गये .	३
(१०) राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाये गये .	कोई नहीं
(११) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन	९
६. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक —	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन . .	४०
(२) पुरःस्थापित किये गये	६
(३) जिन पर चर्चा हुई .	६
(४) वापिस लिये गये . .	२
(५) अस्वीकृत .	२
(६) पारित किये गये . .	कोई नहीं
(७) जिन पर आंशिक रूप में चर्चा हुई	१
(८) जिन पर चर्चा स्थगित हुई . . .	कोई नहीं
(९) संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन जो सभा पटल पर रखा गया	कोई नहीं

(१०) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . . कोई नहीं

(११) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन . ४२

(१२) जिन्हें लोक मत जानने के लिए परिचालित किया गया . . . १

७. नियम १९३ के अन्तर्गत हुई चर्चाओं की संख्या—

(अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय)

(१) सूचनायें प्राप्त हुईं . २८

(२) चर्चा हुई . . . ३

८. नियम १९७ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्यों की संख्या —

(अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना)

(१) सूचनायें प्राप्त हुईं . ४४८

(२) मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य . २७

९. आधे घंटे की चर्चा . . . ३

१०. सरकारी संकल्प—

(१) प्रस्तुत किये गये . कोई नहीं

(२) स्वीकृत . . कोई नहीं

११. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प—

(१) प्राप्त हुए . . १५

(२) गृहीत किए गए . १२

(३) जिन पर चर्चा हुई . ३० (एक पर आंशिक रूप से चर्चा हुई)

(४) वापस लिये गये . कोई नहीं

(५) अस्वीकृत हुए . . . २

(६) स्वीकृत हुए . . . . कोई नहीं

(७) जिन पर आंशिक रूप में चर्चा हुई . . १

(८) जिन पर चर्चा स्थगित हुई . कोई नहीं

१२. सरकारी प्रस्ताव—

(१) प्रस्तुत किये गये . ५

(२) स्वीकृत हुए . . ४

१३. गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव—

(१) प्राप्त हुए . . . ५१

(२) गृहीत किये गये . . . ३४

(३) प्रस्तुत किये गये ५

(४) स्वीकृत हुए ४

(५) जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई . कोई नहीं

१४. संविहित नियमों में रूप-भेद करने के बारे में प्रस्ताव—

(१) प्राप्त हुए २

(२) गृहीत हुए २

(३) प्रस्तुत किये गये . . . . कोई नहीं

१५. सत्र के दौरान स्थापित की गई नई संसदीय समितियों की संख्या, यदि कोई हो . . कोई नहीं

१६. स्थगन प्रस्तावों की संख्या—

(१) सदन में लाये गये . . . . कोई नहीं

(२) गृहीत किये गये किन्तु सभा की अनुमति प्राप्त नहीं हुई . . . . कोई नहीं

(३) नियम बाह्य घोषित किये गये . . . कोई नहीं

(४) अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई कोई नहीं

१७. गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या—

(१) तारांकित ८०१

(२) अतारांकित (जिन में वे तारांकित प्रश्न भी शामिल हैं जो अतारांकित कर दिये गये) . . २२५६

(३) अल्प सूचना प्रश्न १८

१८. विभिन्न संसदीय समितियों के लोक-सभा को उपस्थापित प्रतिवेदनों की संख्या—

(१) लोक लेखा समिति . . . ३

(२) प्राक्कलन समिति १

(३) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति ५

(४) कार्य मंत्रणा समिति ३

(५) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . . . १

१९. जिन सदस्यों को छुट्टियां स्वीकृत की गईं . . ११

२०. याचिकायें प्रस्तुत की गईं . . . ४

२१. नये सदस्यों की संख्या जिन्होंने शपथ ली . ५

पांचवें सत्र के दौरान पारित किये गये सरकारी विधेयक

१. अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक, १९६३
२. प्रौद्योगिकीय संस्थायें (संशोधन) विधेयक, १९६३
३. महाप्रशासन विधेयक, १९६३
४. विशिष्ट सहायता विधेयक, १९६३
५. वस्त्र समिति विधेयक, १९६३
६. संघ राज्य क्षेत्र नाट्य प्रदर्शन (निरसन) विधेयक, १९६३
७. परिसीमन विधेयक, १९६३
८. भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक, १९६३
९. लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उप-कर (संशोधन) विधेयक, १९६३
१०. विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६३
११. भाण्डागार निगम (संशोधन) विधेयक, १९६३
१२. सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६३
१३. बड़े पत्तन न्यास विधेयक, १९६३
१४. व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) विधेयक, १९६३
१५. विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९६३
१६. विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६३
१७. भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक, १९६२
१८. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६३
१९. व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६३
२०. सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन विधेयक १९६३।

पृष्ठ

श्री मानवेन्द्र शाह . . ३६६७

श्री शिवमूर्ति स्वामी . . ३६६८—७१

श्री किशन पटनायक . ३६७१—७३

श्री यशवन्तराव चव्हाण ३६७३—८३

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री कानूनगो ३६८३—८५

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ के उत्तर में शुद्धि . . . ३६८५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३६८६—८७

पांचवें सत्र का कार्यवाही-संक्षेप . . . . ३६८८—९०, १—९

समेकित विषय सूची [१० से २१ सितम्बर, १९६३/ १९ से ३० भाद्र, १८८५ (शक)] . . . . . .

PLS. 41. XXI. 30. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवा संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।